खण्ड-438, अंक-3
गुरूवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1923
(10 मई, 2001 ई0)

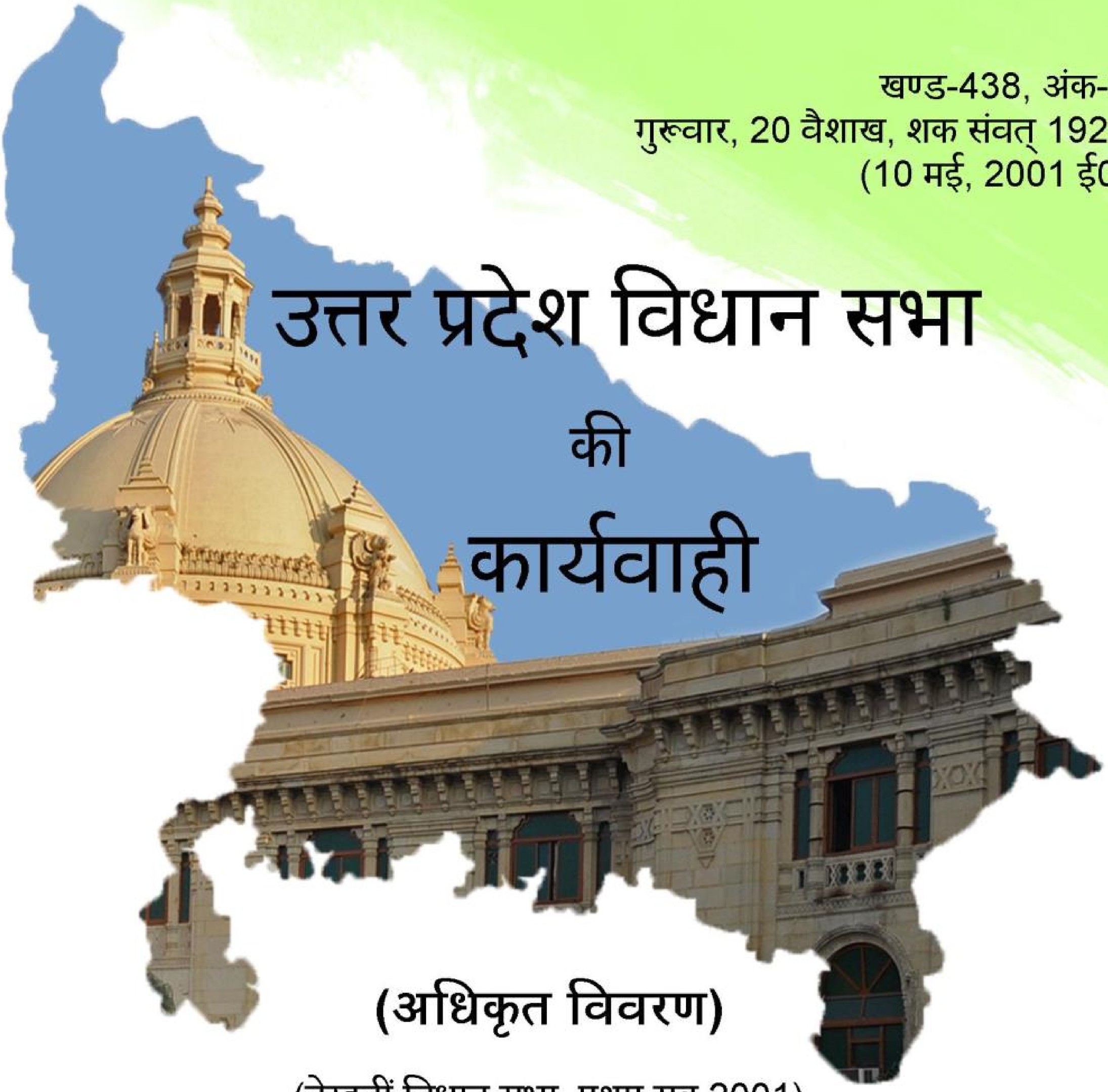

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास	2
प्रश्नोत्तर (जारी)	2
श्री श्याम सुन्दर, स० वि० स० द्वारा सदन से प्रेस गैलरी में कागज वितरित किये जाने पर श्री अध्यक्ष के कड़े निर्देश	3
प्रश्नोत्तर	3–41
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में विधान परिषद् सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	41
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	42
जनपद हाथरस के सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत राजबहा माइनरों में पानी न आने एवं नहरों की सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42–43
जनपद गाजियाबाद के कतिपय गांवों की जमीन पर बसायी जा रही नई कालोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद मुरादाबाद की ग्राम सभा रतुपुरा के किसानों के जोत वही उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियांवा में स्वीकृत कस्तूरीपुर से करियांव मार्ग पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई खण्ड टांडा की भिटुड़ माइनर के पानी का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44–45
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बिसवां ग्राम सभा–सरोसा की ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेक्रेटरी की मिलीभगत से जे० आर० वाई के धन के दुरुपयोग की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा सदन में लगे श्रवण यंत्रों के खराब प्वाइंट को ठीक कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	46

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के आयोजनागत व्यय में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न	46–47
बाबरी मस्जिद प्रकरण में गलत सूचना देकर सदन को गुमराह करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	47–52
विधान सभा समितियों/स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित किये जाने हेतु अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	52
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	53
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	53–67
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	67–97
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) (स्वीकृत)	97–106
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	106–107
जनपद फैजाबाद में पुलिस उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के आदेश से पुलिस कर्मियों का मंदिर निर्माण हेतु एक दिन का वेतन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम चन्द्र यादव सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	108–109
सहारनपुर मण्डल में श्रम न्यायालय की स्थापना न होने के कारण श्रमिकों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	109
प्रदेश में सरकारी अस्पतालों विशेषतः जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय सुविधाओं यथा मशीनों, दवाओं, नर्सों तथा एम्बुलेन्स आदि की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	110

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में प्रतिबन्धित राष्ट्रीय पशुओं एवं पक्षियों को मारे जाने तथा उनके अंगों की तस्करी कर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के षड्यंत्र संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री केवल का वक्तव्य ...	110–114
जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत माया–टाण्डा मार्ग को चौड़ा किये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री केवल का वक्तव्य ...	114–115
जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कदौरा में लगे ट्यूबवेल को चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामाधार सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	115–116
जनपद फिरोजाबाद के कतिपय विकास खण्डों में फैल रही संक्रामक बीमारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बने उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों एवं दवाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रघुबर दयाल वर्मा सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	116–117
वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नयी परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक दिनांक 10 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3, नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि सदस्यों द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन ...	117
नत्थी ...	118–120

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 10 मई, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	एटा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
काशी राम, श्री	रामपुर
केशो मेहरा, श्री	आगरा
कोविद कुमार,श्री	शाहजहांपुर
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जमालुद्दीन सिद्दकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जय प्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
दयाशंकर, श्री	जालौन
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
नन्दराम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	इटावा
प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम, श्री	जालौन
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
बी० आर० वर्मा, श्री	जौनपुर
बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
भरत सिंह, श्री	बलिया
मंजू, श्रीमती	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माण्डलेश्वर सिंह, श्री	आजमगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
मार्कण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुख्तार अंसारी, श्री	देवरिया
रमानाथ मिश्र, श्री	भदोही
लघुराजा प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
राजाराम पाल सिंह, श्री	एटा
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राघव, श्री	सहारनपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राजा राजाराम [illegible], श्री	[illegible]
राजा राम [illegible], श्री	[illegible]
राजेश [illegible], श्री	बरेली
राम आसरे [illegible], श्री	[illegible]
राम आसरे सिंह [illegible], डा०	कानपुर नगर
राम औतार [illegible], श्री	मैनपुरी
राम सिंह [illegible], श्री	बदायूं
राम नरेश [illegible], श्री	[illegible]
राम सेवा, श्री	[illegible]
राम [illegible] चौधरी, श्री	[illegible]
राम [illegible], श्री	गोण्डा
[illegible]	मैनपुरी

रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा०	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ	
पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	भरतपुर
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुशील अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, 10 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 1 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

(सदन की बैठक प्रारम्भ होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 311 के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, मैंने कल व्यवस्था दे दी है जब सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब उस विषय के बारे में नियम 311 का प्रस्ताव होता है । इस समय सदन के समक्ष कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए मैंने उस सूचना को निरस्त कर दिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

उसके लिए नियम और निदेश में उपाय है, उसका अनुपालन करिये ।

मैंने नियम 311 में आपको अनुज्ञा नहीं दी है, सम्मति नहीं दी है, जो कुछ आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा । कल काफी हो गया है, यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम और निदेश में कार्यवाही का प्राविधान है ।

प्रश्नोत्तर

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने एवं माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ने के दौरान श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आसन से बोलते रहे] (व्यवधान)

विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश की सड़कों को लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने की योजना

**1—श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश की सड़कों के कायाकल्प की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है और इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां । प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों की 1000 कि०मी० लम्बाई के उच्चीकरण तथा 2500 कि०मी० लम्बाई के वृहद रख रखाव का कार्य विश्व बैंक की सहायता से सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है । इनमें से वृहद रखरखाव के 263.33 कि०मी० लम्बाई के मार्ग अब उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत हैं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

समस्त कार्य विश्व बैंक से ऋण स्वीकृत हो जाने पर 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है ।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कल इस विषय पर घन्टा, सवा घंटा लोगों ने विचार व्यक्त किये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर आने के बाद भी लोगों ने अपनी बात कही, इसलिए आज इसका कोई औचित्य नहीं बनता । आपको जो भी कहना हो, वह नियम 56 के समाप्त होने के तुरन्त बाद कह दीजियेगा ।

नियम–56 की सूचना समाप्त होने के बाद जो बात कहनी है कह लीजिएगा, इससे ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती, इससे ज्यादा उचित नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी जो कुछ कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जा रहा है । यह समाचार पत्रों में प्रकाशित भी नहीं होगा । बिना अनुमति के बोल रहे हैं । जितनी बात होनी थी, वह कल हो गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी सदन में, रहने की अनिवार्यता नहीं समझती है । इसलिए हम और हमारी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री श्याम देव राय चौधरी ''दादा''–

मान्यवर, सड़कों के निर्माण और रख रखाव के विषय में सरकार का कार्य सराहनीय है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो उत्तर दिया गया है कि 1000 कि०मी० लम्बाई के उच्चीकरण तथा 2500 कि०मी० लम्बाई के वृहद रखरखाव का कार्य होना है, इसमें क्या चयन कर लिया गया है अथवा इन सड़कों का निर्माण जिलाधिकारी के माध्यम से, विधायक के माध्यम से अथवा जो जन प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से किया जायेगा ? और दूसरा प्रश्न अनुपूरक यह करना चाहता हूं कि यह जो सड़कें हैं इन पर कुल कितनी लागत आनी है और विश्व बैंक से जो सहायता प्राप्त की जानी है, किन शर्तों पर यह ऋण प्राप्त होने वाला है ?

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इनका चयन दो चरण में होना है । इसमें दो चरण में सर्वे होगा, प्रथम चरण में कुल लक्ष्य का 40 प्रतिशत और द्वितीय चरण में 60 प्रतिशत इसका चयन हो चुका है । अभी केवल विश्व बैंक ने अपनी सहमति दिया है, लोन देने का.....

श्री श्याम सुन्दर,स० वि० स० द्वारा सदन से प्रेस गैलरी में कागज वितरित किये जाने पर श्री अध्यक्ष के कड़े निर्देश

(माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर द्वारा प्रेस गैलरी में कागज बांटे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कागज कौन सज्जन बांट रहे हैं ? आप इधर आयें । सारे कागज वापस कीजिए, यह कौन सा तरीका है ?

श्री प्रमोद कुमार–

यह नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रेस गैलरी के सामने शीशा लगवा दीजिए ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सड़कों का चयन हो चुका है । विश्व बैंक जिन बिन्दुओं पर परीक्षण आख्या चाहती है उनमें से अधिकांश के परीक्षण हो चुके हैं और इन सड़कों का चयन इस आधार पर किया गया है कि 15 वर्ष बाद उस पर यातायात की क्या स्थिति होगी, उसको देखते हुए कितनी सड़कों का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है और इस सम्बन्ध में एक कन्सल्टेंट एजेंसी भी नियुक्त हुई है जो इसका कार्य कर रही है । इसलिए किसी एक डी० एम०, विधायक या विभाग ने मनमाने ढंग से चयन नहीं किया है बल्कि उसकी उपयोगिता एवं विश्व बैंक के मानकों के अनुसार जो आवश्यक थे उन्हीं सड़कों का चयन किया गया है। सड़कों का चयन पूरा कर लिया है लेकिन 40 प्रतिशत का प्राथमिकता से विश्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार विस्तृत सर्वे किया गया है और ऋण मिलने के बाद उस पर कार्य शुरू होगा । अवशेष 60 प्रतिशत सड़कों पर कार्य द्वितीय चरण में शुरू होगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि किन शर्तों पर ऋण प्राप्त होगा और जो आगणन बनाया गया है उस पर कितनी लागत आनी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अभी आगणन पूरा नहीं बना है । आगणन बनने के बाद ही यह निर्धारित हो पायेगा कि कितनी लागत आयेगी ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं एक तो यह बताने का कष्ट करें कि विश्व बैंक का मानक क्या है ? दूसरी यह कि जिलों में जो सड़कें ली जायेंगी उसमें कच्ची सड़कें, खड़ण्जा, पक्की सड़कें या किन सड़कों को रखा गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, प्रथम चरण में दो प्रकार के कार्य होने हैं । एक उच्चीकरण का, दूसरे वृहद रख रखाव का । उच्चीकरण में प्रथम चरण में कटरा–जलालाबाद–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग 147.30 कि०मी०, भोगनीपुर–घाटमपुर–चौडगरा मार्ग 82.65 कि०मी०, बहराइच–गोण्डा–फैजाबाद मार्ग 105.65 कि०मी० तथा जौनपुर–मोहम्मदपुर मार्ग 39.70 कि०मी० के मार्ग रखे गये हैं । इसी प्रकार उच्चीकरण के लिए प्रथम चरण में 375.50 कि०मी० मार्ग को रखा गया है ।

वृहद रख-रखाव के लिए 12 सड़कें स्वीकृत हुई हैं–कैराना शामली–मुजफ्फरनगर मार्ग 55.58 कि०मी०, मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग 30.67 कि०मी०, मुजफ्फरनगर–सहारनपुर मार्ग 52.63 कि०मी०, मेरठ–बिजनौर मार्ग 118.00 कि०मी०, मुरादाबाद–काशीपुर मार्ग 43.58 कि०मी०, बरेली–बदायूं मार्ग 45.00 कि०मी०, सीतापुर–लखीमपुर मार्ग 45.00 कि०मी०, बछरावां–फतेहपुर मार्ग 72.00 कि०मी०, फैजाबाद–अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग 138.00 कि०मी०, आजमगढ़–गाजीपुर मार्ग 53.80 कि०मी०, दोहरीघाट–आजमगढ़ मार्ग 55.40 कि०मी० एवं आजमगढ़–वाराणसी मार्ग 69.60 कि०मी० । इस प्रकार वृहद रखरखाव कार्य के लिए कुल 779.26 कि०मी० के सड़क स्वीकृत हुए हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह कहा कि सड़कों के चयन में डी० एम०, जनप्रतिनिधि या स्थानीय विधायक या विभाग द्वारा मनमाने ढंग से चयन नहीं किया गया है । मंत्री जी ने मनमाने ढंग से शब्द का प्रयोग किया । मान्यवर, जिलाधिकारी या विभागीय अधिकारी हैं उनको ही ठीक प्रकार से जानकारी रहती है कि किस सड़क की ट्रैफिक डेन्सटी कितनी अधिक है और 15 साल बाद कितनी अधिक बढ़ जायेगी इसलिए उनकी सलाह ली जानी चाहिए, क्या भविष्य में उनकी सलाह ली जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने भूलवश मनमाने शब्द का प्रयोग किया है मैं उसको वापस लेता हूं । मान्यवर, दोनो चरणों में जो सड़कें ली जाने वाली हैं उनका चयन हो चुका है और 40 परसेन्ट सर्वे पूरा हो चुका है, विश्व बैंक की अपेक्षानुसार जो सर्वे हुआ है वह उनको प्रस्तुत किया जायेगा, फिर कब लोन देंगे यह अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है, यह इस साल भी मिल सकता है और अगले साल भी मिल सकता है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण के लिए विश्व बैंक के मानकों के अनुरूप जो सड़कों का चयन किया गया है, उन मानकों के मापदण्ड क्या है । विश्व बैंक से जो पैसा मिला है उससे किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो सड़कें चयनित हुई हैं उनके लिए पैसा अभी नहीं मिला है । इसलिए इस स्कीम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण का कोई सवाल नहीं उठता । जहां तक मानक का सवाल है, एक कन्सलटेंट एजेंसी और विभाग ने मिलकर सड़कों का चयन किया है । 15 साल में सड़कों की क्या स्थिति होगी उसका विस्तृत सर्वे हो रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक से जो पैसा मिल रहा है उसके मानक क्या हैं ? इन मानकों के आधार पर इसमें बलिया

जनपद की कोई सड़क क्यों नहीं शामिल की गयी है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक से प्राप्त धन के अतिरिक्त एम० डी० आर० और स्टेट हाईवे की रिपेयरिंग के लिए जो बजट में धन रखा जाता है, उसके अतिरिक्त इस वर्ष कितनी सड़कों का काम किया गया है, उसका प्रतिशत क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, प्रतिशत तो नहीं निकाला और इस वर्ष पैसा नहीं मिलेगा, पैसा 2003 में मिलेगा । मान्यवर, जहां तक मानक की बात है 15 साल बाद कौन सी सड़क की इकोनॉमिक फिजीबिल्टी क्या होगी इसका अध्ययन किया गया है और आर्थिक दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से लाभकारी होगी या नहीं इस आधार पर चयन किया गया है । जहां तक बलिया की बात है, मैंने फेज वन की बात बताई थी, बलिया, देवरिया की सड़कों को फेज दो में लिया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं या मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं कि मापदंड क्या हैं ? आपने जो वर्ल्ड बैंक से संस्तुति की है उसका आधार क्या है और कंसलटेंट ने जो संस्तुति की है उसका आधार क्या है ? जो वर्ल्ड बैंक से अनुदान लिया जा रहा है क्या उन सड़कों पर टोल टैक्स लिया जायेगा ? दूसरी बात जो ऋण लिया जा रहा है उस पर कितना सूद देना पड़ेगा ? इसके अतिरिक्त मान्यवर, इलाहाबाद–मिर्जापुर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है । इसको बनाने का और इसी तरह से इलाहाबाद–वाराणसी सड़क को 4 लेन की करने का क्या कोई प्रस्ताव है ? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने बताया कि इकोनामिक फिजीबिलिटी की स्टडी की गयी है । आर्थिक दृष्टि से कितनी लाभकारी सड़क होगी इस बात की स्टडी की जा रही है । मान्यवर, जहां तक शर्तों की बात है जब धन देने की बात आयेगी तो उस समय शर्तों की बात आयेगी । अभी तो स्टडी करके विभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । आर्थिक समझौता क्या होगा, क्या शर्तें वह रखेंगे और हम क्या स्वीकार करेंगे यह तो उस वक्त तय होगा अभी इसके बारे में कहना कठिन है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने इलाहाबाद–मिर्जापुर और इलाहाबाद–वाराणसी सड़कों के बारे में जानकारी चाही थी ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रथम चरण के बारे में बताया था अब मैं द्वितीय चरण की सड़कों के नाम पढ़े देता हूं । मान्यवर, यह हैं सितारगंज–पीलीभीत–पूरनपुर–खुटार–नानपारा–बहराइच–बलरामपुर–उतरौला–बस्ती रोड । इसके अलावा–बांगरमऊ–आसीवन–मोहान–लखनऊ रोड है । इसके अलावा सीतापुर–बिसवां–टिकरामोड़–बहराइच–बलरामपुर रोड, इसके अतिरिक्त बहराइच–गोण्डा–नवाबगंज–फैजाबाद–अकबरपुर–आजमगढ़–मऊ–रसड़ा–फेफना रोड है । इसके अतिरिक्त गोरखपुर–बेलघाट–घाघरा रिवर–शकरपुर–महराजगंज–देवपुर–अंबरी–शाहगंज रोड है । इसके अतिरिक्त मुरादाबाद–बाजपुर–कालाढूंगी रोड है । इसके अतिरिक्त देवरिया–बलिया रोड है । इसके अतिरिक्त पीलीभीत–बरेली–बदायूं–सिकन्दराराऊ–मथुरा भरतपुर रोड है । इसके अतिरिक्त जगदीशपुर–प्रतापगढ़ रोड है तथा ढकवा–पट्टी–बेला रोड है । इसके अतिरिक्त मथुरा–वृन्दावन–नौझील रोड है तथा पिथौरागढ़–पीलीभीत शाहजहांपुर–फर्रुखाबाद–इटावा रोड है । इसके अतिरिक्त अलीगढ़–आगरा, एटा–शिकोहाबाद रोड है । जालौन–भिंड मार्ग है और फैजाबाद– रायबरेली रोड है ।

मेरठ–बुलन्दशहर–नरोरा–बदायूं रोड है । इसके अतिरिक्त चंदनचौकी–पलिया– शाहजहांपुर–हरदोई–लखनऊ रोड है । इसके अतिरिक्त बस्ती–मेंहदावल–रावतगंज–तमकुही रोड है । लखीमपुर–सीतापुर–नैमिषारण्य–हरदोई–कन्नौज–बेला–औरइया–जालौन–उरई–पनवारी रोड है । इसके अतिरिक्त लिपूलेख–तवाघाट–पिथौरागढ़–खटीमा–पीलीभीत–इटावा–भिंड मार्ग है तथा बैजनाथ–बागेश्वर–भैरोनाथ रोड है । इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा–बैजनाथ–ग्वाल्दम–कर्णप्रयाग रोड है । तो मान्यवर, यह 16 मार्ग द्वितीय चरण के हैं, इनमें से 16 मार्गों को वृहद रखरखाव के लिए और 7 उच्चीकरण के लिए स्वीकृत हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि फेज–2 में या भविष्य में कभी इलाहाबाद और मिर्जापुर मार्ग जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है जहां विन्ध्याचल धाम भी है उसको मंत्री जी बनवायेंगे ? इसी तरह से इलाहाबाद–बनारस मार्ग को 4 लेन करवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, धन की उपलब्धता के आधार पर जो सड़क महत्वपूर्ण है उसको लेते हैं । कुंवर साहब ने जिस सड़क का उल्लेख किया है उसकी इकोनामिक फिजीबिलिटी का अध्ययन करा लेंगे सम्भव होगा तो करा देंगे ।

श्री राम कुमार ''एडवोकेट''–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायबरेली हरदोई रोड जो जी० टी० रोड के पैरलल लगी हुई है इसको इस योजना के अन्तर्गत बनवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

धन की उपलब्धता के आधार पर स्टडी करने के बाद सड़कों का चयन हुआ है । माननीय सदस्य ने जिस सड़क का उल्लेख किया है उसका स्टडी करवा लेंगे ।

प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाये जाने हेतु प्रचलित नीति प्रक्रिया

**2–श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रचलित नीति प्रक्रिया एवं नियमों के सरलीकरण पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

प्रदेश में उद्योग परक औद्योगिक नीति, 1998 में बनाई गई है । उद्योग स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय एवं समयबद्ध रूप से निर्णय कराने हेतु ''एकल मेज व्यवस्था'' दिनांक 1 जनवरी, 1999 से लागू की है जिसके अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु समस्त स्वीकृतियों अनुमोदनों के आवेदन-पत्रों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निर्णय लिया जाना प्राविधानित है । प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रचलित नीति, प्रक्रियाओं तथा नियमों का सरलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है । राज्य सरकार उद्यमियों से विचार-विमर्श करके नीति, प्रक्रियाओं तथा नियमों में निरन्तर संशोधन/सुधार करती रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में, मंत्री जी ने बताया उद्योग स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय एवं समयबद्ध रूप में निर्णय कराने हेतु एकल मेज व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1999 से लागू की है । मैं इस संबंध में तीन अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं पहला–समयबद्ध रूप से जो निर्धारित समय सीमा है वह निर्धारित समय सीमा क्या है? दूसरा एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में भी अभी तक कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया है कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ? तीसरा केन्द्रीय और प्रदेश सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद भी औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जो 1997 तक तो नान ट्रांसफरेबल एकाउन्ट थे, उनका ब्याज माफ करने व वन टाइम सेटलमेंट के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है ।

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

समय सीमा साठ दिन की निर्धारित की है । बाकी के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पूर्वांचल में 29-30 जिले हैं वहां पर उद्योगों को स्थापित करने के लिए जितने अधिकारियों की और व्यवस्था की गयी थी, इलाहाबाद में उसको हटाकर लखनऊ में कर दिया गया जिससे पूर्वांचल में जो भी उद्योग स्थापित करना चाहता है उसे कठिनाई होती है । समय से अधिकारी मिल नहीं पाते हैं । क्या पूर्वांचल में उद्योग स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था इलाहाबाद में की गई थी उसको लखनऊ से स्थानान्तरित कर पुनः इलाहाबाद में स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, सरकार की नीति है कि प्रदेश में सम्यक् विकास हो इसी दृष्टि से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है । जो निवेदन आते हैं उनका जिला मण्डल और प्रदेश स्तर पर निस्तारण हो सकेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एकल मेज व्यवस्था पर जितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं उनमें जितनी समस्याओं का निराकरण होता है उसकी कोई समय सीमा है ? फिरोजाबाद में एकल मेज व्यवस्था में कितनी एप्लीकेशन्स का निस्तारण किया जा चुका है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, सामान्यतः साठ दिन के अन्दर एप्रूवल सुनिश्चित होता है यदि साठ दिन के अन्दर नहीं होता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि निस्तारण साठ दिन में क्यो नहीं किया जा सका ।

श्री संजय गर्ग–

जो समय सीमा निर्धारित की गयी है बहुतायत में, व्यवहारिक रूप से देखा गया है समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारण नहीं होता है जिससे सेलटैक्स एक्साइज में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता तो वह डीम्ड रजिस्ट्रेशन समझा जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न तो नीति का था, मूल प्रश्न से यह प्रश्न हटकर है, अगर आप ब्योरा चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कीजिएगा ।

डा० वेद प्रकाश सिंह एम० एस०–

नोयडा, मेरठ में ही यूनिटें लगाई जाती हैं, क्या बिजनौर जनपद में इंडस्ट्रीज लगाने की प्रक्रिया पर विचार किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह भी मूल प्रश्न से अलग बात है, आप अलग से प्रश्न कीजिएगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में लोगों को ठण्ड से मरने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्ययोजना बनाने की मांग

*1–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2000-2001 में प्रदेश में ठण्ड से कितने लोगों की मृत्यु हुई हैं ? क्या सरकार ने ऐसी मौतों को रोकने के लिये कोई कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

वर्ष 2000-2001 में प्रदेश में कुल 81 व्यक्ति की ठण्ड से मृत्यु की अधिकारिक सूचना प्राप्त हुई है ।

प्रदेश के समस्त जनपदों में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाने एवं गरीब असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों में कम्बल वितरित किये जाने की व्यवस्था की जाती है ।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फल बागान लगाने वाले किसानों को दी गयी सब्सिडी के सत्यापन की जानकारी

*2–डा० सरजीत सिंह डंग (अनुपस्थित)–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि नवीं पंचवर्षीय योजना (1994-95 से 1998-99) के मध्य में फल बागान की स्थापना हेतु 5.77 करोड़ रुपये की सब्सिडी कृषकों में वितरित की गई है ? यदि हां, तो क्या इसका सत्यापन विभाग द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी हां ।

सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी तथा उप निदेशकों द्वारा सत्यापन कराया गया ।

तारांकित प्रश्न

उ० प्र० से बाहर आलू के निर्यात की सरकार की नीति

*1—श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० से बाहर आलू के निर्यात की सरकार द्वारा कोई नई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों को आलू के उत्पादन का उचित मूल्य दिलाये जाने के लिए लगभग 10 लाख टन आलू आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली आदि भेजा गया है तथा वर्तमान में किसानों को आलू का उचित मूल्य मिल रहा है ।

जनपद आगरा तथा लखनऊ में ठंडक से लोगों के बचाव हेतु व्यय की गयी धनराशि

*2—श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा तथा लखनऊ में इस वर्ष ठंडक से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? सरकार ने ठंडक से बचाने हेतु क्या-क्या उपाय किये हैं एवं इस पर कितना धन व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद आगरा तथा लखनऊ में इस वर्ष ठण्डक से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की अधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

ठण्डक से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाये जाने तथा असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को कम्बल वितरित किये जाने की व्यवस्था की गयी है । इस हेतु वर्ष 2000-2001 में जनपद आगरा में रु० 2,05,000/- एवं जनपद लखनऊ में रु० 5,25,135/- की धनराशि व्यय की गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विजय पाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अलाव लगाये गये हैं वह शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाये गये हैं इन पर कितना खर्चा आया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, सभी जनपदों में जहां-जहां अलाव की आवश्यकता होती है डी० एम० और ए० डी० एम० या तहसीलदार द्वारा अलाव लगाये जाते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आगरा जनपद में किसी भी ग्रामीण इलाके में अलाव नहीं लगाये गये हैं इसकी मुझे पूरी जानकारी है तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैं जांच करा लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न से सम्बन्धित कार्यवाही सरकार अगली ठंड में करना चाहती है तो करे । पता नहीं इस सरकार को तब तक ठंड लग जायेगी या निमोनिया हो जायेगा । इन सर्दियों में माननीय राजस्व मंत्री जी, इस ठंड से मौतें हुई हैं, अभी गर्मी से जलने से भी हो रही हैं । ठंड लगने में राहत देने की सरकार की जो नीति है, जो बता रहे थे । इन गर्मियों में लगने वाली आग से राहत दिये जाने के संबंध में कोई प्राविधान है ? पूर्वांचल में बहुत ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दैवी आपदा के अन्दर जो भी आग लगती है, मौतें होती है, उसके बारे में योजना है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

आग लगने पर भी राहत देंगे तो कितना धन इस प्रदेश में जिलेवार इस मद में आवंटित किया है ? बहराइच में बहुत आग लगती है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी उपस्थित नहीं थे)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न में रुचि है । इसको ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी नहीं हैं । दो प्रश्न आगे और हैं पहले इनको ले लें, उसके बाद इसको ले लेते हैं।

कृषकों के लिए लागू राष्ट्रीय कृषि योजना की जानकारी

*3—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषकों के लिये लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रत्येक कृषक के लिये स्वैच्छिक एवं व्यक्तिगत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मंडल/जिला अथवा विकास खण्ड को एक इकाई के रूप में मानकर कृषकवार उक्त योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

[प्रदेश में लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल उगाने वाले ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य तथा ऋण न लेने वाले कृषकों के लिए स्वैच्छिक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

योजना हेतु बीमा की इकाई क्षेत्र वर्तमान में फसल धान व गेहूं के लिए विकास खण्ड एवं अन्य चयनित फसलों यथा मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, अरहर, चना, मटर, लाही–सरसों व आलू के लिए जनपद स्तर ली गयी है । स्थानिक आपदाओं यथा–ओलावृष्टि, भूस्खलन, चक्रवात एवं बाढ़ की स्थिति में क्षति का व्यक्तिगत आधार पर आंकलन प्रायोगिक रूप से करने हेतु वर्तमान वर्ष में जनपद लखनऊ के विकास खण्ड ''बक्शी का तालाब'' का चयन किया गया है । इसके प्राप्त परिणामों के आधार पर आगामी वर्षों में अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न सं०–3 यद्यपि डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी का प्रश्न है लेकिन इस पर कुं० रेवती रमण सिंह जी ने रुचि प्रकट की है ।

(माननीय मंत्री जी ने उत्तर पढ़ना शुरू किया लेकिन श्री अध्यक्ष ने उसे पढ़ा मान लिया)

नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पढ़ा हुआ माना गया ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, भारतीय किसानों को कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी अन्य प्रकार की दैवी आपदाओं का सामना करना पड़ता है और इसीलिए यह योजना चलाई गई है। इसकी मंशा यही है कि हमारे किसानों को जो इससे नुकसान होता है, हानि होती है उसकी भरपाई करने के लिए यह योजना क्रियान्वित करने का काम सरकार कर रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और क्या माननीय मंत्री जी, कम से कम हर जिले में, एक ब्लाक इस वित्तीय वर्ष में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कृषि बीमा योजना गत वर्ष खरीफ से उत्तर प्रदेश में लागू की गयी और यह प्रदेश के सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में लागू है। मान्यवर, पिछले वर्ष खरीफ में इसे लागू किया गया था और प्रयास यह किया गया कि किसानों को इसके लिए आगे लाया जाए और उनसे निवेदन किया जाए कि वे अपनी फसल का बीमा करायें। श्रीमन्, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही जिन फसलों के लिए बीमा योजना लागू की गयी है, उसकी सूची दी है और इसमें निर्णय यह लिया गया था कि जितने भी ऋणी किसान हैं उनके लिए यह कम्पलसरी कर दिया जाए और जो ऋण नहीं लेते हैं उनके लिए यह आप्सनल रहे, वे चाहें तो अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितने किसान लाभान्वित हुए। जनरल इन्श्योरेंश कम्पनी से मैं इसकी सूचना प्राप्त करने का प्रयास जरूर कर रहा था कि हमें किसानों की संख्या मिल जाए। किसानों की संख्या तो मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन कुल धन जो प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुआ है उसकी सूचना मेरे पास है और वह मान्यवर, बीमित राशि जितने धन का बीमा कराया गया था खरीफ में, वह है 23 करोड़ 32 लाख 68 हजार 385 रुपये 27 पैसे। 3 करोड़ 73 लाख 42 हजार 831 रुपये पिछले खरीफ में क्षतिपूर्ति के लिए जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा आंका गया है। यह धन जिन किसानों ने बीमा कराया था उनके खातों में सम्बन्धित बैंकों द्वारा क्रेडिट करने की कार्यवाही जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा की गयी है। यह धन सम्बन्धित बैंकों को जिन्होंने किसानों को ऋण दिया था उनके खातों में भेज दी जायेगी, उनके हाथ में तो पैसा नहीं दिया जायेगा जिस तरह से आशातीत उम्मीद थी वह मिल नहीं पा रही है। किसानों को हम सही ढंग से अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा विषय है जिसमें मैं सभी सम्मानित सदस्यों का भी सहयोग चाहता हूं कि अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करें कि जो किसान ऋण लेते हैं वह अपना बीमा जरूर करवा लें। इस सदन में प्रश्न आया था कि पछुवा हवा चलने से गेहूं की पैदावार कम हो गयी है। यह सही है कि मानक उपज एक विकास खण्ड का कम हो गया, अगर किसान अपना बीमा कराये होते, तो हवा का जो कुप्रभाव पड़ा है, उसका लाभ किसानों को मिलता। धान के पिछली खरीफ के आंकड़े हमारे पास हैं। लिस्ट बड़ी लम्बी है लेकिन कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपके पास उत्तर है लेकिन इस विषय के महत्व को देखते हुए इस पर आधे घण्टे की चर्चा करा लें। विस्तारपूर्वक बातें आ जायेंगी।

(आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की गयी)

(प्रश्न सं०–4 पुकारे जाने पर डा० धर्मज्ञ मिश्र उपस्थित नहीं थे)

प्रदेश के राजकीय पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा शुल्क में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग

*4—डा० धर्मज्ञ मिश्र (अनुपस्थित)–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इलाज हेतु परचा बनवाने में चिकित्सा शुल्क में दस या बीस गुना तक वृद्धि की गई है ? क्या

शुल्क वृद्धि के बावजूद अस्पतालों में दवाओं का घोर अभाव है तथा जनता को दवायें अपने पैसे से खरीदनी पड़ रही हैं ? क्या सरकार गरीब जनता के हित में शुल्क वृद्धि वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम की जानकारी

*5–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि विभाग द्वारा कोई कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :––

(1) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (केन्द्र पुरोनिधानित–75% केन्द्रीय अंश)

(2) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (केन्द्र पुरोनिधानित–75% केन्द्रीय अंश)

(3) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड योजना (पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित)

दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है, किन्तु गेहूं, गन्ना आदि फसलें अधिक क्षेत्रफल में बोये जाने के कारण तिलहन के उत्पादन में वर्ष 1999-2000 में कमी आई है, जबकि उत्पादकता में वृद्धि हुई है ।

दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता का विवरण :––

वर्ष	उत्पादन (लाख में)	उत्पादकता (कु०/हेक्टेयर)
1997-98	23.04	8.25
1998-99	23.27	8.26
1999-2000	25.76	9.64

तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता का विवरण :––

वर्ष	उत्पादन (लाख में)	उत्पादकता (कु०/हेक्टेयर)
1997-98	10.02	6.08
1998-99	10.89	6.87
1999-2000	8.92	8.66

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। आज पूरे प्रदेश में दलहन और तिलहन का दाम इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका उत्पादन कम हो रहा है। किसानों को जो सुविधाएं, व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं लेकिन यह सारे कार्यक्रम शायद कागजों पर ही बन कर रह गये हैं। इनका कहीं कार्यान्वयन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से दलहन और तिलहन का उत्पादन किसान नहीं कर पा रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरे चरण में स्वीकार किया है कि दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है, किन्तु गेहूं, गन्ना आदि फसलें अधिक क्षेत्रफल में बोये जाने के कारण तिलहन के उत्पादन में वर्ष 1999-2000 में कमी आयी है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो दलहन और तिलहन के किसान हैं उनको सुविधाएं देने के लिए, बुवाई क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए और जो अन्य समस्याएं हैं प्रदेश में इन उत्पादों की कमी, उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ? ताकि उसका उत्पादन बढ़े ? किसान गेहूं और अन्य जो फसलें पैदा कर रहा है उसके अलावा तिलहन और दलहन को भी बोये। क्या कोई योजना माननीय मंत्री जी बना रहे हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, भारत सरकार की योजनाएं हैं वह कार्य कर रही हैं। मान्यवर, जैसा स्वयं लिखा है जैसे-जैसे सिंचाई के साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं वैसे-वैसे क्षेत्रफल प्रभावित होता जा रहा है। अभी तक एकल फसल की व्यवस्था लागू की गयी है। हमारे यहां मिलवां खेती की जाती थी अधिकांशतः तिलहन मिश्रण खेती में लिया जाता था जबसे एकल खेती हुई तब से तिलहन का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। इस पर विचार किया गया है, भारतीय अनुसंधान परिषद् से और कृषि विश्वविद्यालयों से विचार-विमर्श चल रहा है क्या तिलहन की मिश्रण खेती को मिश्रण खेती के रूप में बढ़ाने के लिए जो इसका क्षेत्रफल है, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया जाए ? भारत सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गयी है, डा० परौदा की अध्यक्षता में, यह कमेटी गठित की गयी है उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उन्होंने संस्तुतियां दी हैं उन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे सुझाव दिये हैं जिससे दलहन तिलहन में उत्पादन और उत्पादकता और क्षेत्रफल में वृद्धि के प्रयास किये जायेंगे।

आज जो सुविधायें अनुमन्य हैं भरसक यह प्रयास किया जा रहा है कि किसानों तक इनको पहुंचाया जाए। अब मिशन टेक्नोलौजी के नाम से योजनाओं को चलाया जा रहा है अधिकांश जनपद को चयनित किया गया है, भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। बीज में शुरू से अनुदानित कर दें अलग से अनुदान बांटने की व्यवस्था नहीं करते हैं जो बीज पहुंचाया जाता है वह अनुदानित बीज रहता है ताकि दुविधा न रहे कि पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। शेष योजनायें बताई हैं माननीय सदस्य को सूची उपलब्ध कराई है। जो सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं इनका प्रदर्शन किया जाता है। जो जनपद हैं इन पूरे गांवों की पूरे जनपदों की सूची, खण्ड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर उपलब्ध कराई जाएं यह कहा गया है ताकि माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त कर सकें। निर्देश यह दिये गये हैं कि जिस क्षेत्र में जहां कार्य हो रहा है उस क्षेत्र की सूची वहां उपलब्ध कराई जाए। प्रयास यह

किया जा रहा है कि अनुश्रवण अधिक से अधिक किया जाए । अगर कहीं सूची उपलब्ध नहीं है तो कार्यवाही के प्रयास किये जा रहे हैं । यह विचारणीय विषय है मैं जानता हूं कि दलहन की फसलों में चिन्ता आ रही है इस सदन में पहले भी माननीय सदस्य जिज्ञासा उत्पन्न कर चुके हैं । नीलगाय–बनरोज से समस्या पैदा हो रही है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो निराकरण के उपाय हैं वह प्रभावी नहीं हो रहे हैं । यह कहने में मुझे संकोच नहीं है । शासन स्तर से निर्देश निर्गत किये हैं वह प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं । दलहन की फसल को नुकसान यह बनरोज कर रहे हैं फिर भी इसमें प्रयास कर रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन घट रहा है । आज से पांच साल पूर्व पांच प्रतिशत तिलहन का आयात होता था, पांच साल के अन्दर चालीस फीसदी तिलहन का निर्यात कर रहे हैं यह इतना बढ़ गया है जो उपयोग खपत है दोनों में इतना ज्यादा अन्तर हो रहा है । आपने जो बताया कि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है । मान्यवर, दलहन का हमारे ग्रामीण इलाकों में, 60–70 प्रतिशत लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है । तो तिलहन और दलहन के लिए, दलहन में एक फसल मिलती है और जबकि धान और गेहूं में दो फसल पैदा कर लेते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान का उत्पाद बढ़ाने के लिए क्या दामों में इतनी वृद्धि करेंगे कि किसान धान और गेहूं को छोड़कर दलहन और तिलहन का उत्पादन करें । क्या इस पर सरकार विचार करेगी ? और कोई नयी नीति कार्यक्रम बनायेगी जो कि समयबद्ध हो और उत्पादन बढ़ सके ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, दलहन के विषय में कुंवर साहब ने पूछा है । जो ब्योरा दिया है उसमें दलहन में उत्पादन बढ़ा है । 1997-98 से 1999-2000 के बीच में 2.72 लाख कुन्तल प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ा है । उत्पादकता भी 8.25 कुन्त प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 9.64 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हुई है । पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाय तो हो सकता है दलहन में कमी आ रही हो । जहां तक दलहन के मूल्य के बारे में कहा गया है यह स्वयं अधिक हो रहा है । आपने कहा कि यह इतना महंगा हो गया है कि गांव के लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । तो उसका मूल्य तो अधिक हुआ है । यह कहा गया है कि दलहन में वृद्धि का उत्पादन घट रहा है लेकिन प्रदेश में यह घटा नहीं है । दलहन के उत्पादन में, जो हमारे लिए विचारणीय विषय है, वह यह है कि दलहन का क्षेत्रफल घटा है । यद्यपि उसका उत्पादन अधिक है । उत्पादकता भी अधिक है और इसका कारण यह है कि एक जंगली जानवरों से नुकसान.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह है कि दलहन मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करेंगे ताकि गेहूं और धान की खेती को छोड़कर किसान दलहन की ओर आकर्षित हो जायें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह तो मैं नहीं कह पा रहा हूं कि गेहूं और धान की खेती को छोड़कर दलहन की तरफ आकर्षित हो जायें । हम प्रयास कर रहे हैं कि जो क्षेत्रफल घट रहा है तो अधिक से अधिक जायद की फसल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिल रही है । मूंग, उड़द इत्यादि की फसलें हैं । गेहूं और धान किसान न बोये और दलहन बोये तो इससे मैं सहमत नहीं होऊंगा । लेकिन हम जायद में लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें किसान सहमत भी हो रहे हैं और हमको इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं । हम प्रयास कर रहे हैं कि शार्ट इयूरेशन की फसल बोयें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, तिलहन के बारे में पूछा था ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, तिलहन में, मैं जरूर थोड़ा सा देख रहा हूं कि एरिया घट रहा है, पैदावार घट रही है। तिलहन में दो-तीन चीजें इस समय विचाराधीन हैं एक तो अपने यहां मूंगफली की खेती वह करीब-करीब नगण्य सी हो गयी है इस पर विशेष रूप से कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं कि मूंगफली की खेती को पुनः प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाये । श्रीमन्, इसमें जहां से मूंगफली की खेती अगर गायब हो गयी है तो उसे कैसे प्रोत्साहित किया जाये इसमें कार्यक्रम किया जा रहा है और किसान भी सहमत हैं, वैरायटीज मिल जायेगी और लाभ हो सके । मान्यवर, सूरजमुखी की जो वैरायटीज लगायी थी उसमें पैदावार अच्छी हुई थी लेकिन मार्केटिंग उसकी जिस तरह होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। मार्केटिंग में क्या व्यवस्था की जाये, अलग से विचार कर रहे हैं । मान्यवर, मूंगफली की खेती की जो बात है उसमें भी यह दिक्कत आ सकती है मार्केटिंग की, लेकिन यह चीजें तिलहन की कमी को पूरा कर सकती हैं । मान्यवर, सूरजमुखी जायद की क्राप में मिल रही है, थर्ड क्राप में अधिक ले पा रहे हैं। मूंगफली लाभप्रद है, इसी तरह से अलसी की वैरायटीज कानपुर कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है वह पैदावार बहुत ले रही है इसमें हमने विचार-विमर्श किया है कुछ क्षेत्रों को चयनित करके हम केवल इस वैरायटीज की फसलों को लेने जा रहे हैं । जहां तक गेहूं और धान अच्छी तरह नहीं हो रहा था दलहन और तिलहन के लिए, परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन की बात है ।

श्री अवधेश प्रताप–

मान्यवर, दलहन और तिलहन का क्षेत्रफल दिनों-दिन घटता जा रहा है यह बहुत ही चिन्ता का विषय है । जब क्षेत्रफल घट रहा है और जंगली जानवरों का उस पर आक्रमण हो रहा है तो शासन इस दिशा में सब्सिडी देने पर विचार करेगी जिससे हमारे क्षेत्रफल न घटे और लोगों को दलहन और तिलहन की खेती में प्रोत्साहन मिल सके और जो जंगली जानवरों से नुकसान होता रहता है उससे उसकी भरपाई भी हो सके ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जंगली जानवरों से जहां तक नुकसान का प्रश्न है शासन ने निर्देश जारी किये हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है । हम प्रयासरत हैं कि ऐसे क्षेत्रों को दलहन और तिलहन के क्षेत्र में परिवर्तित करें जहां धान और गेहूं की फसल पूरी तरह से नहीं हो पा रही है । इन क्षेत्रों का परिवर्तन करके डबल क्रापिंग और क्रापिंग इंटेन्सिटी बढ़ाकर दलहन और तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके और किसानों की रुचि हो सके ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, क्षेत्रफल बढ़ाने की जो बात है अभी नीलगाय (वनरोज) का जिक्र आया । मान्यवर, पूरे प्रदेश में इन वनरोज से नुकसान हो रहा है दलहन और तिलहन को नुकसान हो रहा है । आपने यह व्यवस्था की है कि उसको मारना है तो डी० एम० से परमीशन लें । मान्यवर, वे सैकड़ों-सैकड़ों के झुण्ड में चलते हैं और फसलें रातों-रात बर्बाद कर देते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसकी कोई सरलीकरण नीति बनायें और किसानों को खुली छूट दे दी जाय जो लाइसेंसधारी हैं उनको । मान्यवर, यह जो इस तरह से हजारों एकड़ फसल तैयार होने के बाद बरबाद हो जाती है तो इन वनरोजों को समाप्त करने के लिए कोई ऐसी सरलीकरण बनायेंगे कि किसान इनको मारकर अपनी फसलों की सुरक्षा कर सके या ऐसी कोई नीति बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने स्वयं इसको स्वीकारा है। यद्यपि इसमें नीति निर्धारण किया गया है, निर्देश दिये गये हैं परन्तु जितना इस पर प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। यह आवश्यक है कि इस पर कुछ सरलीकरण किया जाय और इस पर कुछ कदम उठाये जायं। ताकि प्रभावशाली नियंत्रण हो सके, इस पर विचार करना पड़ेगा। माननीय वन मंत्री जी आ गये हैं, उनके संज्ञान में बात आ गयी है, हम लोग बैठकर इस पर बात करेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई स्पष्ट व्यवस्था आ जाय, माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन दें दें ताकि किसान उसको खुले रूप में मार सकें। अभी किसान किसी बनरोज को मारता है तो उसकी एस० डी० एम० से परमीशन लें, बहुत बवाल शुरू हो जाता है तो इस पर कोई व्यवस्था आ जाय ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना आवश्यक है और विचार किया जायेगा।

डॉ० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बनरोज को मारने के लिए इनके मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ है कि उनको मारा जा सकता है और फसल की बरबादी की बात कही गयी लेकिन बनरोज चाहे नीलगाय कहिये, उनका पक्ष प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है अगर वह कुछ नुकसान कर रहा है तो इसके लिए हर ब्लाक में एक हिस्सा रिजर्व फारेस्ट का तैयार रखा जाय जहां वाइल्ड लाइफ हो, बनरोज या और जो हैं उस पर पनाह ले सकें। मान्यवर, इन बेगुनाह जानवरों को मारने के लिए आदेश जारी हुआ, किस बेरहमी से मारा जाता है कभी इस पर विचार किया है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मैं स्वयं किसान हूं, माननीय मंत्री जी जानते हैं लेकिन इसमें कोई न कोई व्यवस्था जरूर की जाय जैसे हर ब्लाक के अन्दर 100–150 या 200 एकड़ रिजर्व फारेस्ट बनाया जाय, जहां पर ये जानवर पनाह ले सकें; उनको प्रोटक्शन दे सकें। वरना हम अहिंसा की बात करते हैं और जिस तरह से जाल लगाकर बेरहमी से इन जानवरों का वध हो रहा है और इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मान्यवर, हर ब्लाक के अन्दर एक एरिया रिजर्व करें ताकि वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से सुरक्षित रह सके।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय विद्वान सदस्य ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात उठायी है। मान्यवर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जिन देशों में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इनवायरनमेन्ट इक्वलीब्रियम मेन्टेन करने की अत्यधिक जागरूकता है वहां इन्टलफ वाइल्ड जिसमें बनरोज भी आता है उनकी जो प्रजनन क्षमता है उसको इलीमिनेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए एक पीरियड निश्चित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष अपनी वाइल्ड लाइफ सोसाइटी की तरफ से यह बात, बार-बार उठायी जाती है कि मान्यवर, जानवरों को मारा जा रहा है लेकिन वाइल्ड लाइफ सोसाइटी इस बात को नहीं उठाती है। इसकी प्रजनन क्षमता क्या है और इसका इनवायरेनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

मान्यवर, दोनों की इक्विबिलरियम मेन्टेन करना पड़ेगा, इसलिए यह आवश्यक होता है। आप किसी भी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज को देख लें, वहां पर इन्टल्प वाइल्ड की प्रजनन क्षमता को देखते हुए महीना, डेढ़ महीना, दो महीना के लिए शूटिंग एलाऊ किया जाता है। अपने यहां भी ऐसा कोई

प्राविधान होना चाहिए ताकि जो ऐसी किस्में हैं जिनकी प्रजनन क्षमता अधिक है, जिनसे इक्वीबिलरियम डिस्टर्ब हो रहा है, उन्हें सीमित करने के लिए निश्चित निर्णय लिया जाय यह आवश्यक है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया । मान्यवर, आप भी काफी विदेश घूमे हैं और माननीय मंत्री जी भी काफी घूमे हैं । जितनी भी बातें कर रहे हैं कि चाहे डी० एच० डी० हों, शूटिंग का पीरियड खुला होता है और जब शूटिंग की इजाजत होती है, उनसे उनकी फीस जमा करवाई जाती है ताकि यदि कोई पीजेन्ट्स मारना चाहता है तो उसके 30 अंकों की कीमत जमा करवाई जाती है ताकि उसकी कमी पूरी की जा सके । मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि जो उनके नेचुरल हैबीटेट्स हैं, वनरोजों के, उनको बचाने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है ? यदि नहीं उठाया है तो क्या यह हमारा अधिकार है कि हम खुलेआम उनका कत्लेआम करें । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि हर ब्लाक, हर तहसील में, एक रिजर्व फारेस्ट बनाया जाय ।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे सोफिया हो, लंदन हो, न्यूयार्क हो, हर जगह रिजर्व फारेस्ट शहर के अन्दर बनाये गये हैं, आसपास बनाये गये हैं, ताकि इस तरह की चीजें पनाह ले सकें । यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल एक आदेश जारी कर दिया गया है कि इस सरकार के जमाने में सारे वनरोजों का वध कर दिया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि इस वध को समाप्त किया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे यह वन्य जीव पनाह ले सकें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, हैबीटैट्स को डिस्ट्राय करने की जिम्मेदारी, इन 3 सालों में, हम लोगों की नहीं है । जो यहां रहे हैं, इन कुर्सियों पर बैठे हैं, पिछले 20 सालों में सम्मानित सदस्य भी रहे हैं, यह जिम्मेदारी उन्हीं की है । अब यह तो चिन्ता का विषय हो ही गया है, केवल चिन्ता छोड़ गये हैं और क्या छोड़ गये हैं ? अब इनके निराकरण और व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसकी व्यवस्था की जा रही है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जिम्मेदारी टालने की बात है । यह आदेश अभी जारी हुआ है, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है । मैं तो आपके माध्यम से स्मरण कराना चाहूंगा कि मंत्री जी कभी हमारे साथ थे, कभी हमको तुमसे प्यार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो । यह बात यहीं खत्म नहीं होती, मैं यह स्पष्ट जानना चाहूंगा कि वनरोजों, नीलगायों को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर ब्लाक, हर तहसील में एक रिजर्व फारेस्ट आरक्षित कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उसका उत्तर दे दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जो सुझाव है, इस पर देखते हैं, क्या होता है ?

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय सदस्य का पशुओं के प्रति जो प्रेम है, वह सराहनीय है । लेकिन इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, वह नजरअंदाज नहीं होना चाहिए । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि एक रिजर्व फारेस्ट का निर्माण कर दिया जाय और वहां उनको सुरक्षित किया जाय । इसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह बना दिया जाय तो क्या वहां उनको चरने के लिए, रहने के लिए बाध्य

किया जा सकता है ? और दूसरी बात जानना चाहता हूं जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है तो क्या इस पर सरकार विचार करेगी कि इनकी प्रजनन क्षमता को शून्य करने के लिए कोई अभियान चलायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

वैसे बात आ गयी है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा माननीय सदन में, कि यह एक चिन्ता का विषय है, इस पर निश्चित रूप से विचार-विमर्श किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की मांग

1–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के उद्योग विहीन 91–मल्लावां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

(क) उ० प्र० शासन द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जनपद का औद्योगिक विकास करना है । इस नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जनपद में औद्योगिक इकाइयों के लक्ष्य निर्धारित कर उनकी निजी उद्यमियों द्वारा स्थापना की जाती है ।

(ख) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद की भांति हरदोई जनपद में औद्योगिकीकरण हेतु नई इकाइयों के स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । जनपद हरदोई, मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 तक कुल 282 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं । वर्ष 2000-2001 में 40 लघु औद्योगिक इकाइयों के स्थापना के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 33 नई इकाइयां और स्थापित हो चुकी हैं ।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में स्थित सर्वे-नायब तहसीलदार के कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग

2–श्री दीप लाल भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में वर्ष 1989 में स्थापित कार्यालय सर्वे-नायब तहसीलदार जिसमें 28 गांव का निस्तारण होना था, कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अभिलेख कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी, कुशीनगर से प्राप्त सूचनानुसार सर्वे नायब तहसीलदार खड्डा, जनपद कुशीनगर के कुल 42 ग्रामों में से 28 ग्रामों के शुद्ध अभिलेख तैयार कराकर पूर्व की सर्वेक्षण इकाई बलिया के रिकार्ड रूम में जमा करा दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के पशुधन विकास अधिकारी के कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कार्यवाही की मांग

3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–हरदोई के पशुधन विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार के संबंध में संसद सदस्य हरदोई श्री जय प्रकाश का पत्र दिसम्बर, 2000 तथा जनवरी, 2001 के मध्य उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां।

जांच कराई गयी तथा कतिपय बिन्दुओं पर पुनः विशेष सम्परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में लेखपालों को अपने संबंधित क्षेत्रों में रहने की मांग

4–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि लेखपालों को उनके संबंधित क्षेत्रों में जाने का आदेश समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या किसानों की कठिनाईयों को देखते हुये उन्हें सप्ताह में पांच दिन क्षेत्र में रहने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के श्री बाबू बघेल की जमीन को अनुसूचित जाति के नाम करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

5–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू बघेल निवासी–राधाकुण्ड मथुरा की जमीन को अनुसूचित जाति के नाम करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/ एम–/42668/मथुरा/2001, दिनांक 15-2-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–42668/मथुरा/2001, दिनांक 15-2-2001 पर जांच करायी गयी। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बाबू बघेल के पिता के

नाम गाटा संख्या–609 रकबा 0.22 एकड़ तथा गाटा संख्या–610 रकबा 0.61 एकड़ एवं गाटा संख्या–611 रकबा 0.72 एकड़ भूमि का कभी भी पट्टी नहीं हुआ है ।

उद्धरण खतौनी 1391 से 1396 फसली में प्रश्नगत भूमि श्रेणी–5 बंजर भूमि अंकित है । प्रश्नगत भूमि का पट्टा उप जिलाधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 31-7-87 को श्री दौलतराम पुत्र श्री श्याम निवासी नगला सांखी भाग राधाकुण्ड के नाम किया गया था, जिसका अलम बरामद चकबन्दी अधिकारी अन्तिम अभिलेख, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-12-98 के क्रम में चकबन्दी विभाग द्वारा किया गया है । वर्तमान ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चल रहा है । प्रार्थी का कथन असत्य एवं निराधार है ।

6–श्री अजय कुमार पोइया–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के ग्राम धुरियापार में अवैध रूप से कब्जा की गयी ग्राम समाज की जमीन से लोगों को बेदखल कराने की मांग

7—श्री मो० मुकीम–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा धुरियापार, तहसील–सहजनवा, जिला–गोरखपुर के गाटा सं०–104, 145 तथा 467 जो कि ग्राम समाज की जमीन है, पर गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भूमि पर किये गये कब्जे को हटवा कर गांव के भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को उसका पट्टा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–145 के अंश भाग 0.028 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा पाया गया । शेष आराजियात पर अवैध कब्जा नहीं है ।

अवैध कब्जा हटवा दिया गया है और आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी स्थित पं० दीनदयाल उपाध्याय सभागार परिसर में लगी मूर्ति में परिवर्तन करने की मांग

8—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद झांसी में स्थित पं० दीनदयाल उपाध्याय सभागार परिसर में लगी आदमकद मूर्ति पं० दीनदयाल उपाध्याय के चेहरे से मेल नहीं खाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस की जांच कराकर मूर्ति को बदलवाने हेतु कार्यवाही करेगी व दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की मांग

9—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में स्पोर्टस कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-9-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)–

जी हां ।

प्रकरण सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के किशुनपुर मण्डी समिति एवं खागा समिति की आय में कमी होने के कारणों की जानकारी

10—श्री मुरलीधर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फतेहपुर में कृषि उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी किशुनपुर मण्डी समिति एवं खागा समिति की आय में गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1999-2000 में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद फतेहपुर की मण्डी समिति किशनपुर की आय में गत वर्षों की तुलना में कृषि वर्ष 1999-2000 में गिरावट नहीं आयी । मण्डी समिति खागा की आय में मात्र कृषि वर्ष–1998-99 की तुलना में कृषि वर्ष–1999-2000 में 2.6 प्रतिशत की कमी गेहूं के आवक में कमी के कारण हुई ।

उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में बनाई गई योजना

11—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कोई योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या जनहित में ऐसी कोई योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनायें पूर्व से ही बनी हैं अतएव उन्हीं का प्रदेश में संचालन किया जा रहा है तथा कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है ।

खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड योजना का संचालन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम भारत एवं प्रदेश सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात से वित्त पोषित है । राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । इन योजनाओं के अन्तर्गत बीजों के वितरण खण्ड प्रदर्शनों के आयोजन, कृषि रक्षा उपकरण एवं उन्नतिशील कृषि यंत्र वितरण, जैविक उर्वरकों आदि के वितरण पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि योजनायें पूर्व से ही बनी हैं उन्हीं को संचालित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांवों में सरकारी भूमि के पट्टों से सम्बन्धित नीति की जानकारी

12—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांवों में सरकारी भूमि के पट्टों से पूर्व चिकित्सालय, पाठशाला, क्रीड़ास्थल, शमशान स्थल आदि के लिये भूमि आरक्षित की जाती है ? यदि हां, तो उसकी नीति क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सरकारी भूमि के पट्टे राजस्व विभाग द्वारा किये जाते हैं । चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–8-क तथा इसके अन्तर्गत बने जोत चकबन्दी नियम 24-क (2) के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा गांव की चकबन्दी समिति के परामर्श से सार्वजनिक कटौती से सिद्धान्तों के विवरण पत्र की तैयारी के समय जोत चकबन्दी आकार पत्र–21 में ग्रामों की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय, पाठशाला, क्रीड़ास्थल, शमशान एवं स्कूल आदि के लिए भूमि आरक्षित की जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में पंचायत भवन विहीन ग्रामों में पंचायत भवन बनाने की मांग

13—श्री मुरलीधर–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में किन-किन ग्राम सभाओं में पंचायत भवन निर्मित है ? क्या पंचायत भवन विहीन ग्राम सभाओं में सरकार पंचायत भवन निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कु० शन्नो रिजवी अतिरिक्त प्रतिलिपिक राजस्व अभिलेखागार, फैजाबाद को ड्यूटी करने देने एवं वेतन भुगतान की मांग

14—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु० शन्नो रिजवी, अतिरिक्त प्रतिलिपिक, राजस्व अभिलेखागार, फैजाबाद द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच लखनऊ में दायर रिट याचिका सं० 2342 (एस०एम०) आफ 1998 में वादी को ड्यूटी करने तथा वेतन देने हेतु दिनांक 27-5-98 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति दिनांक 4-6-98 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा रिट पिटीशन संख्या-2342 (एस०एस०)/98 कु० शन्नो रिजवी बनाम राजस्व परिषद, उ० प्र० एवं अन्य में दिनांक 27-5-98 को यह आदेश दिया कि याची कु० शन्नो रिजवी को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उसे कार्य पर रखा जाये एवं वेतन दिया जाये अथवा कारण बताया जाये । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-5-98 के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 10-7-98 को मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दायर कर स्थिति से मा० उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया है । यह रिट याचिका अभी भी मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम तिरही में विवादित चकबंदी प्रक्रिया

15—श्री श्रीराम पाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम तिरही में चकबन्दी प्रक्रिया विवादित होने तथा कृषकों द्वारा अपनी मूलजोत की आराजी पर ही कृषि कार्य करने की मांग को दृष्टिगत रखते हुये चकबन्दी आयुक्त उ०प्र० ने अपने आदेश दिनांक 2-6-88 तथा 2-12-97 द्वारा जिलाधिकारी जालौन से चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) का प्रस्ताव शीघ्र भेजने के आदेश जारी किये थे ? क्या उक्त आदेश दिनांक 2-6-88 सरकारी गजट में दिनांक 29-8-98 को प्रकाशित किया जा चुका था ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी जालौन द्वारा धारा 6(1) का प्रस्ताव भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की सदर तहसील के संग्रह अमीन के लापता होने के कारण उसको मृतक मानते हुए मृतक आश्रित में श्री राजीव तिवारी को नौकरी देने की मांग

16—श्री अब्दुल मन्नान—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की सदर तहसील में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत श्री प्राणनाथ तिवारी राजस्व वसूली पर जाने के उपरान्त दिनांक 21-9-91 को लापता हो गये थे, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23-9-91 को पुलिस में अंकित करायी गयी है ? क्या 7 वर्ष से अधिक लापता कर्मचारी को मृतक मानते हुये उसके आश्रित को सेवायोजित किये जाने का प्राविधान है ? क्या उनके आश्रित श्री राजीव तिवारी को सेवा में लिये जाने की अनुमति हेतु जिलाधिकारी लखनऊ का पत्रांक 839/सी०आर०ए०(आधि०)/98 दिनांक 27 मई, 1998 सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-7 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जिलाधिकारी, लखनऊ का पत्रांक 1989/सी०आर०ए० अधि०/98, दिनांक 27 मई, 98 प्राप्त हुआ । प्रकरण में कार्मिक विभाग का मत प्राप्त किया गया । कार्मिक विभाग के मतानुसार मृतक आश्रित

सेवा नियमावली 1974 लापता/गुमशुदा कर्मचारियों के आश्रितों पर प्रभावी नहीं है । गुमशुदा सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन का कोई प्राविधान नहीं है । अतः सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

जनपद इटावा की तहसील भरथना में ग्राम पुरैला में धारा–52 के प्रकाशन की मांग

17—श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा पुरैला परगना व तहसील भरथना जिला इटावा में चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुये अब तक कितना समय बीत गया है ? क्या वहां चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 का प्रकाशन हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार धारा 52 का शीघ्र प्रकाशन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया चलने लगभग 12 वर्ष हो रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम के संदर्भ लम्बित होने के कारण ।

जी हां ।

31-3-2002 तक ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आगरा के नवनिर्मित फल व सब्जी मण्डी की दुकानों के आवंटन में हुई कथित अनियमितता की जांच

18—श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में नवनर्मित फल व सब्जी मण्डी में दुकानों के आवंटन में भारी अनियमिततायें बरती गयी है ? क्या उक्त आवंटन सम्बन्धी सर्वश्री गौरी शंकर सिंह व जनक राज सिंह के शिकायती-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-3-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र के आधार पर जांच कराकर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का अभिलेखीय परीक्षण कराने पर उठाये गये बिन्दु निराधार पाये गये हैं । अतः किसी जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व परिषद्, लखनऊ के कार्यालय से गायब पत्रावली निगरानी संख्या 264 की खोज कराकर सम्बन्धित न्यायालय को वापस कराने की मांग

19—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ में दाखिल निगरानी संख्या 264 सन् 1987-88 महादेव प्रसाद बनाम गांव सभा मलाक चौधरी, तहसील–सोरांव,

इलाहाबाद में पारित निर्णय दिनांक 28-1-1989 में उपजिलाधिकारी/अपर आयुक्त इलाहाबाद मण्डल के न्यायालयों की पत्रावलियां गायब हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्रावलियां की खोज करवा कर सम्बन्धित न्यायालयों को वापस कराये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी नहीं । राजस्व परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ में दाखिल निगरानी संख्या–264/1987-88 महादेव प्रसाद बनाम गांव सभा मलाक चौधरी, तहसील सोरांव, इलाहाबाद में पारित निर्णय दिनांक 28-1-1989 से सम्बन्धित अपर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के न्यायालय की पत्रावली मण्डलायुक्त कार्यालय के अभिलेखागार में उपलब्ध है । उक्त से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, सोरांव के न्यायालय की पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, इलाहाबाद में उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव की ग्राम सभा की जमीन को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की मांग

20—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, मलाक चौधरी, तहसील–सोरांव, इलाहाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ के आदेश पर नायब तहसीलदार/तहसीलदार सोरांव, इलाहाबाद द्वारा गांव समाज की भूमि संख्या 209 रकबा 2 बिस्वा 10धूर, भूमि सं० 312 रकबा 17 बिस्वा, भूमि संख्या 446 रकवा 17 बिस्वा 2 धूर पर पुनः पूर्व आदेशों के अनुपालन में गांव समाज मलाक चौधरी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या पारित आदेशों की अमल दरामद/इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां । पारित आदेशों का अमलदरामद/इन्द्रीज राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कौशाम्बी तहसील मंझनपुर के ग्राम जाठी में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे से बेदखल करने की मांग

21—श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत–जाठी, तहसील मंझनपुर, जनपद–कौशाम्बी की आराजी संख्या–956 पर श्री बच्चालाल मौर्य पुत्र श्री गंगादीन मौर्य द्वारा जबरन कब्जा करके तालाबी रकबा को अवैध रूप से श्री दीनानाथ यादव पुत्र श्री राम संजीवन यादव को बीस हजार रुपये में बेच दिया है ? क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रधान, ग्राम सभा जाटी की शिकायत पर तहसीलदार मंझनपुर ने श्री बच्चालाल के खिलाफ धारा–122 (बी) के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 16-6-99 को दिये थे ? क्या गतवर्ष श्री दीनानाथ यादव ने उक्त भूखण्ड तथा उस पर बनाये गये कच्चे मकान को गांव के किसी अन्य को पचास हजार रुपये में बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर गांव समाज की भूमि को वापस कराने और अवैधानिक क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरदोई के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच

22—श्री सन्त प्रसाद–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद श्री जय प्रकाश का पत्र दिनांक 3 अगस्त, 2000 एवं 18 सितम्बर, 2000 तथा श्री राज कुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 5 अगस्त, 2000 जो श्री एम०एल० खरे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा किये गये सरकारी धन के दुरुपयोग तथा कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध, में है मुख्य मंत्री को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

जी हां ।

जांच रिपोर्ट वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है तथा कतिपय बिन्दुओं पर पुनः विशेष सम्परीक्षण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्याम लाल, सहायक कृषि निरीक्षक बीज भण्डार खुटहन, जनपद जौनपुर का विवादित उत्तराधिकार प्रकरण

23—श्री सन्त प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री श्याम लाल सहायक कृषि निरीक्षक बीज भण्डार खुटहन, जनपद जौनपुर की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 27-8-99 को हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इनकी पत्नी श्रीमती मन्तोरा देवी के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी एवं आश्रितों को समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

उत्तराधिकार प्रकरण विवादित होने तथा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र सक्षम न्यायालय का प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही अवरुद्ध है ।

24—श्री सन्त प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी हिन्दू परिवार के सरकारी सेवक को अपने सेवाकाल में पहली पत्नी के रहते हुये दूसरी शादी करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि श्री श्याम लाल, सहायक कृषि निरीक्षक बीज भण्डार खुटहन, जनपद जौनपुर की पहली पत्नी श्रीमती मनतोरा के रहते हुये भी अवैधानिक तरीके से उनके सेवा अभिलेखों में सावित्री देवी को भी उनकी दूसरी पत्नी के रूप में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

स्व० श्री श्याम लाल की सेवा पुस्तिका में 11 सितम्बर, 1980 से विवाहित पत्नी के रूप में श्रीमती सावित्री देवी का नाम दर्ज है। श्रीमती मनतोरा देवी (स्व०) श्री श्याम लाल की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 30-8-99 को प्रार्थना-पत्र देते हुए विवाहित पत्नी होने के सबूतों की अप्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करते हुए प्रकाश में आयी।

इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मांगा गया है। इस स्तर पर कोई दोषी नहीं है, फलतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

पांडिचेरी में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज फुटबाल प्रतियोगिता में नियम विरुद्ध प्रदेशीय टीम का मैनेजर एवं कोच नामित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25–श्री अशोक कुमार–

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5 से 7 फरवरी, 2001 तक पांडिचेरी में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज फुटबाल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम का मैनेजर व कोच किसको नामित किया गया था ? क्या नामित किये गये मैनेजर व कोच द्वारा फुटबाल खेल के किसी स्तर के प्रतियोगिता में भाग लिया गया है अथवा फुटबाल संबंधी कोई प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ? यदि नहीं, तो मैनेजर व कोच नामित किये जाने का आधार क्या है ? क्या नियमों के विरुद्ध मैनेजर व कोच नामित करने हेतु संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां। श्री केदार नाथ दुबे, प्रारम्भिक खेल प्रकोष्ठ, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मैनेजर एवं श्री रामबली, प्रवर वर्ग सहायक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को कोच नामित किया गया था। नामित मैनेजर श्री केदार नाथ दुबे द्वारा फुटबाल खेल की किसी प्रतियोगिता का प्रमाण-पत्र तो नहीं प्रस्तुत किया गया था किन्तु कार्यालय ज्ञाप संख्या–एसपी–988/बयालिस–9/एसपी/9/90, दिनांक 31 मार्च, 1990 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अर्हता के आधार पर उन्हें मैनेजर नामित किया गया। जहां तक कोच का प्रश्न है इस बारे में शासन के खेल विभाग में योग्यता सम्बन्धी कोई मापदण्ड/गाइड लाइन एवं अर्हताएं निर्धारित नहीं है। ऐसी दशा में कोच का नामांकन उसकी उपयुक्तता एवं खेल के प्रति समर्पण भावना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नामित कोच द्वारा फुटबाल खेल का खिलाड़ी/कोच होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। मैनेजर एवं कोच के नामांकन में कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सहारनपुर मण्डल में चकबन्दी विभाग के समूह 'घ' से समूह 'ग' में कर्मचारियों को प्रोन्नत किये जाने का विवरण

26–श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री सुशील शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–2280/1-9-92-11-16(37)/86, दिनांक 4-8-1992 के अनुसार सहारनपुर मंडल में समूह "घ" चकबन्दी विभाग के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो उक्त शासनादेश के अनुसार समूह "ग" में प्रोन्नति की पात्रता रखते हैं ? क्या उनको प्रोन्नत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

शासनादेश सं०–2280/1-9-92-11-16(37)-86, दिनांक 4-8-1992 भूलेख अधिष्ठान (मैदानी क्षेत्र) में कार्यरत समूह "घ" के कर्मचारियों की समूह "ग" के निम्नतम श्रेणी पर प्रोन्नति देने

हेतु 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने की व्यवस्था है । उक्त शासनादेश चकबन्दी विभाग पर लागू नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27–श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री सुशील शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–2280/2-9-92-11-16(37)/86 दिनांक 4-8-1992 के प्राविधानों के अनुसार सहारनपुर मंडल के चकबन्दी विभाग में कब तक कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति समूह ''ग'' में कब-कब की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के पशु चिकित्सालय मीरानपुर कटरा में चपरासी के पद से सेवानिवृत्त श्री राधेश्याम के देयों के भुगतान की मांग

28–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री को जानकारी है कि राधेश्याम पुत्र स्व० मैकूलाल पद चपरासी, पशु चिकित्सालय मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर से दिनांक 16-7-1998 को सेवा निवृत्त हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सेवा निवृत्त कर्मचारी को दिये जाने वाले सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

श्री राधेश्याम पुत्र स्व० मैकूलाल, चपरासी, पशु चिकित्सालय, मीरानपुर कटरा, जनपद–शाहजहांपुर से दिनांक 31-7-99 को सेवानिवृत्त हुए हैं ।

श्री राधेश्याम के अर्जित अवकाश एवं जी० पी० एफ० का भुगतान किया जा चुका है, उनकी ग्रेच्युटी एवं राशिकरण तथा जी० आई० एस० का भुगतान जिला पंचायत द्वारा उनकी पेंशन अंशदान की कटौती जमा न करने के कारण नहीं हो पाया है ।

जिला पंचायत द्वारा अंशदान का भुगतान किये जाने पर उक्त अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज के ग्राम गोविन्दपुर में बन्द पड़े सार्वजनिक मार्ग को खुलवाने की मांग

29—श्री उदयराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–2–209302 दि० 14-9-2000 जो जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज, परगना निगोहा, कुरौली मजरा गोविन्दपुर में सार्वजनिक मार्ग को गांव के दबंग लोगों द्वारा बन्द कर देने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत पत्र अनुपलब्ध है ।

प्रकरण में अवैध अतिक्रमण हटाकर वांछित कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अंगरावां में ग्राम प्रधान द्वारा कथित रूप से की गयी वित्तीय अनियमितता

30–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–148 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में संबंधित प्रधान को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गयी थी तथा उससे कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये ? क्या उनका मौके पर निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो कब-कब तथा उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार इस प्रकरण में हुई वित्तीय अनियमितताओं की वसूली संबंधित प्रधान से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

प्रधान अंगरावा को विभिन्न मदों में निम्न प्रकार धनराशि दी गई :—

1–ज० रो० यो०	1,44,536.00 रु०
2–दशम वित्त आयोग	41,656.00 रु०
3–राज्य वित्त आयोग	34,875.00 रु०

सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राममूर्ति सिंह अभिलेखों को लेकर फरार हैं जिससे निर्माण कार्यों की जानकारी सम्प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जी, हां ।

दिनांक 9-12-99 एवं 19-1-2001 को जांच कराई गई । जांच आख्या संलग्न है । जांच आख्या में प्रथम दृष्टया अनियमितता दृष्टिगोचर होती है किन्तु अभिलेख न उपलब्ध होने से वित्तीय अनियमितता प्रकट नहीं हो सकी, अभिलेख न उपलब्ध कराने के कारण श्री राममूर्ति सिंह, ग्रा० पं० वि० अ० के विरुद्ध एफ० आई० आर० करते हुए निलम्बित भी कर दिया गया है तथा प्रधान को भी निलम्बित करते हुए त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है ।

जांचोपरान्त वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित प्रधान से की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 118 पर)

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के ग्राम पंचायत धरवासपुर तालाब के बकाया धनराशि की वसूली

31—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रधान, ग्राम पंचायत–धरवासपुर, परगना हवेली तहसील–चुनार, मीरजापुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-5-2000, जो ग्राम सभा के तालाब के वार्षिक किस्तों के बकाया धनराशि की वसूली एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने विषयक है उप जिलाधिकारी, चुनार, जिला–मीरजापुर को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी, चुनार द्वारा पत्रांक मेमो/आ०लि०–मत्स्य पालन पट्टा, दिनांक 3-6-2000 के तहत पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 3-6-2000 को पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी, पट्टाधारक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह भूतपूर्व प्रधान ने आपत्ति दाखिल की थी । परगनाधिकारी, चुनार के आदेश दिनांक 23-4-2001 को प्रश्नगत पट्टा निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में पशु सेवा केन्द्र रुद्रपुर का भवन निर्माण

32—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-9-2000 जो पशु सेवा केन्द्र रुद्रपुर जनपद शाहजहांपुर का भवन निर्माण कराये जाने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

वर्ष 2001-2002 की जिला योजना में उक्त पशु सेवा केन्द्र के भवन निर्माण हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समित से रु० 3.32 लाख का परिव्यय अनुमोदित है । बजट व्यवस्था के होने पर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम चिलौली में तालाब को आबादी घोषित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

33—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कायमगंज जनपद–फर्रुखाबाद के ग्राम चिलौली शहरी तहसील कायमगंज की गाटा संख्या 1058 मि० रकबा 0.174 है० को तालाब से बदल कर आबादी घोषित करके धारा–132 की भूमि को सरबर खां पुत्र सरताल मोहम्मद को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की किस धारा के तहत आवंटित किया गया है ? क्या उक्त एक्ट की धारा के अनुसार उक्त किया गया आवंटन नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम चिलौली शहरी, तहसील कायमगंज, जिला–फर्रुखाबाद गाटा सं०–1058 मि० तालाब श्रेणी 6(1) की भूमि आबादी श्रेणी 6(2) में घोषित करने के आदेश तत्कालीन उप जिलाधिकारी, कायमगंज द्वारा पारित किये गये थे । श्री सरवर खां उर्फ अच्छू खां पुत्र सरफराज मो० खां निवासी रेलवे रोड कायमगंज को गाटा संख्या 1058 मि० तालाब का कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कायमगंज के ग्राम अमलैया आशानन्द में कब्रिस्तान को आबादी घोषित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

34—श्री गजेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम अमलैया आशानन्द तहसील कायमगंज की गाटा संख्या–389 रकबा 0.35 एकड़ को कब्रिस्तान से बदल कर आबादी हेतु आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य उप

जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी उप जिलाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

गाटा संख्या–389/0.35 एकड़ बहुत पुरानी आबादी है, त्रुटिवश अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज था, जो समुचित जांचोपरान्त मौके के अनुसार दिनांक 25-4-99 को संशोधित कर आबादी दर्ज किया गया है । गाटा संख्या–547 कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग हो रहा है ।

इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त कानपुर को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद गोण्डा के टिकरी से रौजा मार्ग के अवशेष का लेपन कार्य

35—श्री राम विशुन आजाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में टिकरी से रौजा मार्ग के लेपन हेतु वर्ष 1997-98 में मण्डी परिषद् द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ? क्या आवंटित धनराशि से उक्त मार्ग का लेपन करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवशेष मार्ग के लेपन हेतु धन आवंटन कर मार्ग को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1997-98 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी, बल्कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रुपये 8.80 लाख आवंटित किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज के ग्राम रेतवा, चन्द्रभानपुर में बंजर जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की मांग

36—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में रेतवा, चन्दभानपुर गांव के अन्दर आराजी नं० 3330 में 340 कड़ी का बंजर है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण करके मकान बना लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

आ० नं० 3330 साबिक नम्बर है जिससे हाल नं० 1306-100 कड़ी व 1304/-090 कड़ी 1151/1436/-100 कड़ी तथा 1151/-100 कड़ी बना है जिसमें आराजी नं० 1306/-100 कड़ी नवीन परती व आ० नं० 1304/-090 कड़ी राम चन्द्र की भूमिधरी, 1151/1436/-100 कड़ी बंजर, 1151/-100 कड़ी आबादी श्रेणी 6(2) अंकित है । उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण नहीं किया गया है, अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

कोआपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारियों को मण्डी परिषद् में संविलियन का प्रकरण

37—श्री प्रमोद कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोआपरेटिव सोसाइटी कारपोरेशन के कर्मचारियों को अवैध रूप से मण्डी परिषद् में डेपूटेशन पर लिया गया है ? क्या यह भी सही है कि अवैध रूप से संविलियन करने पर रोक लगी होने के बाद भी उक्त कर्मचारियों का संविलियन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

सम्प्रति कोई संविलियन नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तहसील बांदा के ग्राम जसपुरा में सड़क के दोनों ओर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण

38–श्री मूलचन्द–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जसपुरा क्षेत्र पंचायत जसपुरा तहसील व जनपद बांदा से गुजरने वाली जसपुरा से भरुआ सुमेरपुर और जसपुरा से गौरीकला की सड़कों के दोनों तरफ गांव समाज की जमीन पर किन-किन व्यक्तियों ने मकान एवम् दुकानों का निर्माण कराया है ? क्या इनका पट्टा या बिक्री गांव समाज द्वारा की गयी है और रजिस्ट्री करायी गयी है ? यदि नहीं, तो उससे राजस्व की कितनी हानि हुई है ? क्या गांव समाज की जमीन पर किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करके राजस्व की हानि की भरपाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम जसपुरा क्षेत्र पंचायत जसपुरा तहसील व जिला बांदा से गुजरने वाली बांदा से भरुवा–सुमेरपुर सड़क के किनारे पर गांव सभा स्थित भूखण्ड संख्या 1332 में सर्वश्री छेदूराम पुत्र राम अधार, दिनेश पुत्र रंजीत, जागेश्वर पुत्र रजवा, मुखिया उर्फ उदयपाल पुत्र श्रीपाल, बहोरी भास्कर साहू पुत्र वल्दू, अर्जुन सिंह पुत्र गजोधर सिंह, राकेश सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह चक्रपाणि पुत्र रामपाल, ओम प्रकाश पुत्र साधू, शिव प्रसाद पुत्र गंगा प्रसाद व कृष्णपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम ने अपने मकान/दुकान बना लिये हैं तथा ग्राम जसपुरा से गौरीकला सड़क के किनारे पर स्थित भूखण्ड संख्या 1400 मि० में सर्वश्री करिया पुत्र दयाराम पुत्र दिबिया, महरजवा पुत्र भुलुवा, भगौता पुत्र छेदुवा व छंगा पुत्र बेड़िया ने अपने मकान/बाउण्ड्री बना लिया है ।

उपरोक्त भूखण्डों की बिक्री या पट्टा गांव सभा द्वारा नहीं किया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है ।

ग्राम समाज की भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में मु० 2.88,700.00 रु० के राजस्व की हानि हुई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के तहसील चुनार में चकबन्दी प्रक्रिया

39–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के बाद मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में स्थित ए०सी०ओ०, सर्किल, बरेंवा में चकबन्दी प्रक्रिया के संचालन के लिए कई

गांवों में केवल भूमिहीनों की चकबन्दी समिति गठित की गयी है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत अनियमितताओं के बाबत ए०सी०ओ० बरेंवा की आख्या दिनांक 6-12-2000 चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 19-12-2000 को आ०का० हेतु ब०अ०च० को प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो प्रश्नगत अनियमितताओं को दूर करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्न में उल्लिखित तथ्यों की जांच उप संचालक चकबन्दी, मिर्जापुर से कराई जा रही है।

जी हां।

प्रश्नगत जांच आख्या सरसरी, अपूर्ण तथा मात्र एक ही ग्राम घरवासपुर से सम्बन्धित होने के कारण उप संचालक चकबन्दी, मिर्जापुर को विस्तृत जांच के आदेश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड महोली के ग्राम भिरिया में विकास कार्य

40–श्री राम सेवक सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–137 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति बाउचर प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन सी०डी०ओ०, सीतापुर द्वारा कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

विकास खण्ड महोली में बड़ागांव के भीतर ग्राम–भिरिया का सम्पर्क मार्ग एवं गांव के भीतर नालियां सड़क व खड़ण्जा का निर्माण कार्य जिला पंचायत की किसी भी योजना में नहीं किया गया है, अतः कार्यों के कार्यपूर्ति बाउचर प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की तहसील मधुबन के ग्राम मोलनापुर में आराजी नं० 2007 के आधे भाग पर किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

41–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1997 में हरिन्द्र यादव पुत्र श्री राम यादव निवासी, मोलनापुर, परगना नत्थूपुर, तहसील मधुबन, जनपद मऊ ने गांव की आराजी नं० 2007 का 1/2भाग पर गांव के लोगों द्वारा संक्रमण सम्बन्धी शिकायती-पत्र सहायक अभिलेख अधिकारी बलिया को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के ग्राम कनाबा की भूमि संख्या 498, 505, 571 पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

42–श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर की ग्राम सभा कनाबा की भूमि संख्या–498, 505, 571 एवं 572 अभिलेखों में खलिहान/ग्राम समाज की भूमि के रूप

में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा करके दीवाल बनवा ली है और ट्यूबवेल लगवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध कब्जा हटवाने हेतु ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के तहत कार्यवाही की गयी है जिसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

वाद के निर्णय के उपरान्त न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड छपिया की ग्राम सभा करनपुर की आबादी घोषित भूमि का प्रकरण

43–श्री समरपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले गुरुवार के अता० प्र० सं०–43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि कब आबादी की भूमि घोषित की गयी है तथा इसका कारण क्या था ? क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर में सन्दर्भित उक्त पूर्व ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश, श्री राम लखन व श्रीमती चन्द्रावती के सगे पुत्र हैं तथा उनके द्वारा अपने प्रधानी कार्यकाल में ग्राम सभा की भूमि में हेराफेरी करके अपने ही परिवारजनों के नाम पट्टा आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि गाटा संख्या–185 मि०/0-73 एकड़ दिनांक 22-7-99 को आबादी की भूमि कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में प्रयोग होने के कारण आबादी भूमि घोषित की गयी है।

श्री रामलखन व श्रीमती चन्द्रावती के श्री ओम प्रकाश सगे पुत्र हैं । इनके द्वारा अपने प्रधान के कार्यकाल में गांव सभा की भूमि में न तो कोई हेरी फेरी की गयी है और न ही अपने परिवार के नाम पट्टा आवंटित किया गया है ।

कोई अनियमितता प्रकाश में न आने के कारण जांच कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

भूमि सुधार निगम हरदोई में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापस किये जाने की मांग

44–श्री अफजाल अहमद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि सुधार निगम हरदोई में कितने ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए पांच वर्ष से अधिक का समय हो गया है ? क्या यह सत्य है कि परियोजना प्रबन्धक के पद पर कार्यरत अधिकारी पिछले सात वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी को उनके मूल विभाग में वापस करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक उन्हें मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम हरदोई में परियोजना प्रबन्धक के पद पर कार्यरत श्री एस० पी० सिंह मात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है।

परियोजना प्रबन्धक हरदोई के पद पर कार्यरत श्री एस० पी० सिंह की निगम में योगदान तिथि 30-8-94 है, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए लगभग 6 वर्ष 8 माह हो रहा है।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3912/12-3-96-338/96, दिनांक 22-10-1996 के द्वारा निगम में प्रतिनियुक्ति अवधि सम्पूर्ण परियोजना अवधि हेतु निर्धारित करते हुए पांच वर्ष का प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। तदनुसार श्री एस० पी० सिंह प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के भौरकला व मोहम्मदपुर राय सिंह में पशु चिकित्साधिकारी की तैनाती की मांग

45–श्री राजपाल सिंह–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय पशु चिकित्सालय भौरकला व मोहम्मदपुर राय सिंह में पशु चिकित्सक तैनात है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त चिकित्सालय में पशु चिकित्साधिकारी की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

वर्तमान में पशु चिकित्सालय भौराकला रिक्त है तथा मोहम्मदपुर राय सिंह पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सक तैनात हैं।

पशु चिकित्सालय, भौराकला पर पशु चिकित्साधिकारी की तैनाती यथाशीघ्र कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्राम पानपुर मजरे में हुए अग्निकाण्ड में राहत वितरण में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

46–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-2-2001 जो विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में माह जनवरी, 2001 को ग्राम पानपुर मजरे में हुए भीषण अग्निकाण्ड में राहत वितरण में हुई गम्भीर अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुरा देवसरा को पू० पी० डी० ए० एस० पी० में शामिल करने की मांग

47–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–100 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुरा देवसरा को यू०पी०डी०ए०एस०पी० में शामिल करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ में यू० पी० डी० ए० एस० पी० के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव विश्व बैंक मिशन के गत माह नवम्बर-दिसम्बर, 2000 में भ्रमण के दौरान रखा गया था । मिशन द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में परियोजना का कार्य इस प्रतिबन्ध के साथ प्रारम्भ किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी थी कि परियोजना का क्रियान्वयन मात्र 2-3 विकास खण्डों तक सीमित रखा जाये और जनपद में औद्यानिक गतिविधियों की व्यापकता को देखते हुए मात्र उद्यान विभाग के घटक से सम्बन्धित कार्यक्रम ही संचालित किये जाये ।

उक्त आधार पर उद्यान विभाग की संस्तुति के क्रम में तीन विकास खण्ड मंगरौरा, सण्डवा चण्डिका तथा शिवगढ़ को कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है ।

जनपद आगरा के महराजपुर से भूसेपुर, चितौरा से कौलारा सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने की मांग

48–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 मार्च, 2001 जो आगरा कृषि उत्पादन मण्डी समिति फतेहाबाद में महराजपुर से भूसेपुर तक जिसकी लम्बाई 2 कि०मी० एवं मण्डी समिति शमसाबाद के ग्राम चितौरा से कौलारा खुर्द मार्ग तक बाया गढ़ीधारा जीत लम्बाई 2 कि०मी० जो कि नव निर्माण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों के निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ? यदि हां, तो कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

पत्र दिनांकित 21 मार्च, 2001 नहीं बल्कि पत्र दिनांकित 22-3-2001 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी/प्रशासक से प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा के शमसाबाद मण्डी स्थल एवं भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

49–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कृषि उत्पादन मण्डी समिति शमसाबाद के मण्डी स्थल एवं भवन निर्माण कराये जाने विषयक 21 मार्च, 2001 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मण्डी स्थल एवं भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

पत्र दिनांकित 22-3-2001 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला भू-चयन समिति का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ।

50–श्री रामाधार सिंह–

[निदेश संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर के ग्राम भरपुरा के श्री भूपेन्द्र बहादुर सिंह के शिकायती पत्र पर चकबन्दी आयुक्त द्वारा जांच आख्या

51–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर जनपद अन्तर्गत ग्राम भरपुरा के निवासी श्री भूपेन्द्र बहादुर सिंह का शिकायती-पत्र चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ के पत्रांक 52/पा०सा०20/2000, दिनांक 6-12-2000 के द्वारा डी०डी०सी० मिर्जापुर को जांच हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या डी०डी०सी० द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी जांच आख्या चकबन्दी आयुक्त को प्रेषित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

डी० डी० सी० की जांच आख्या प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के तहसील मिल्कीपुर के मौजा टड़वा के कब्रिस्तान पर अवैध रूप से कराये गये निर्माण को हटाने की मांग

52–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-2-2001 जो आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को भेजा गया है और जो गाटा संख्या–93 मौजा टड़वा परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद के कब्रिस्तान पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कराये गये निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

गाटा सं० 93 क्षेत्रफल 1-0-0 स्थित ग्राम टड़वा राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है । इस गाटे में रसीद व जमील द्वारा पोख्ता मकान बनवाया गया है । इनके बेदखली हेतु तहसीलदार न्यायालय में धारा 122 बी०, ज० वि० उ० के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है । जिसमें तारीख पेशी 11-5-2001 सुनवायी हेतु नियत है । इसी भूमि में काशी राम पाण्डेय नि० चन्दौरा द्वारा भी अवैध कब्जा करके एक कमरा बेदखली का वाद तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है । जिसमें अगली पेशी 23-5-2001 सुनवाई हेतु नियत है ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला उन्नाव के कृषि प्रसार अधिकारी श्री प्रताप सिंह के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके समस्त देयों के भुगतान की मांग

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रताप सिंह पुत्र स्व० पंचम, कृषि प्रसार संगठन वर्ग–2 सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सफीपुर, जिला उन्नाव जून, 1997 में सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या उक्त कर्मचारी का वेतन वृद्धि के साथ अवशेष के साथ जी०पी०एफ० आदि का भुगतान कर दिया गया

है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी के समस्त देयों का भुगतान अविलम्ब कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्वीकृत वेतनवृद्धि के अवशेष के बिल आहरण हेतु कोषागार भेज दिया गया है तथा जी० पी० एफ० के संदर्भ में जी० पी० एफ० पासबुक महालेखाकार उ० प्र० इलाहाबाद को सत्यापन हेतु भेजी गयी है । सत्यापनोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

वेतनवृद्धि एरियर के अवशेष देयों को कोषगार से बिल पारित होते ही भुगतान करा दिया जायगा । जी० पी० एफ० के संदर्भ में कार्यालय महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद से सत्यापनोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व विभाग के विभिन्न संवर्गों को मिलाकर एक संवर्ग किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जानकारी

54–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में कार्यरत सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो, भू-लेख लिपिक एवं सुपरवाइजर कानूनगो को मिलाकर एक संवर्ग बनाये जाने तथा उक्त संवर्ग को एक वेतनमान न दिये जाने सम्बन्धी अध्यक्ष राजस्व परिषद् का प्रस्ताव दिनांक 11-12-96 सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

संदर्भित प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के कृषकों द्वारा प्रमाणित सब्जी बीज के उत्पादन पर अनियमित रूप से लिया जा रहा मण्डी शुल्क

55—श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी लाइसेंस प्राप्त कृषकों द्वारा पैदा की जा रही प्रमाणित सब्जी बीज अर्किल मटर, मटर पी–1, पी–3, आदि पर कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम तथा उ० प्र० मण्डी नियमावली, 1965 में कोई प्राविधान न होते हुए भी मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या–1/877/1999 पीलीभीत पन्तनगर बीज लि० बनाम उ० प्र० राज्य में पारित आदेश वि०5/8/95 का अनुपालन सुनिश्चित कराकर जनपद जालौन में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जालौन द्वारा उक्त पंजीकृत कृषकों से की जा रही मण्डी शुल्क की वसूली को रोका जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न में संदर्भित रिट याचिका का सही नम्बर 17877/99 है और इसमें मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 25-8-99 को पारित किये गये हैं । मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित इस आदेश के विरुद्ध मण्डी समिति पीलीभीत द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या–19009/99 दायर की गयी है, जो मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं । उक्त रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का लाभ कृषि उत्पादन मण्डी समिति जालौन के कृषकों को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वे प्रश्नगत रिट याचिका में पक्षकार नहीं हैं ।

यू० पी० डाईवर्सिफाइट एग्रीकल्चर सपोर्ट परियोजना को अन्य जनपदों में विस्तारीकरण की मांग

56—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव समन्वय उ० प्र० शासन एवं परियोजना समन्वयक के पत्रांक–3644/प्रशा०/2000, दिनांक 19 जुलाई, 2000 के माध्यम से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया है कि यू०पी० डाईवर्सिफाइट एग्रीकल्चर सपोर्ट परियोजना वर्तमान में आच्छादित जनपदों के अतिरिक्त अन्य जनपदों में विस्तारित किये जाने का निर्णय अभी नहीं हुआ है ? क्या शासन इस परियोजना का विस्तारीकरण अन्य जनपदों में करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 2001-2002 से ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय पशु चिकित्सालय, माधोगंज, जनपद हरदोई में कार्यरत श्री हीरालाल के मानदेय के भुगतान की मांग

57—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के राजकीय पशु चिकित्सालय माधोगंज में मेड़ सहायक के पद पर कार्यरत हीरालाल को दिनांक 25 जुलाई, सन् 2000 से कार्य से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें माह फरवरी, 98 से मार्च, 1999 तक एवं 1 अप्रैल, सन् 2000 से 25 जुलाई, सन् 2000 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मानदेय का भुगतान कब तक दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

बिल प्रस्तुत न करने के कारण श्री हीरालाल का माह फरवरी, 98 से 14 फरवरी, 1999 तक का भुगतान लम्बित है । शेष का भुगतान कर दिया गया है ।

बिल प्राप्त होने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा ।

जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम के ग्राम माहिमपुर की ग्राम समाज की जमीन वन विभाग से खारिज कर वापस दिलाने की मांग

58—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के परगना कछन्दऊ की ग्राम पंचायत कुतुबपुर के ग्राम माहिमपुर की खाता संख्या 189 की लगभग 230.5310

हेक्टेयर जमीन गंगा नदी की कटान के बाद दरिया बुर्द ग्राम समाज के खाते में दर्ज हो गयी थी जो अब वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर उक्त जमीन वन विभाग से खारिज करके ग्राम माहिमपुर ग्राम समाज की भूमि में अंकित करने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम परगना कछन्दऊ की ग्राम पंचायत कुतुबपुर के ग्राम माहिमपुर में वर्तमान खतौनी वर्ष 1401 से 1408 फ० में खाता सं० 189 नहीं है । इस ग्राम में मात्र 181 खाता ही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला एटा की तहसील जलेसर के ग्राम बिचपुरी में चकबन्दी के बाद कब्जा परिवर्तन का कार्य

59—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिचपुरी परगना व तहसील जलेसर जिला एटा में वर्ष 1996 में हुई चकबन्दी के बाद कब्जा परिवर्तन का कार्य हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

ग्राम बिचपुरी परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा में वर्ष 1996 से विभाग द्वारा कब्जा परिवर्तन हेतु कई बार प्रयास किये गये परन्तु ग्राम में प्रबल पार्टीबन्दी एवं कृषकों में घोर असन्तोष होने के कारण ग्राम बिचपुरी में कब्जा परिवर्तन का कार्य सम्पन्न नहीं हो सका ।

जनपद वाराणसी के मुख्य चिकित्साधिकारी, आपूर्तिकर्ता मोहम्मद इदरिश के देयों के भुगतान की मांग

60—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, वाराणसी को उनकी आपूर्ति आदेश संख्या–6367-68 व लेखा संख्या–1(235)/98-99, दिनांक 8-3-99 के क्रम में वाराणसी के आपूर्तिकर्ता मोहम्मद इदरिश द्वारा गार्डेन केन (जी०आई० सीट) तथा पोलीथीन सीट की आपूर्ति सम्बन्धी बिल नं० 43/98-99 दिनांक 14-3-99 रु० 29,800/- तथा बिल नं० 42/98-99 दिनांक 14-3-99 रु० 24,750/- कुल रु० 54,550/- का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

भुगतान चेक से किया गया था, परन्तु फर्म ने चेक समय से कैश नहीं कराया ।

बजट उपलब्ध होने पर ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड क्षेत्र में आदर्श महिला कढ़ाई बुनाई एवं उत्पादन समिति में महिला एवं पुरुष प्रतिनिधि का प्रकरण

61—श्री रमेश राही–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श महिला कढ़ाई बुनाई एवं उत्पादन सहकारी समिति लि०, भोगांव (पचेवरा) विकास खण्ड कोन, जिला मिर्जापुर का कार्य क्षेत्र कहां तक है और उसका उद्देश्य क्या है ? क्या प्रश्नगत समिति केवल महिलाओं के लिए बनायी गयी है ? और उसकी सदस्यता महिलाओं के अलावा पुरुष नहीं ग्रहण कर सकते हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस समिति से महिला के स्थान पर पुरुष प्रतिनिधि चुने गये हैं ? यदि हां, तो उनका नाम, पता क्या है ? क्या इस हेतु दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नारायन तिवारी)–

समिति की विशेष सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 12-6-1996 के अनुसार समिति का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर कोण ब्लाक के न्याय पंचायत मनेहरा कला, बल्ली पुरवा, श्रीपट्टी एवं मिर्जापुर नगर कर दिया गया है । समिति का उद्देश्य सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति के लिए उपयोग करना है ।

जी नहीं ।

समिति के बाईलाज के अनुसार सदस्यता ग्रहण करने के लिए महिलाएं एवं पुरुष दोनों अधिकृत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गुजरात भूकम्प पीड़ितों के सहायतार्थ राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता की जानकारी

62—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गुजरात में आये विनाशकारी भूकम्प पीड़ितों के सहायतार्थ अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कोई सहायता प्रदान की गई है । यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गुजरात में आये भूकम्प से पीड़ितों के सहायतार्थ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक रु० 500.00 लाख नगद रूप में तथा रु० 333.37 लाख के वस्त्र आदि सामग्री एवं रु० 50.00 लाख मूल्य की जीवनोपयोगी दवाइयां भेजी गई हैं । इसके अतिरिक्त मण्डलायुक्त मेरठ द्वारा चार ट्रक एवं जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा एक ट्रक वस्त्र, खाद्यान्न सामग्री गुजरात राज्य को भेजी गयी । भूकम्प पीड़ितों के सहायतार्थ 15 अस्थि रोग विशेषज्ञ डाक्टरों का एक दल भी भेजा गया । प्रदेश की गैर सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी राहत सहायता भेजी गयी ।

श्री अध्यक्ष:

अब मद संख्या–7 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के

लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएँ प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए श्लाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

श्री आर्य रामशरन, श्री रूप चौधरी, मेजर जगतपाल सिंह, डॉ० पूर्णमासी पंकज, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री अजय कुमार पोइया एवं क्रम सं० 6 पर अंकित श्री विजयपाल सिंह के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची की सूचना श्री रमेश राही एवं श्री ओम प्रकाश गुप्ता की सूचनायें स्वीकार की गयी। श्री रामचन्द्र यादव की सूचना अस्वीकार हुई। सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

(सभी स्वीकृत सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद हाथरस के सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत राजबहा माइनरों में पानी न आने एवं नहरों की सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर्य रामसरन–

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद हाथरस की तहसील एवं विधान सभा क्षेत्र सादाबाद/जनपद हाथरस में सभी राजबहा माइनर नहरें हैं जो पहले जिला मथुरा मांट ब्रांच से तहसील सादाबाद में आती थी किन्तु अब जिला हाथरस में सम्मिलित हो गयी हैं। जनपद के राजबहा–माइनरों में लगभग 20 वर्षों से पानी आ रहा है और ना ही नहरों की सफाई हुई है। जिसके कारण मेरे विधान सभा तथा जनपद की किसानों की फसलें सूख गयी हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है और नहर विभाग के सरकारी कर्मचारी/अधिकारी फर्जी नहरों/राजबहा की सफाई कागजों पर दिखाकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। किन्तु सरकार जनप्रतिनिधियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सदन में गुमराह करके केवल आश्वासन दे देती है कि जल्द कार्य शुरू हो जायेगा।

उक्त समस्याओं को लेकर मैंने पूर्व में भी अनुरोध भी किया था किन्तु सरकार ने किसानों को जल आपूर्ति कराने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। और जगह-जगह धरना, प्रदर्शन आदि किये जा रहे हैं किन्तु सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक बनी हुई है किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकती है।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के कतिपय गांवों की जमीन पर बसायी जा रही नई कालोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद गाजियाबाद के पसौन्डा, भौपुरा, लोनी देहात, टीला शहबाजपुर, बन्धला, बैहटा हाजीपुर, सादुल्लाबाद, खानपुर जब्ती, पाबी सादिकपुर, अगरौला, घरौरी खुर्द आदि गांवों की जमीन पर सैकड़ों अवैध कालोनियां बसाई जा रही है। इन कालोनियों के बसाये जाने से क्षेत्र की स्थिति स्लम जैसा बन गई हैं और इन कालोनियों में नागरिकों की सुविधाओं का घोर अभाव है। जिसके कारण यहां की नारकीय स्थिति बन गयी है। भू-माफियाओं और कालोनाइजरों ने मिलकर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीनों (एल० एम० सी०) को बेच दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी अन्तर्गत यह क्षेत्र होने के कारण सरकारी संस्थाओं (उ० प्र० आवास विकास परिषद्, राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरण) को भी केन्द्र सरकार से भूमि का उपयोग परिवर्तन कराना पड़ता है। परन्तु इस क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन व पुलिस से मिलकर नियम व कानून की धज्जियां उड़ाकर सैकड़ों कालोनियां बसाकर गरीब जनता को ठगा जा रहा है। सरकार ने पुरानी बसी हुई कालोनियों को नगरपालिका में शामिल करके विकास कार्यों की शुरुआत की है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि नई कालोनियां बसाने पर रोक लगाई जायें।]

जनपद मुरादाबाद की ग्राम सभा रतूपुरा के किसानों के जोत बही उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद मुरादाबाद में ऐसे अधिक किसान हैं जिन्हें जोत-बही अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ग्राम सभा रतूपुरा ब्लाक असमोली तहसील संभल जिला मुरादाबाद में चकबंदी 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। धारा–52 भी लग चुकी है। क्षेत्रीय लेखपाल 5 वर्षों से उक्त गांव में कार्यरत है। अभी तक जोत बही ग्रामवासियों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके कारण किसान क्रय केन्द्रों पर गेहूं बेचने में असमर्थ हैं।

मैं आपके सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद में अभियान चलाकर जोत बहियों को किसानों को उपलब्ध कराया जाय ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों में असंतोष व्याप्त है।]

नोट :—[ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियांवा में स्वीकृत कस्तूरीपुर से करियांव मार्ग पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, कृपया जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियांवा में वर्ष 97-98 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत कस्तूरीपुर से करियांव सम्पर्क मार्ग 5 कि०मी० लेपन स्तर तक निर्मित करने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा भदोही को शासन द्वारा 23.40 लाख धन 31-7-98 को अवमुक्त किया गया । जिस पर कार्य भी प्रारम्भ किया गया । किन्तु मार्ग पर मात्र गिट्टी का कार्य करने के बाद लगभग 1 कि०मी० पत्थर की सोलिंग करके कार्य समाप्त कर दिया गया है । जो पत्थर बिछाया गया उस पर रोलर द्वारा न दबाये जाने से आवागमन अत्यन्त कष्ट कारक हो गया है जन सामान्य को काफी असुविधा हो रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र गिट्टी का कार्य कराकर सारा धन हड़प कर लिया गया है जब कि लेपन स्तर तक निर्मित करने हेतु धन अवमुक्त किया गया है । बार-बार शिकायत करने पर भी अधिकारियों की लापरवाही, अकर्मण्यता के कारण कार्य आज तक पूर्ण नहीं किया गया जिससे जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है । उक्त मार्ग आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है । जनहित में निर्माण अत्यन्त आवश्यक है ।

अतः कृपया जनपद संत रविदास नगर के कस्तूरीपुर से करियांव सम्पर्क मार्ग की जांच कराकर लापरवाह अधिकारियों को दण्डित करने एवं स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर शीघ्र लेपन स्तर तक मार्ग निर्मित कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई खण्ड टांडा की भिटुड़ माइनर के पानी का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[महोदय, मैं आपका ध्यान अति लोक महत्व के प्रश्न पर ले जा रहा हूं कि पूरे प्रदेश में किसान अपनी फसल सींचने के लिए, नहरों, माइनरों तथा राजबहों में समय से पानी न पाने के कारण परेशान रहते हैं इसी कारण इस विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज, अम्बेडकर नगर सिंचाई खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत भिटुड़ माइनर का पानी जब कभी आता है तो किसानों को पानी न मिलकर गड्ढा तालाब में चला जाता है जिसे तालाब हमेशा भरा रहता है और किसानों की खेती प्रभावित होती है समय से न बोई जाती है और न काटी जा सकती है विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मिलीभगत करके बनी हुई माइनर की पटरी काटकर मेड़ बंधी कर लिये हैं जिससे आम जनता का आवागमन बाधित हो गया है तथा जब से माइनर बनी है तब से शुरू से आखिरी तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दें । तथा दोषी पाये जाने पर दण्डित करें ।

अतः आपसे इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर एक घण्टा की चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

नोट :—[ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया ।

समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के पद शोध अधिकारी वर्तमान जो कि विभागीय होते हुए भी 20 प्रतिशत वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ता आदि प्राप्त कर रहे हैं जो कि पात्र नहीं हैं इस संबंध में आदेश होने के बावजूद भी अनियमितता की जा रही है क्षेत्रीय अन्वेषक संवर्ग की अन्तिम श्रेष्ठता सूची में कुमारी जयश्री होना था परन्तु डा० कौशल किशोर अपनी जुगाड़ बाजी के कारण बिना किसी समिति चयन प्रक्रिया के काबिज होकर तानाशाही पूर्ण रवैया अपना कर कर्मचारियों का उत्पीड़न अधीनस्थों का कर रहे हैं विभाग में लाखों रुपये का गोलमाल कर रहे हैं 24-1-1992 से 29-1-1993 तक सचिव, समाज कल्याण से सम्बद्ध रहे इसी प्रकार आदि-आदि समय पर सम्बद्ध रहने पर भी प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त किया जो कि शासनादेशों का खुला उल्लंघन है साथ ही जो भी गलत रूप से अर्जित आय को अपनी आय में नहीं दर्शाया गया है यही नहीं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा में कार्यरत घनश्याम सिंह राना पी० टी० आई० की मोटर साइकिल यू०पी–02/ए 5721 द्वारा उक्त से ग्राम बकरपुर व विल्हरी खटीमा का दौरा किया टैक्सी का वसूला गया कि घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है । शासन को तत्काल बर्खास्त करके समस्त वेतन भत्ता की वसूली के साथ कठोर कार्यवाही की आवश्यकता के साथ चयन प्रक्रिया द्वारा निदेशक के पद पर सुयोग्य अधिकारी की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है जिससे जिस वर्ग के उत्थान के निदेशालय शोध की स्थापना हुई है वह लाभान्वित हो सके ।

उपरोक्त पर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बिसवा ग्राम सभा–सरोसा की ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेक्रेटरी की मिलीभगत से जे० आर० वाई के धन के दुरुपयोग की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही एवं श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावा ग्राम सभा सरोसा की ग्राम प्रधान श्रीमती रामपती द्वारा जे० आर० वाई० का धन पंचायत चुनाव में अवैध तरीके से बैंक से निकाल कर खर्च करने संबंधी आकर्षित करना चाहता हूं । जिसने पंचायत सेक्रेटरी से सांठ-गांठ करके भगीरथ ग्रामीण बैंक शाखा अरथाना से अधिसूचना के बाद भी लगभग 76000/- का आहरण किया गया है जबकि अधिसूचना के बाद जे० आर० वाई० का धन बैंक से निकालना चुनाव आयोग के आदेशों का खुला उल्लंघन है । तथा साथ ही यह भी अवगत कराना है कि लगभग 6 वर्षों में पूरी जे० आर० वाई० के धन का दुरुपयोग किया गया है, खड़न्जे को खड़न्जा बताया गया, तथा धन खड़न्जा का आहरित किया गया, अपात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिया गया है ।

अतः मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही अमल में लाने का आदेश कराकर देने की कृपा करें । तथा साथ ही भगीरथ ग्रामीण बैंक शाखा अरथाना से चुनाव के दौरान निकाले गये धन की जांच करवाकर ऐसा करने पर प्रधान व दोषी एवं कर्मचारी को दण्डित करने की कार्यवाही हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा सदन में लगे श्रवण यंत्रों के खराब प्वाइंट को ठीक कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही सुनने के लिए जो श्रवण यंत्र लगे हैं सारे प्वाइंट खराब हो गये हैं काम नहीं कर रहे हैं इसको ठीक करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

विद्युत अभियंता उसका निरीक्षण करके ठीक कर देंगे ।

प्रदेश के आयोजनागत व्यय में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी की है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो औचित्य की सूचना है वर्ष 2000-2001 का आयोजनागत व्यय था, इसमें 625 करोड़ रुपये की कटौती हुई है, यह 9025 करोड़ रुपये का था । वर्ष 2001-2002 में 20 प्रतिशत बढ़ाकर बनानी चाहिए था । इसको मात्र 8400 करोड़ रुपये का कर दिया है। 625 करोड़ रुपये की आयोजनागत व्यय की कमी की गयी है । 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश सरकार बचनबद्ध थी कि 8 हजार करोड़ रुपये आय के संसाधन बढ़ायेंगे इसमें मात्र 300 करोड़ रुपये की उपलब्धता इस बजट में हो सकी है । यह सरकार फिजूलखर्ची पर रोक नहीं लगा सकी । अनुत्पादक खर्चों को रोक नहीं सकी इसमें योजनागत व्यय में कटौती हुई है । जो विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए थी वह नहीं की गयी । योजना आयोग ने भी प्रदेश सरकार को लताड़ने का काम किया है । उसने कहा है कि मात्र आयोजनागत व्यय की जो स्वीकृतियां थी उनका व्यय किया गया, शेष पैसा निष्प्रयोज्य रहा है । मान्यवर, राज्य सरकार की शिथिलता के कारण हमारे प्रदेश का विकास घटा है । 625 करोड़ रुपये की कमी के कारण योजना बढ़ाकर बनानी चाहिए थीं । मान्यवर, इससे गम्भीर कोई विषय नहीं हो सकता है ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह नियम 300 में नहीं आता है, यह जो आपने कह दिया कि कम कर दिया गया है ऐसी बात नहीं है यह 9 हजार 225 करोड़ रुपये था, 9 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल का गठन हो गया इसके बाद इसका आकार 8122 करोड़ रुपये हो गया, इसमें आप देखें कि बढ़ोत्तरी 3.04 प्रतिशत से अधिक की है ।

मान्यवर, 4 मई, 2001 को योजना आयोग के समक्ष बैठक में, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री मौजूद थे, योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश ने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई साहसिक एवं प्रशंसनीय कदम उठाये हैं । राज्य सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर राज्य कोष और राजस्व घाटे में कमी करने का प्रयास किया है । कर एकत्रीकरण बढ़ाने के लिए साहसिक कदम उठाये हैं, यह संतोष की बात है कि ऐसा करने से वार्षिक बजट को उपयुक्त संरक्षण मिलता है । तो मान्यवर, एक ओर केन्द्रीय स्तर पर हमारी सराहना हो रही है और आप न जानें कहां से यह आंकड़े उठा लाये हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसे निरस्त किया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 8 हजार करोड़ की वित्तीय व्यवस्था करनी थी, यह इसके विपरीत 300 करोड़ रुपये जुटा पाये हैं, प्लान साईज घटा है । पिछले साल जो योजना व्यय स्वीकृत हुआ, उसका 74 परसेन्ट उपयोग किया है । जो योजना आयोग के आंकड़े हैं उसके अनुसार जो योजना आयोग को बचनबद्धता दी थी उसको पूरा नहीं कर पाये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

डा० अशोक बाजपेई और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं, यह नियम 300 में नहीं आती है ।

बाबरी मस्जिद प्रकरण में गलत सूचना देकर सदन को गुमराह करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना माननीय प्रमोद तिवारी की है, यह भी नियम 300 में नहीं आती है, इस पर कल काफी विचार-विमर्श हो चुका है, अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो निदेश के अनुसार कार्यवाही करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन की कार्यवाही विनियमित होने से कहां सम्बन्धित है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप कल की कार्यवाही का पृष्ठ–58 देख लें । आप मुझे 2 मिनट सुन लें मैं बताना चाहता हूं कि यह नियम–300 में कैसे आता है । मान्यवर, पृष्ठ–58 पर लिखा है कि सी० बी० आई० प्रोजीक्यूटिंग एजेंसी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह किसी प्रकार से नियम 300 में नहीं आता है । किस नियम के प्रवर्तन की बात है जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है । एक अध्याय जो कल समाप्त हो गया, यहां चर्चा हो गयी और नियम–56 की सूचना निरस्त हो गयी उसको दोबारा उठाना उचित नहीं है । यह कहीं से नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसी पृष्ठ पर कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट प्राजीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है । मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि 12 फरवरी का जजमेंट है आप उसके प्रथम पृष्ठ को देख लें । जो मुकदमा चल रहा है वह है अशोक सिंघल एंड अदर्स–रिवीजनिस्ट वर्सेज–स्टेट आफ यू० पी० एण्ड अदर–अपोजिट पार्टी ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, बार-बार वही बात कहेंगे । कल पूरा दिन इसी बात पर चला गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप पूरे नाम पढ़ दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अशोक सिंघल एण्ड अदर्स–रिवीजनिस्ट वर्सेज–स्टेट आफ यू० पी० एण्ड अदर ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें है कि सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन उसको तिवारी जी नहीं पढ़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आपका तर्क यह है कि राज्य सरकार का दायित्व बनता है । लेकिन इससे सदन की कार्यवाही कैसे विनियमित होगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा कथन दूसरा है । इससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है यह मैं बता दूंगा। मान्यवर, सी० आर० पी० सी० की धारा–23 का अवलोकन करने की कृपा करें । इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, इसमें गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल को पार्टी बनाया गया है । अगर यह पार्टी नहीं थे तो उनको पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता थी । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ला एण्ड आर्डर की जो बात है वह राज्य का विषय है ।

श्री अध्यक्ष–

तो फिर जहां-जहां प्रदेश में अपराध होंगे उसके बारे में नियम 300 में उठा लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आजादी के पहले क्या होता था, उस समय भारत का संविधान नहीं बना था । अगर कोई मुकदमा होता था तो वह किंग बनाम या क्वीन बनाम होता था ।

श्री अध्यक्ष–

आपको पता होगा कि अनावश्यक रूप से पक्षकार बना दिया जाता है, जब सूचना जाती है तो पक्षकार वकील कर लेता है । आप जो बातें कह रहे हैं उससे सदन का क्या मतलब है ? इससे सदन की कार्यवाही कहां विनियमित होती है ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

अनावश्यक पक्षकारों से समय की बरबादी भी हो जाया करती है ।

श्री हुकुम सिंह–

वही हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे 5 मिनट दे दें । ऐसा नहीं होने जा रहा है कि कोई छत गिर जायगी और सरकार दब जायगी । मेरी बात सुन लें । मेरी बात सुनने के पहले यह कैसे पता चल गया कि यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

दाई से पेट नहीं छिपता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर काबिल दायी है तो पेट नहीं छिपाया जा सकता है । अगर नाकाबिल दायी है तो पेट छिपाया जा सकता है । मान्यवर, आप तो काबिल दायी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सच्चाई छिपायी नहीं जा सकती है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पेट पहली बार तो दिखाया नहीं जा रहा है । कई बार पेट दिखा चुके हैं ।

श्री प्रमोद कुमार –

मान्यवर, कई बार बाहर से ही पेट देखने से पता चल जाता है । सरकार का पाप बाहर से ही दिखाई दे रहा है ।

मान्यवर, जजमैंट में कहा गया है कि "द स्टेट गवनेमेट इज नाट इम्पावर्ड टु इशू द नोटीफिकेशन आन द बेसिस आफ प्रिजम्पशन आर एजम्पशन । द अथारिटी आफ द हाईकोर्ट शुड नाट बी टेकेन लाइटली बाई द स्टेट गवर्नमेंट । "द स्टेट गवर्नमेंट इफ दे सो डिसायर टु रिक्टीफाई इट्स मिस्टेक" इलीगल्टी बाइ इशूइंग फ्रेस नोटीफिकेशन आफ्टर कन्सल्टेशन विद द हाई कोर्ट इन एकार्डेंस विद ला ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें उन्होंने राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसमें भ्रम की स्थिति नहीं है यह राज्य सरकार जब नोटीफिकेशन इशू नहीं करेगी सी० बी० आई० को यह अधिकार नहीं है । इसमें प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी सी० बी० आई० के साथ उत्तर प्रदेश सरकार है । यह कानून व्यवस्था का विषय है । यह पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है । दूसरी चीज सी० बी० आई० जब भी तस्वीर में आयेगी प्रदेश सरकार के रिक्वेस्ट पर आयगी ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें सदन की कार्यवाही के विनियमितीकरण से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष–

अगर संसदीय कार्यमंत्री जी आपके कहे के अनुसार मान लें कि गलत सूचना दी है और सदन को गुमराह किया है तो भी यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं पहले अपनी बात तो पूरी कर लूँ । इसमें दो तीन बातें हैं एक तो इसमें पक्षकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार है । उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया जो अपेक्षा की है वह उत्तर प्रदेश सरकार से की है और कहा कि यह क्यूरेबिल मिस्टेक है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश सरकार को जो उत्तर देना चाहिए था वह उसने दे दिया । न्यायालय ने जो अपेक्षा की थी उसके अनुसार सरकार ने उत्तर दे दिया वह संतोषजनक हो सकता है और असंतोषजनक हो सकता है । आपके कहने के हिसाब से सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है । लेकिन इससे सदन की कार्यवाही कैसे विनियमित होती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सरकार का सदन के प्रति उत्तरदायित्व है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई सही उत्तर नहीं है तो उसकी सूचना दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी होती है । सरकार सदन में अगर गलत तथ्य रखती है तथा संविधान के विरूद्ध बात करती है । विद्वान न्यायाधीश ने इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को जोड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है ।

श्री अध्यक्ष–

इससे सदन की कार्यवाही कैसे विनियमित होती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार पक्षकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह मान भी लें कि पक्षकार है, प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी है तथा तर्क के लिए यह भी मान लें कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने गुमराह करने वाली बात की तो भी यह नियम 300 में नहीं आता ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने निर्णय दे दिया कि यह नियम 300 में नहीं आता इसके बाद इनको झुका लेना चाहिए निर्णय के प्रति ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा सर उस पीठ की तरफ झुकेगा लेकिन सरकार और केन्द्रीय गृहमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, खेलमंत्री जिनको यह आपराधिक मुकदमें में बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी तरफ यह सर नहीं झुकेगा । बल्कि तनकर खड़ा होगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं मौखिक रूप से सूचना दे रहा हूं विशेषाधिकार हनन की । लिखित रूप से आपके पास बाद में भिजवा दूंगा । संसदीय कार्यमंत्री ने सदन को गुमराह किया है । सदन में गलत तथ्य रखे हैं, मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं और मौखिक रूप से सूचना दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अनुसार सूचना दें कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें ला एण्ड आर्डर की स्थिति से सरकार इस मुकदमें में पक्षकार है । आपने मेरी बात तो मान ली लेकिन यह [X X X] है ।

नोट :– [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप आक्षेप लगा रहे हैं मेरी इसमें कौन सी मजबूरी है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि यह नियम 300 में नहीं आती [X X X] है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय । इस सूचना पर तीन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे पूरी सूचना मैंने पढ़ी और तिवारी जी के विद्वतापूर्ण तर्क को सुनने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं ....

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं मान्यवर, केवल उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा जिन्हें कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कृपया थोड़ा समय दे दें । कल की कार्यवाही का पृष्ठ 59 देख लें उसमें कहा गया "जब प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी खुद ही कह रही है कि वह सही है" । और मान्यवर, इधर माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि नोटिफिकेशन गलत है यदि चाहे तो इसे ठीक कर सकती है । राज्य सरकार ने सी० बी० आई० की ओर इशारा करके कहा है कि सी० बी० आई० कह रही है कि गलत है तो हाई कोर्ट की बात क्यों माने ।

श्री अध्यक्ष–

इससे सदन के कार्य विनियमन की बात कहां उठती है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी सी० बी० आई० को सही मानती है ।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर सरकार सही कहती है या गलत इससे सदन के कार्य को विनियमित होने की बात नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[X X X]

श्री अध्यक्ष–

यह सब नहीं लिखा जायगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उच्च न्यायालय ने कहा नोटिफिकेशन गलत है और राज्य सरकार कहती है.....

श्री अध्यक्ष–

श्री अम्बिका चौधरी को सुनने के उपरान्त भी मैं अपने इस विनिश्चय कि यह सूचना 300 में नहीं आती है सही मानता हूं और इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

चूंकि यह सरकार अपराधियों को अपने खेल मंत्री अपने मानव संसाधन विकास मंत्री अपने गृह मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है, कानून का उल्लंघन कर रही है मैं इस सरकार की इन गलत नीतियों का विरोध करते हुए अपने दल के साथ इस सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

नोट :– [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

फौलोइंग द फुटस्टैप । उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज, कल की त्रुटि को दूर कर लें । हम यह अनुरोध करते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री उच्च न्यायालय के फैसले को आधार बनायेंगे या सी० बी० आई० को सही या गलत मानते हैं ।

विधान सभा समितियों/स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित किये जाने हेतु अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कृपया वह प्रस्ताव ले आयें जो आपको रखना है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2001-2002 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2001-2002 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2001-2002 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2001-2002 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस सदन में दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को स्वीकृत किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त प्रबन्ध बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस सदन में दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को स्वीकृत किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त प्रबन्ध बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 मई, 2001 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली विषय के सम्बन्ध में दो सूचनाएं अलग-अलग हैं । एक तो कुंवर रेवती रमण सिंह और अम्बिका चौधरी की है । इसी में दूसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है । दूसरी सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट की है और तीसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है । चौथी सूचना श्री संजय गर्ग, पांचवीं सूचना श्री राम कृपाल, श्री रामसेवक सिंह, छठी सूचना डा० अम्मार रिजवी, सातवीं सूचना श्री उदय राज यादव, श्री आर० के० सिंह पटेल, आठवीं सूचना श्रीमती गौरी देवी, नवीं सूचना श्री कोकब हमीद, श्री बाबू लाल, श्री आर्य रामसरन, श्री वीरेन्द्र सिंह, दसवीं सूचना श्री विनोद मणि एवं श्री रामजग की है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो घटना मैं आज सदन में आपकी अनुज्ञा से उठा रहा हूं नियम 56 में, यह लोक महत्व की है, तात्कालिक है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है । वहीं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो यह जवाब दें तो पुलिस के वर्जन पर जो जवाब आया है उसके आधार पर जवाब न दें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्योंकि यह इतनी लोमहर्षक घटना है, हृदय विदारक घटना है। श्रीमन्, यह घटना चार मई की घटना है एक ही परिवार के लोगों ने आपसी विवाद करके, गोली चलाई, गोली चल गई और यह लोग मर गये। यह घटना मान्यवर, होती नहीं, यह नरसंहार मेजा तहसील गांव पताई डाड़ी मेजा थाने में हुई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना वहां की पुलिस की अकर्मण्यता और अक्षमता का परिचय देती है। अगर पुलिस पहुंचती तो इस हृदय विदारक घटना को होने से रोका जा सकता था, यह घटना न हो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। श्रीमन्, 20 अप्रैल को 27 अप्रैल को इन दो तारीखों में आपस में विवाद हुआ एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई, पुलिस ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया मेजा थाने में पहले से इसकी सुनवाई लम्बित है इसमें कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की। एफ० आई० आर० कई बार कराई गई। मैं आग्रह करूंगा आप देखें 147, 452, 323, 504, 427, 506 यह महत्वपूर्ण धारायें लगीं, लेकिन मान्यवर, इन धाराओं के बावजूद भी पुलिस वहां नहीं गई। पुलिस ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अगर संज्ञान लिया होता तो यह घटना घटित न होती। इस घटना के बाद जो निर्दोष लोग हैं जिससे पुलिस का कोई लेना-देना नहीं है, जब ब्लाक प्रमुख का चुनाव हुआ जमुनापार इलाके में तो भाजपा हार गई इसी कारण विद्वेष की भावना से मेजा के ब्लाक प्रमुख बब्बू निषाद जिसका एफ० आई० आर० जो हुई उसमें भी नाम नहीं है मुझे डर है कि उसको फंसा दिया जाएगा। मांडा के ब्लाक प्रमुख अशोक सिंह को फर्जी मुकदमें में फंसा दिया गया वह समाजवादी पार्टी का है। घटना घटित हुई पुलिस ने अगर संज्ञान लिया होता तो घटना घटित न होती, सी० ओ० वहां तीन साल से है। वहां के एस० ओ० को निलम्बित कर दिया गया। सी० ओ० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्राइमाफेसी यह केस साबित हो गया है। वहां के जिला प्रशासन ने मान लिया है। समय पर कार्यवाही होती तो घटना न होती। सी० ओ० को एक मंत्री ने अपने यहां से हटवाकर हमारे यहां भेज दिया। बगल में गांव है सोनाई इसमें चार महीने पहले एक पति और पत्नी जो कि सत्तर साल के थे, चोरों ने पत्थर से मार डाला। मैं वहां पर गया था। वहां पर लोगों ने जाम लगा रखा था। तो यह सी० ओ० बड़ा ही अक्षम आदमी है लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि इस घटना के बाद हमारे करछना तहसील के निर्दोष लोगों को श्री विनोद सिंह छुड़या, बब्बू निषाद, श्री अशोक सिंह और नरैना गांव के नरेन्द्र सिंह इनको और इनके बच्चों को थाने में पुलिस ने बैठा रखा है। दोष पुलिस का है और निर्दोष लोगों को बैठाकर पैसा वसूला जा रहा है। अगर पैसा नहीं देंगे तो किसी केस में फंसा देंगे। मान्यवर, यह दूसरी तहसील के लोग हैं और इनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है। मैं चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसकी सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करायी जाय। उसको यह मामला स्थानान्तरित किया जाय।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में घोषणा करें कि निर्दोष लोगों को फंसाया नहीं जायेगा। जो सी० ओ० है उसको वहां से हटाया जाय। जिस मंत्री के यहां से आया था वहीं भेज दिया जाय जिससे निष्पक्ष जांच हो सके और जो सही अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जो 6 लोग मरे हैं उनको दो-दो लाख रुपया उनके परिजनों को मुआवजा दें। सोनाई गांव में मुख्य मंत्री जी गये थे। वहां पर 25 हजार लोगों को मिले हैं। मदारी सिंह, भानु प्रताप सिंह, लाल प्रताप सिंह, देवमणि सिंह, सबल सिंह, गौरी सिंह यह 6 लोग मर गये। इससे बड़ी घटना इलाहाबाद में और दूसरी नहीं हो सकती है। यह चिन्ता का विषय है। वहां पर कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। अगर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी, निर्दोष लोगों को फंसाया जायेगा तो मुझे डर है कि कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। अभी जिला प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि इस घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं चाहूंगा कि दो-दो लाख रुपये मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाय और इसको सी० बी० सी० आई० डी० को स्थानान्तरित किया जाय और निर्दोष लोगों को छोड़ा जाय।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह चार मई की घटना मेजा तहसील में पताई गांव की है । यह बड़ी संवेदनशील और हृदय विदारक घटना है । पुलिस की उदासीनता के कारण यह एक गांव के परिवार वालों की आपस में खूनी रंजिश में बदल गयी । इसमें चार-छः लोगों की जानें चली गयीं । यह 20 अप्रैल को घटित होती है और उसकी सूचना पुलिस को जाती है इतनी पुरानी घटना और दोबारा फिर होती है उसके बाद भी पुलिस कोई एहतियाती कदम नहीं उठाती है । अगर उसी समय 107/117 की कार्यवाही कर दी होती तो यह घटना न होती । श्रीमन्, इसमें स्पष्ट हो गया है कि मारने वाले कौन थे और मरने वाले कौन हैं मान्यवर, साजिश के तहत इन लोगों को फंसाने का काम किया गया । पुलिस साजिश कर रही है मान्यवर, ऐसे मामलों में जहां पुलिस की ढिलाई हो, निकम्मापन दिखाई देता हो उसमें ऐसी जांच हो जाये जो निष्पक्ष हो, दोषी को कोई बचा न पाये और निर्दोष लोगों को सजा न हो यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह जो हत्यायें हैं रोज की तरह प्रदेश में लूटमार मची हुई है यह जो घटना है पुलिस उसकी साजिश कर रही थी । मान्यवर, थानाध्यक्ष की जानकारी में मामला था । 20 अप्रैल को हैण्डपम्प पर दोनों पक्षों के बीच घटना हुई थी जिसकी एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी । एक महिला अपने बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी । उसके बाद ही लाइसेंसी बंदूकों से यह हत्यायें हुई हैं । वे लाइसेंसी बन्दूकों को न तो जब्त करने की कोई कार्यवाही हुई न उसमें लाइसेंस निरस्त करने की बात हुई। जो रिपोर्ट सी० आर० पी० सी० की दर्ज हुई उसमें शान्ति भंग की आशंका की बात आयी मान्यवर, प्रिवेंटिंग ऐक्शन जो पुलिस को लेना चाहिए था नहीं लिया जो एस० ओ० थे जिनकी जानकारी में मामला था क्योंकि उनको दोनों पक्षों ने प्रार्थना-पत्र दिया था उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। थानाध्यक्ष को निलम्बित करके तीन सिपाहियों पर कार्यवाही हुई । मान्यवर, एस० ओ० को जब इस घटना की जानकारी थी और यह पता था कि थानाध्यक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो उनको स्वतः निर्देश देना चाहिए था प्रिवेंटिंग ऐक्शन के लिए । पुलिस को पता था कि छोटी-छोटी बात को लेकर तनाव हो रहा है और यह असलहे कभी न कभी चलेंगे । मान्यवर, यह जो हत्यायें हुई उनमें प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सम्बन्धित सी० ओ० को तत्काल वहां से स्थानान्तरित करके इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे उनकी घोषणा करने का कष्ट करेंगे । और मृतक जो हैं, उनके परिवारजन को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने का काम करेंगे । मान्यवर, समाजवादी पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो पंचायत चुनावों में विजयी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, तो अपनी खीझ निकालने के लिए बी० जे० पी० के लोग इन लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं ब्लाक प्रमुखों और दूसरों को ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना में आपने लिखा है कि पारिवारिक विवाद है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, दूसरे ब्लाक के प्रमुख और 25-25 किलोमीटर दूर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम यह सरकार कर रही है । सी० ओ० लगे हुए हैं उनको आप वहां से तत्काल स्थानान्तरित करें और यह आश्वस्त करें कि फर्जी तरीके से किसी को नहीं फंसाया जायेगा । मान्यवर, इस सूचना पर बल देते हुए मैं निवेदन करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये ।

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)–

मान्यवर, अगर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी मौके पर जायें तो पता चले गांव में बब्बू निषाद का नाम लोग ले रहे हैं, हम मौके पर गये थे, मान्यवर, एक आदमी से कोई लेना-देना किसी का

नहीं है, जितने गांव के छोटे-छोटे बच्चे हैं वे भी जानते हैं कि एक दिन पहले वह मौजूद था, उसकी रायफल पकड़ी गयी । जिससे हत्या की गयी । माननीय कुंवर साहब मौके पर जायें । अगर आदमी उसका नाम नहीं लेंगे तो जो कुंवर साहब कहेंगे, हम मानने के लिए तैयार हैं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि 6 लोगों की जान इसमें गयी । नामजद रपट है, सुबह साढ़े 8 बजे 4 मई, 2001 को रिपोर्ट दर्ज हुई । नामजद अभियुक्त हैं रिपोर्ट दर्ज करने वाले का नाम तेज प्रताप पुत्र गजराज सिंह, जो कारण लिखा है वह आम तोड़ने के विवाद का कारण लिखा है । इसमें मान्यवर, स्थानीय पुलिस की कमी को देखते हुए वहां के थानाध्यक्ष, वहां के हेड कांस्टेबिल और दो सिपाही ये निलम्बित कर दिये गये हैं । जहां तक कार्यवाही की प्रगति का प्रश्न है मोटर साइकिल और एक राइफल दोनों चीज बरामद कर ली गयी है । लाल बहादुर सिंह और गप्पू सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है । दो तीन शंकाएं दर्शायी गयी हैं एक आशंका यह दर्शायी गयी कि समाजवादी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है ।

इसमें घटना के तुरन्त बाद डी० आई० जी० पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों मौके पर पहुंचे । मौके पर पहुंचने का असल मकसद यह होता है कि कहीं जांच में तफ्तीश में कोताही न बरती जाये स्थानीय पुलिस को मार्गदर्शन प्राप्त हो तो यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ । आश्वासन के लिए आपने कहा । इसमें हमारा आश्वासन है कि जितनी भी जांच/तफ्तीश की जायेगी, पूर्णतः निष्पक्ष होगी और हम हिदायत भी दे चुके हैं वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि अनावश्यक रूप से किसी का उत्पीड़न न किया जाय लेकिन जो घटना करने वाले हैं, जो मारने वाले हैं या साजिश की 120 बी में आते हैं इसकी जांच तो निश्चित रूप से की जायेगी । किस पार्टी के हैं किसके ऊपर क्या बैनर लगा हुआ है किस राजनीतिक विचारधारा के हैं यह अलग बात है मान्यवर, अगर अपराधी हैं तो अपराधी माना जायेगा क्योंकि 302, 307, 147, 149, 129 धारायें इसमें लगी हुई हैं । या तो आप कोई ऐसा नियम बना लीजिये आपको मौका मिला है नियम बना नहीं पाये हैं लेकिन परम्परा डाली है कि अगर किसी पार्टी विशेष का आदमी कत्ल भी कर दे तो उस आदमी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी लेकिन मान्यवर, यह इस शासन में नहीं चल पायेगा । हमारे मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कुंवर साहब चलें क्षेत्र में तो पता चल जायेगा मान्यवर, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं तो अपेक्षा यह करता था कि आप क्षेत्र में जायेंगे जनता से मिलकर आयेंगे तथ्यों का आंकलन करके यहां आयेंगे । इलाहाबाद से कोई मुल्जिम आ गया आपको बता दिया और आप ने कह दिया कि उसका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए । मान्यवर, मुझे एक वेदना होती है आपने कहा कि इसकी जांच इससे हटाकर सी० बी० सी० आई०डी० से करा दी जाये इसका मतलब यह है कि महीने 2 महीने, 6 महीने कोई कार्यवाही न हो पाये। निष्पक्षता से जांच की मांग करना यह बात तो समझ में आती है लेकिन जांच एजेन्सी बदलकर दूसरे से इसकी जांच करा दी जाये, यह कहां उचित है । मैं पुनः यह आश्वासन देते हुए कि निष्पक्षता से जांच की जायेगी, अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा और पूरा प्रयास इस बात का किया जायेगा कि जिन लोगों की साजिश इस घटना में हैं उनको बक्शा नहीं जायेगा उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी, यह मुझे कहना है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, बड़ा ही निराशाजनक रहा । मेरा यह कहना नहीं था कि किसी को बचाया जाय । आप सी० बी० सी० आई० डी० जांच मत कराइये, लेकिन सी० ओ० को हटा दें । वैसे सी० बी० सी० आई० डी० जांच एक हफ्ता में भी होती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने बब्बू निषाद का नाम लिया था, इसलिए मुझे कहना पड़ा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं भी जानता हूं कि जांच एक हफ्ता, 10 दिन में भी हो सकती है, आप 15 दिन में करवा लें। आपने बब्बू निषाद का नाम लिया और कह दिया कि बक्शा नहीं जायेगा, उसका कसूर सिर्फ यही है कि वह निषाद बिरादरी का है और गरीब परिवार का है और उसने वंश नारायण पाण्डे, भाजपा के हैं, उनको चुनाव में हराया । आप तो विधिवेत्ता हैं, आप एफ० आई० आर० को देख लें । जिन लोगों की हत्या हुई है, उनकी तरफ से जो एफ० आई० आर० हुई है, उसमें भी कहीं बब्बू निषाद का नाम नहीं है यदि उसमें बब्बू निषाद का नाम हो तो मैंने सदन में जो बात कही है, मैं उसको वापस कर लूंगा और सदन से क्षमा मांग लूंगा कि मैंने गलत तथ्य रख दिये हैं । केवल जाने मात्र से सही जानकारी नहीं हो जाती, वैसे मैं इतवार को वहां जा रहा हूं । मैं कहना चाहूंगा कि वहां बब्बू निषाद से कोई लेना देना नहीं था, वह मौके पर था ही नहीं । बन्दूक और बुलेट गाड़ी की जो बात कही जाती है, वह करछना के राजेन्द्र सिंह के यहां बरामद हुई है । बब्बू निषाद का कोई आपराधिक चरित्र भी नहीं है, कभी उसने कोई कत्ल भी नहीं किया है और उसकी तो 5-6 फैक्टरी बम्बई में चलती हैं और वह दूसरी बार ब्लाक प्रमुख हुआ है । इस तरह कहकर किसी का चरित्र हनन करना कोई अच्छी बात नहीं है । मेरा आज तक इस तरह का कभी राजनैतिक जीवन नहीं रहा है, न किसी अपराधी से मेरा सम्पर्क रहा है । अगर इस तरह की कोई बात बता दें तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

ऐसी कोई बात नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

किसी अपराधी को बचाने की मेरी कोई मंशा नहीं है, इसलिये मैं सी० बी० सी० आई० डी० की जांच चाहता हूं कि निर्दोष व्यक्तियों को न पकड़ा जाय । ग्राम नरैना के राजेन्द्र सिंह, उनके दो बच्चों को करछना थाने में लाकर बिठाया गया है, ग्राम थूरिया के विनोद कुमार सिंह को जो 30–40 किमी० दूर के रहने वाले हैं, उनको पकड़ कर प्रताड़ित किया जा रहा है । आप क्षमा करेंगे, मैं कभी जाति का उद्बोधन नहीं करता हूं, लेकिन ठाकुर बिरादरी के लोगों को पकड़कर पुलिस बंद कर रही है और उनके घरों पर छापे मार रही है । हत्या हुई दो पार्टियों के बीच, दोनों परिवार ठाकुर थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे ठाकुर दोषी हैं, यह कैसे मान लिया जाय । वैसे मैं ठाकुर नहीं हूं । माननीय मंत्री जी, आप कृपया इस मामले को संवेदनशीलता से लें, यही मेरा आपसे आग्रह है । आपने जो जवाब दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी, मैं पूछना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी, जब तक वह सी० ओ० वहां रहेगा । आप तो वकील भी हैं, शासन का अनुभव भी है । पहले आप उसे हटा दीजिये । सी० बी० सी० आई० डी० जांच की मांग को मैं वापस करता हूं । उस सी० ओ० के स्थान पर किसी भी दूसरे एक्स० वाई० जेड को वहां कर दें । मैं पनिशमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं, ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट । मैं केवल यह चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाय और जो व्यक्ति इसके लिए दोषी हों, चाहे कोई हो, अवश्य दण्डित किया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

अधिकारी विशेष के बारे में कहा है, इसको निश्चित रूप से दिखवा लेंगे, यदि सी० ओ० दोषी है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

* श्री राम कृपाल–

मान्यवर, कुंवर साहब ने जो कहा है, वह सही कहा है । बब्बू निषाद तो 3 तारीख को नारीबाई बारात गये थे, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है । ब्लाक प्रमुख के चुनाव को लेकर एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है । उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनके यहां छापा मारा जा रहा है । अभी दो दिन पहले उनके यहां छापा मारा गया । मान्यवर, उनका उत्पीड़न न किया जाए । मान्यवर, सी० ओ०, मेजा को जब तक नहीं हटाया जायेगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पायेगी

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुं० रेवती रमण सिंह, श्री अम्बिका चौधरी, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राम कृपाल तथा संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री राकेश धर त्रिपाठी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 56 में नहीं आती है । अतः मैं इसे निरस्त करता हूं । दूसरी सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट की है ।

*श्री राम कुमार एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की खरीद के लिए बिक्री कर में छूट के लिए जो फार्म दिये जाते हैं और कच्चा माल सप्लाई करने वाली फर्मों द्वारा यह स्वीकार किये जाते हैं । मैं इस संबंध में सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए । मान्यवर, प्रदेश में स्थित पेट्रोलियम कम्पनियों जैसे कि इण्डियन आयल कारपारेशन लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० एवं आई० बी० पी० द्वारा उक्त बिक्री कर छूट के फार्म बराबर नहीं किये जा रहे हैं । इनके द्वारा उक्त फार्म स्वीकार न किये जाने के कारण प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । यदि यह औद्योगिक इकाइयां बिना बिक्री कर छूट के कच्चा माल खरीदती हैं तो उनके द्वारा तैयार किये गये माल के दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से लाये गये माल से अधिक होते हैं जिस कारण वह अपने माल को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेचने में असमर्थ पाते हैं ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के सामने अपनी उपस्थिति बनाये रखने के साथ-साथ उनमें कार्यरत श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही है ।

(इस समय 1बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है । मैं इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर,. यह एक कर में रियायत देने की सुविधा है, जो फार्म–3–ख है यह सुविधा दी गयी है । आपने कहा कि कुछ कम्पनियां इसे नहीं मान रही हैं । मान्यवर, मेरी जानकारी में तो ऐसा है नहीं । मैं जानकारी कर लूंगा कि कोई कम्पनी इसे नहीं मान रही है । यह तो नियमों के अनुसार है, कानून में यह सुविधा उपलब्ध है । यदि सुविधा उपलब्ध है तो वह देनी चाहिए । मैं इसका संज्ञान लूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती, इसलिए अस्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

अधिष्ठाता महोदय, यह अति लोकमहत्व का प्रश्न है, आज पूरे प्रदेश में सियारों का आतंक है। वह पागल हो जाते हैं और गाँव में घुसकर मनुष्यों को काटते हैं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर, ग्राम सभा नेवारी में 7 व्यक्तियों को पागल सियार ने काटा। इसी के साथ-साथ एक गड़पतिपुर ग्राम है वहां दो व्यक्तियों को सियार ने काटा। मैंने इसकी सूचना अम्बेडकर नगर में सी०एम०ओ० को दी कि पागल सियार ने 9 व्यक्तियों को काट लिया है आप इनकी दवा हेतु, उपचार हेतु दवा भिजवायें। मान्यवर, हमारे यहां एक ही पी०एच०सी० है, और जहांगीरगंज में विषैले जानवारों के काटे की दवा नहीं है। उस नेवारी गाँव के मुहम्मद याकूब, जो सोये हुए थे उनको सियार ने रात में काट लिया। जिससे पागल होकर और सियार की आवाज में चिल्ला-चिल्लाकर उनकी 2 मई, 2001 को मृत्यु हो गयी। अगर समय से उपचार हुआ होता तो शायद मुहम्मद याकूब की मृत्यु नहीं होती। वहां के पी०एच०सी० के डाक्टर ने कहा कि दवा चल रही है लेकिन किसी प्रकार का उपचार नहीं किया गया। हालाँकि प्राइवेट अस्पताल में भी उसकी दवा करायी गयी लेकिन काफी देर हो चुकी थी। मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि जिस डाक्टर ने लापरवाही बरती है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाये और शासन उसे कम से कम 5 लाख रुपये की मुआवजा दे और उसके बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाये जिससे उसके परिवार का जीवन-यापन हो सके।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ अगर वहां पर दवाओं की उपलब्धता नहीं है तो उसे सुनिश्चित कर लिया जायेगा। एक बात बताना चाहूंगा कि शासन की तरफ से निर्देश है कि अगर कोई ऐसे वन्य जीव हैं जो खतरनाक साबित हो रहे हैं और उससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उनके शिकार के लिए जिलाधिकारी परमिट दे सकते हैं। जहां तक दवाओं के अभाव की बात है, हम उसको पूरा करवा देगें।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री भीम प्रसाद सोनकर एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री संजय गर्ग की है।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ घोषणा कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी, अब अगली सूचना के लिए बुला लिया है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया। मैं अपने क्षेत्र की एक अविलम्बनीय, लोकमहत्व की सूचना सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। कल ही की घटित हुई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटना है । सहारनपुर नगर में कुतुब क्षेत्र थाने के अन्तर्गत नवीन मण्डी स्थल रोड, लकड़ी मण्डी में आमतौर पर रास्ता जाम होने की समस्या रहती है । कल रास्ता जाम था उसी समय स्कूटर सवार सलीम नामक युवक से आपस में कुछ लोगों की झड़प हुई और मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गयी । भीड़ में इसके प्रतिरोध में अम्बाला रोड को जाम कर दिया और पुलिस व प्रशासन के समय से न पहुंचने के कारण लकड़ी मण्डी में लूटमार और आगजनी की घटना हो गयी । लकड़ी की नक्काशी का काम करने वाले लोगों की करोड़ों रुपये की लकड़ी को आग की भेंट कर दिया गया । एक दर्जन शो-रूम तथा दुकानों में आग लगा दी गयी तथा उनकी नगदी लूट ली गयी । यह दो बजे की घटना है, इसके कई घण्टे के बाद पुलिस और प्रशासन सक्रिय हुआ । इस घटना से पूरे सहारनपुर में दहशत और भय का माहौल व्याप्त है । मैं यह बात शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस घटना से पूर्व भी नवीन मण्डी स्थल के संकरे मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सवाल उठाने का काम किया था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया । मान्यवर, उस संकरे मार्ग पर आये दिन जाम रहता है और आपस में झड़पे हुआ करती हैं । कल इसी के परिणाम स्वरूप एक नवयुवक की हत्या हो गयी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम के सरकार से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो । पुलिस कर्मी तथा जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है और शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है । मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से, शासन की तरफ से मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये । और जिनकी लाखों रुपये की सम्पत्ति जल कर राख एवं प्रभावित हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करने पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह कल की घटना है 9 तारीख की जिसमें सलीम की मृत्यु हो गई । मान्यवर, रास्ते में जाम लगा हुआ था । कालू और बब्लू इन दोनों से सलीम का झगड़ा हुआ । कहा-सुनी में लोग इक्ट्ठा हो करके सलीम की पत्नी को मारने लगे । अस्पताल ले जाते समय सलीम की मृत्यु हो गयी । तो मान्यवर, ऐसे मौके का शरारती तत्व फायदा उठाते हैं । वहीं लकड़ी की टाल थी उसमें आग लगा दी गयी । मान्यवर, सरकार ने घटना की जानकारी प्राप्त कर ली है और वहां पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है । दोनों के मन कोई शंका या गड़बड़ी उनके मन में नहीं थी न तो दोनों में कोई दुश्मनी थी । दोनों एक ही समुदाय के थे । केवल इतनी बात हुई किसी बात में कहा-सुनी हुई और स्थिति का फायदा उठा लिया । मान्यवर, शासन को जो करना चाहिए था वह कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री संजय गर्ग और हुकुम सिंह को सुनने के पश्चात्, यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः यह अस्वीकृत हुई ।

श्री राम कृपाल–

मान्यवर, आपने नियम–56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया है हम सदन के अन्दर अपनी बात को रखना चाहते हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर विधान सभा सदस्यों के लिए 50-50 हैण्डपम्प अपने क्षेत्र में लगाने के लिए प्रस्ताव दिया है । हमारे जनपद इलाहाबाद में बारा में और मेजा में 50 हैण्डपम्प की जगह मेजा में 10, बारा में 10 ही लगे हैं और अब 50 हैण्डपम्प नहीं लगाया जा रहा है । जल निगम के अधिकारियों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि पैसा नहीं मिला है। मुख्य विकास अधिकारियों से पूछा जाता है तो वे सही-सही जवाब नहीं देते हैं । मान्यवर, ये अधिकारी पैसे का दुरुपयोग करके जनता को गुमराह कर रहे हैं । जिलाधिकारी, इलाहाबाद और जल निगम के अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाये कि हमारे क्षेत्र में अवशेष हैण्डपम्प लगाये जायें । बारा और मेजा में जो अभी तक नहीं लगाये गये हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिलाधिकारी से विस्तृत आख्या प्राप्त कर ली गयी है । अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम कृपाल एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसको मैं निरस्त करता हूं ।

* डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र महमूदाबाद की कताई मिल के बारे में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं । यह अत्यन्त अविलम्बनीय, लोक महत्व का प्रश्न है । मान्यवर, वहां पर काम कर रहे सैकड़ों लोग 25 अप्रैल से क्रमिक अनशन और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं । मान्यवर, वहां की कताई मिल 3 साल से बन्द है, मान्यवर, सरकार का स्पष्ट आदेश है कि मिलों में कार्यरत मजदूरों और अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद ही कोई मिल बन्द की जायेगी, लेकिन मान्यवर, वहां की कताई मिल पिछले तीन सालों से बन्द पड़ी है, और इस सम्बन्ध में वहां के मजदूरों आदि से इस संबंध में कोई बात नहीं की गयी, और कताई मिल को बन्द करने की कार्यवाही हो गयी । मान्यवर, वहां पर कार्यरत हजारों मजदूरों के परिवार और स्वयं मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं और मान्यवर, क्योंकि कम से कम एक हजार लोग वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर कम से कम वह दो-तीन चीजों को अवश्य देख लें कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिससे वह मिल बन्द हो गयी, और वह मिल बन्द होने से पहले वहां के मजदूरों को कोई नोटिस क्यों नहीं दी गयी, और मान्यवर, क्या वह कताई मिल फिर से शुरू हो सकती है, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उस मिल का निजीकरण कर दिया जाये, जिससे वहां पर कार्यरत मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों को भुखमरी की स्थिति से बाहर निकाला जा सके ।

मान्यवर, वहां पर जो मजदूर कार्य करते थे, उनका भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है, वहां की कताई मिल वहां के लेबर प्रबन्धकों की साजिश से बन्द हुई है, तो मान्यवर, जिनकी साजिश से वह मिल बन्द है, और वी० आर० एस० के पैसे का भुगतान तक नहीं हुआ है । मान्यवर, लेबर कमिश्नर के स्पष्ट आदेशों के बावजूद वहां के प्रबन्धकों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और मान्यवर, वहां के प्रबन्धक और अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से उस कताई मिल के जो मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा है, और वहां के मजदूर एवं उनके परिवार जो सड़क पर आ गये हैं, मान्यवर, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही रोककर, इस पर चर्चा कराई जाय, और अधिकारी या अन्य सदस्य जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसमें दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ अविलम्ब कठोर और निष्पक्ष कार्यवाही कराई जाय ।

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ की स्थापना उ० प्र० कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1965 के तहत पंजीकृत कराकर की गयी थी । इसके अधीन 11 कताई मिलें इटावा, बुलन्दशहर, नगीना (बिजनौर),. मगहर (सन्त कबीर नगर), महमूदाबाद (सीतापुर), अमरोहा (ज्योतिबाफुलेनगर), बहादुरगंज (गाजीपुर) बहेड़ी (बरेली), मऊ आयाम (इलाहाबाद), कम्पिल (फर्रुखाबाद) एवं फतेहपुर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थापित हैं । वर्तमान में जून, 2000 तक संघ की मिलों की संचित हानि लगभग 329.00 करोड़ हो चुकी है । संघ की सदस्य मिलों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं रही है, संघ के मिलों के पुनर्वासन एवं सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार एवं अन्य स्रोतों से लगभग 201.00 की धनराशि प्राप्त होने पर भी संघ की मिलें हानि पर संचालित होती रही और निरन्तर हानि और कार्यशील पूंजी के अभाव में वर्तमान में संघ की छः मिलें मगहर, नगीना, इटावा, बुलन्दशहर, महमूदाबाद (सीतापुर) एवं कम्पिल बन्द हैं ।

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० समूह की कम्पनियों द्वारा पुनर्वासन पैकेज के अतिरिक्त सहायता की मांग किये जाने पर यह विनिश्चय किया गया कि इन मिलों का अध्ययन इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ से कराया जाये । आई० आई० एम० की रिपोर्ट में बन्द मिलों को चलाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । आई० आई० एम० की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ के मुख्यालय एवं बन्द छः मिलों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू कर मिलों के निजीकरण की कार्यवाही की जाये । इस निर्णय के क्रम में संघ के मुख्यालय के कर्मचारियों हेतु 2.45 करोड़ की धनराशि वी० आर० एस० हेतु अवमुक्त कर दी गयी है और उसका वितरण भी कर दिया गया है । बुलन्दशहर और सीतापुर कताई मिल के कार्मिकों के वी० आर० एस० हेतु रु० 20.11 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसको अवमुक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है । ताकि कार्मिकों को वी० आर० एस० का लाभ प्राप्त हो सके । शेष बन्द मिलों में सीतापुर एवं बुलन्दशहर कताई मिलों के विक्रय से प्राप्त धनराशि से वी० आर० एस० लागू किये जाने का प्रस्ताव है । मान्यवर, इस प्रकार से सरकार श्रमिकों के प्रति सचेत है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने महमूदाबाद की कताई मिल के बारे में कहा था और मंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जानकारी दे दी । मेरा बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है कि वह मिल क्यों बन्द की गयी । मंत्री जी मेरे क्षेत्र से 45 कि०मी० दूरी पर रहते हैं । कुछ दिनों पहले यह मिल फायदे में थी । पिछले दिनों कौन से कारण हुए कि मिल बन्द हो गयी । वी० आर० एस० का पैसा कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया । प्रबन्धक पैसे को क्यों नहीं बांट रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि पहले कहा जाता था कि भूसा भरवा दूंगा–सरकार वही कर रही है । मिल में धान और चावल भरा जा रहा है । हजारों लोग मिल बन्द होने से बेकार हो गये हैं । मंत्री जी ने पूरे प्रदेश का नक्शा पेश किया है मैंने महमूदाबाद सीतापुर के बारे में पूछा है । इसमें कब से घाटा है, कितना घाटा है और घाटे के कौन से कारण हैं जिससे यह स्थिति पैदा हुई ।

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, सरकार ने इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट से सर्वेक्षण कराया । उन्होंने कहा कि मिल को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । इसीलिए वहां पर वी० आर० एस० को लागू करने की बात की गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय डा० अम्मार रिजवी और माननीय सहकारिता मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है । इसको अस्वीकार किया जाता है ।

* श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज प्रदेश के किसानों के सामने जो गम्भीर समस्या है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाने का अवसर दिया । इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं। अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का गेहूं खरीदे जाने के संबंध में क्रय केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। यह भी घोषणा की गयी थी कि जब किसान गेहूं को क्रय केन्द्रों पर ले जायेगा 610 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका गेहूं खरीदा जायेगा। जो गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये हैं उनकी स्थिति के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैंने कल अपने क्षेत्र में कुछ केन्द्रों को देखने का काम किया है। मैंने देखा कि कुछ केन्द्र ऐसे थे जहां पर 20 हजार रुपये विभाग द्वारा देने का काम किया गया है। वहां पर गेहूं रखने के लिए केवल 200–250 बोरे भेजे गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था से आप कैसे गेहूं खरीद पायेंगे। यह सरकार घोषणायें तो बहुत करती है लेकिन काम नहीं करती। घोषणाओं के सहारे सरकार काम करना चाहती है। मैं कुछ केन्द्रों के बारे में एक पत्र भी मंत्री जी को भेज रहा हूं। यह मामला काफी गम्भीर है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपके यहां भी यही दिक्कत होगी। एक तरफ तो 20 हजार रुपये भेजे गये हैं और दूसरी तरफ 3-4 लाख का गेहूं क्रय किया गया है। जब किसान केन्द्रों पर पैसा के लिए आन्दोलन करेंगे तो सरकार उन पर लाठी गोली चलाने का काम करेगी। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे उन्नाव में जिलाधिकारी ने भी दौरा किया मैंने स्वयं भी दौरा किया पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कुछ केन्द्रों को देखा है अलोही, मंदही, निगौली सहकारी समिति के एक क्रय केन्द्र बड़गोपा विकास खण्ड के एक क्रय केन्द्र गोसाई खेड़ा, कंचनखेड़ा विकास खण्ड के क्रय केन्द्र को देखा वहां पर गेहूं खरीदने के लिए न पैसे हैं न बोरे हैं। आज किसानों का वहां गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। यह अत्यन्त लोक महत्व का मसला है मैं चाहता हूं कि इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी चर्चा करा लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, गेहूं क्रय करने की एक सतत प्रक्रिया है जब तक बाजार में गेहूं आएगा गेहूं खरीदा जाएगा। चित्रकूट के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की। इस व्यवस्था मे सबसे ज्यादा नियंत्रण क्षेत्रीय विधायक का होना चाहिए आपने दौरा किया यह आपकी रुचि का परिचायक है। इस प्रश्न पर खाद्य मंत्री जी विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं। जनपद चित्रकूट में दो हजार मी० टन का लक्ष्य रखा गया है उसके सापेक्ष धन और बोरे उपलब्ध करा दिये गये हैं।अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत मिली है तथा उन्होंने कोई जानकारी की है तो उसका उल्लेख कर दें हम शिकायत के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेंगे तथा जो कमी होगी उसको दूर कर दिया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 में नहीं आती है। अतः इसे अस्वीकार किया जाता है।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, जब पैसा नहीं है तो गेहूं खरीदने की बात कैसे होगी। बोरे नहीं हैं तो क्या होगा किसान तो अपना पैसा मांगेगा।

* श्रीमती गौरी देवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इस लोकमहत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में विकास खण्ड खोरावार है यह सूवाबाजार है रानीडीहर है जंगल सीकरी है यह गांव अम्बेडकर गांव है यहां छोटे-छोटे कास्तकार हैं इसमें एक आदमी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिर्फ लगान देता है उससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने छोटे-छोटे कास्तकार हैं। किसी के पास एक एकड़ जमीन है, किसी के पास दो एकड़ जमीन है उधर विकास प्राधिकरण जोर जबरदस्ती से उन गरीब किसानों की जमीन अधिगृहीत कर रहा है जनता में आक्रोश है। जनता धरना प्रदर्शन के लिए उतारू हो गई है। आये दिन धरना प्रदर्शन गोरखपुर में हो रहा है। हमारे क्षेत्र से जुड़ा एक गांव मानीराम है वहां भी विकास प्राधिकरण जमीनें ले रहा है। यह छोटे-छोटे काश्तकार हैं बड़ी भूमि वाले नहीं हैं। इनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। यह भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह छोटे-छोटे काश्तकार है सभी आक्रोशित हैं, गरीब हैं और आज संघर्ष के लिए उतारू हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इसे स्थगित करवा दिया जाय। अभी कमिश्नर ने लेकिन स्थगन के बजाय वहां पर इसे निरस्त कराया जाय। अभी आपके एक नेता हैं सुरिन्दर शुक्ला वह कहते हैं कि मैंने अधिग्रहण का कार्यक्रम स्थगित करवा दिया है लेकिन मैं चाहती हूं कि इसे निरस्त कराया जाय। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, माननीय सदस्या ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके बारे में, मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहता हूं कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही विचाराधीन है फिर भी जो सूचना दी गयी है, मैं वहां से जानकारी प्राप्त करवा लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

श्रीमती गौरी देवी और श्री नगर विकास मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को नियम–56 में अग्राह्य मानते हुए निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री कौकब हमीद जी की है।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह सरकार अपने आप को बहुत संवेदनशील कहती है दावे करती है कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पैकेज बनाये हैं लेकिन वे सारे काम कहां हुए मेरी समझ में नहीं आता। 1996 तक मेरठ में पीसीएस का परीक्षा केन्द्र था मगर इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और केन्द्र हटा लिया। अब पीसीएस के परीक्षा केन्द्र केवल इलाहाबाद और लखनऊ में हैं। अब जो लड़का किसान का गरीब परिवार का है वह इतना पैसा खर्च करके 600 किलोमीटर दूर आयेगा आता है और जब परीक्षा देने आता है तो कमरा लेकर रहता है जिसका किराया भी महंगा लिया जाता है। इस सबसे उसका बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है लेकिन यह सरकार इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि इसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। सवाल यह नहीं है कि यह प्रश्न नियम–56 में नहीं आता निरस्त किया जाता है। सवाल यह है कि आप वहां एक परीक्षा केन्द्र नहीं चला पाये। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सुविधायें मौजूद थीं उन्हें भी खत्म कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि वे यहां पर यह घोषणा करें कि हमने जो सदन में पहले जो घोषणा की थी परीक्षा केन्द्रों के खोले जाने के विषय में उसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परीक्षा केन्द्र खोलेंगे।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, वह तथ्यपरक नहीं है। उनका कहना है कि यह सरकार इसमें संवेदनशील नहीं है। मान्यवर, जैसे ही यह तथ्य सरकार के सामने आये थे शासन ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विगत वर्ष सम्मिलित राज्य अधीनस्थ परीक्षा 2000 मेरठ केन्द्र से संचालित कराई गई और भविष्य में भी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें मेरठ केन्द्र रखा जायेगा। सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए गाजियाबाद, मुरादाबाद और मेरठ तीनों जगह केन्द्र खोले गये हैं। जो उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है यह इन्होंने तथ्यों की जानकारी न होने के कारण और अज्ञानता के कारण ही इसको उठाया है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री कौकब हमीद और आबकारी मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आता हूं कि यह नियम–56 में नहीं आती, अतः निरस्त की जाती है। अगली सूचना श्री विनोद मणि जी की है। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, पिछले वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से तीन जनपद महराजगंज, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के जो बन्धे, सितम्बर में टूट गये थे, जो सड़कें बाढ़ आने के कारण से गत वर्ष टूट गयी थीं, उनके मरम्मत का कार्य आज तक नहीं कराया गया है। मान्यवर, बरसात नकदीक आ गई है। इन जनपदों के किसान परेशान हैं कि आने वाली बाढ़ से लोगों को पुनः बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बर्बादी का मुख्य कारण हर साल आने वाली बाढ़ है और उससे होने वाली क्षति है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी, अभी आये थे चले गये, संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष महराजगंज में नगवा बेहड़ा, करमैनी, पनघटिया, रिगौली, बेलसड़ गोरखपुर में असवनपार, कोल केशव थेड़ी,. डडरी, कोठा, मेमरा, नवलपुर आछीडीह, टेढ़िया, ठोकर नं०–1 छजिया बगहा, बिस्तौलिया बन्धे टूट गये।

सरकार की संवेदनशीलता यह है कि सितम्बर से आज तक इन बन्धों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया और पैसा कहां दिया गया, हमारे जनपद महराजगंज में महाव नाले की सिल्ट सफाई के लिए। इसमें एक करोड़ रुपया दिया गया और वह इसलिए दिया गया कि माननीय मंत्री जी के सगे साले ने उसमें ठेकेदारी करके फर्जी भुगतान किया है। गोरखपुर जनपद में भौआघाट बेला बंधे पर 50 लाख का फर्जी भुगतान कराया गया। हमने लिखकर दिया था कि इसकी जांच करा लें। माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं इसके बाद अलग से जांच के लिए लिखकर देने का कौन सा औचित्य है। पैसा वहां दिया जा रहा है जहां पर मंत्री जी के लोग हैं, वे फर्जी भुगतान करके पैसा बना रहे हैं। मैंने जो इन बन्धों की बात बताई है वहां पर एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से एक बात और कहना चाहता हूं गोरखपुर से महराजगंज होते हुए धानी बृजमनगंज सड़क सितम्बर माह से टूटी हुई है। आखिर सड़कों के लिए आपका क्या मानक है। 6 महीने से वहां लोग परेशान हैं आने जाने का रास्ता बहुत खराब हो गया है। किस आधार पर आप बाढ़ को रोकने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, यह सरकार बाढ़ बचाने के नाम पर नेपाल से आने वाले पानी को रोकने के लिए जो योजनायें जलकुंभी आदि बनाई हैं उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। टूटे बंधों के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। मान्यवर, हम भी इस सदन के सदस्य हैं, हमारा भी इतना अधिकार है,हम जानना चाहते हैं.....।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी है।

श्री विनोद मणि–

श्रीमन्, दसवें नम्बर पर सूचना है लेकिन महत्वपूर्ण है, मान्यवर, शलाका तो शलाका है मेरा दोष नहीं है। आखिरी बात कहना चाहता हूं क्या मानक सरकार का है, सारे सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र में स्थिति खराब है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री विनोद मणि–

10 करोड़ से ज्यादा की सड़कें इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण मंत्री जी के क्षेत्र में बन रही हैं। मेरी सूचना अविलम्बनीय है लोक महत्व की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन से यह जुड़ा है इसमें सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायें।

* श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महराजगंज गोरखपुर में जैसा कि बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कें हर साल खराब हो जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि आने जाने में बहुत बाधा आती है। पी० डब्लू० डी० मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी हैं आपके बयान बहुत छपते हैं। विधायकों के पत्र भी बहुत आते हैं कि आजमगढ़ जिले में सड़के बहुत खराब हैं। गड्ढे बहुत हैं जिसके कारण रोज घटनायें होती हैं। चाहे विन्ध्यवासिनी बिहार का मार्ग हो चाहे गोसाई मार्ग हो पूरे प्रदेश में स्थिति दयनीय है। माननीय मंत्री जी ने एक करोड़ रुपया पी० डब्लू० डी० खंड–2 को भेजा है लेकिन पी० डब्लू० डी० विभाग के लोगों ने मरम्मत का कार्य नहीं किया है। एक महीने का समय बाकी है आज स्थिति यह है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मड़ाई, विसु दोनों नदियां हैं यहां बाढ़ से सड़कें टूटी हुई हैं मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। पी० डब्लू० डी० के अभियन्ता बैठे हैं पता नहीं कौन सड़कें बना रहा है। मैं मांग करता हूं कि सड़कें बाढ़ से बरबाद हो रही हैं लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करायें इतने गड्ढे हो गये हैं कि आजमगढ़ जाने वाली सड़कों से जा नहीं पा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

* सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, बाढ़ का जहां तक विषय है उससे सुरक्षा के लिए पहली बार पूरे प्रदेश में जो बंधे क्षतिग्रस्त हुए थे उनकी सूची पहले से मंगा ली गई है। उसके स्टीमेट की जांच कराई गई तीन एक्स० ई० एन० ने ज्यादा स्टीमेट बनाया था उनको हटाया गया है उनके ए० इ० के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसको अन्तिम रूप दे दिया गया है 318 बंधे पूरे प्रदेश में हैं जिन पर मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है और 15 जून तक पूरा कराने का निर्देश दिया है। प्रत्येक जिले में कौन-कौन से बांधों पर मरम्मत का कार्य हो रहा है इसकी सूची जब मैं गोरखपुर गया था तो प्रदेश शासन को भी दी और माननीय विधायकों को जिलेवार सूची भेज रहे हैं। इसलिए यह कहना कि सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए संवेदनशील नहीं यह परम्परागत आलोचना के शब्द हैं, इसमें कोई यथार्थ नहीं है। पिछले वर्ष बाढ़ सुरक्षा पर 47 करोड़ खर्च किया गया था इस बार हमने 91 करोड़, वित्तीय संकट को देखते हुए विभिन्न मदों से व्यवस्था करके, खर्च कर रहे हैं। बाढ़ के बारे में लोगों की राय यह है कि जो बाढ़ का पैसा दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है। तो यह पहली बार हुआ है कि दुरुपयोग न हो और जिस कार्य के लिए दिया गया है वहीं लगे पूरी सूची कार्य शुरू कराने से पहले बना ली गयी है। यह शासन की नेकनीयती पारदर्शिता और कार्य योजना एवं विश्वास है कि प्रत्येक जिलों में, जो-जो बांध सुरक्षा कार्य के लिए चयनित हैं उनको डिस्पैच किया जा रहा है। बहुत से लोगों को मिल गया होगा अगर नहीं मिला है तो मिलने वाला होगा एक दो दिन में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पैसे का सदुपयोग हो इस पर विधायक नजर डालें । जहां तक आरोप की बात कही है यह परम्परा बन गयी है कि आरोप लगा दो । पैसे का कहां उपयोग हो और किस प्रकार पैसा जाय इसके लिए हमारे अधिकारियों ने सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है । जहां तक यह कहा गया है कि सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, सफाई नहीं हुई है तो यह विषय अलग है । जो विषय सामने आया है बाढ़ का उसमें तात्कालिकता है और इस पर कार्यवाही शासन कर चुका है, 15 जून तक कार्य हो जायेगा । 20 जून से 30 जून के बीच शतप्रतिशत कार्यों की चेकिंग एक टीम बनाकर की जायेगी । जहां तक आवश्यकता है और धन उपलब्ध है उसके आधार पर प्राथमिकता पर चयनित होगा । सड़क बनाने का काम नहीं किया गया है या कम किया गया है तो उसके पहले भी सरकारों ने क्या किया ? क्योंकि उसके लिए पांच-छः करोड़ की आवश्यकता है, वित्तीय संकट होते हुए भी दो गुना खर्च करने का काम किया है । इसके बावजूद ऐसे कार्य जो छूट गये हैं, जो गम्भीर है और तात्कालिक बन जायेंगे, वह माननीय सदस्य दे देंगे तो संशोधन को देखते हुए कार्य कराने का प्रयास किया जायेगा । इसमें कदम उठाया जा चुका है अतः इसको निरस्त करने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । यह नियम–56 में नहीं आती है । अब मैं मद संख्या–9 ले रहा हूं ।

श्री विनोद मणि तिवारी–

मान्यवर, यह प्रकरण गम्भीर और तात्कालिक है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली मद पर आ गया हूं आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,17,49,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं बड़ी विनम्रता से आज सदन में कृषि विभाग का चौथा बजट प्रस्तुत करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ । मान्यवर, इस पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है आज भी श्रीमन् 72 फीसदी जनसंख्या कृषि पर आधारित है । और मान्यवर, राष्ट्रीय जी०डी०पी० में जहां कृषि का हिस्सा 24 प्रतिशत होता है वहीं मान्यवर, स्टेट जी०डी०पी० में कृषि का हिस्सा 40 फीसदी है यह अपने में यह दर्शाता है कि इस प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि और उससे संबंधित विभाग है । मान्यवर, पिछले वर्षों में सम्मानित सदन में जब मैं कृषि का आय-व्ययक प्रस्तुत किया था उसमें मैंने यह निवेदन किया था कि इस प्रदेश में कृषि को द्रुत गति प्रदान करने के लिए कुछ कार्य योजनाएं, कुछ दिशा निर्देश मैंने सदन के समक्ष जो निश्चित किये थे वह जो रखे थे ।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो पिछला वर्ष रहा है 1999-2000 जो उत्पादन उसमें प्राप्त किया था और 2000-2001 में जितने उत्पादन का लक्ष्य था वह लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाये हैं । मान्यवर, पिछले वर्ष सबसे बड़ी समस्या जो प्रदेश के किसानों के समक्ष आयी थी, वह आई थी बारिश की । मान्यवर, पिछले 2 वर्षों में जितनी बारिश हुई है उससे नहीं लगता कि बरसात की

कमी थी । लेकिन यदि यह देखा जाये कि कब किस हफ्ते में, किस जनपद में कितनी बारिश हुई है तो अजीब बिडम्बना सामने आती है जहां एक तरफ किसी माह का पूरा औसत देखें तो बारिश किसी जनपद में अधिक मिलती है और वहीं कोई जनपद में 22 दिन, 15 दिन 18 दिन बिल्कुल अवर्षा से गया है । मान्यवर, इसका प्रभाव विशेष रूप से खरीफ की फसल पर पड़ा है । आप स्वयं जिस जनपद से आते हैं आपने देखा होगा हरदोई, उन्नाव, हाथरस पूरी तरह से प्रभावित था सूखे से । चावल का उत्पादन जहां 1999-2000 में 126 मीट्रिक टन हुआ था यह मानने में तनिक संकोच नहीं है कि इसके बाद 115 लाख टन हुआ । मान्यवर, सितम्बर के पहले सप्ताह के बाद से आज तक प्रदेश में बारिश नहीं हुई । रबी की फसल बिना बरसात के निकल गयी । जो बरसात मार्च-अप्रैल के महीने में हुई है इसका प्रभाव रबी की फसल पर भी पड़ा है इसके बावजूद भी मान्यवर, जो आंकड़े हैं जो उपलब्धता है, अभी रबी के पूरे आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाये हैं थोड़ा समय लगेगा । मान्यवर, 424 लाख 71 हजार टन खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2000-2001 में हुआ । मान्यवर, कृषि की आवश्यकता, कृषि की ग्राह्यता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में, माननीय वित्त मंत्री जी की कृपा से कृषि विभाग को इस वर्ष, गत वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक धन उपलब्ध कराया गया । जहां पिछली बार 2000-2001 में 1166.3258 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया था वहीं इस वर्ष 2001-2002 में 1265.4678 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो 9 प्रतिशत पिछले वर्ष से अधिक है । मान्यवर, जो स्वीकृतियां विभाग को प्राप्त हुई थीं, जो धन अवमुक्त हो सका था, मैं यह भी कहने में संतोष प्रकट करता हूं और अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद भी देता हूं कि जितना धन अवमुक्त हुआ था उसका 95 प्रतिशत धन व्यय हुआ है । लगभग 17 लाख क्रेडिट कार्ड गत वर्ष किसानों को वितरित कराये गये और इस वर्ष 77 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित कराने का इरादा है । वर्ष 99-2000 के सापेक्ष 2000-2001 में 895 करोड़ रुपये अधिक फसली ऋण वितरित हुआ है यह अपने आप में एक उपलब्धि है । मान्यवर, विभाग की अन्य जो हमारी उपलब्धियां हैं वह बाद में पेश करूंगा । कुछ आंकड़े मैं जरूर रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, इस समय हमारा जो लक्ष्य है 2001-2002 के लिए वह 5.21 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं । गत वर्ष जो विपरीत स्थिति रही प्रकृति की, उसके विपरीत जहां राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन में 5.172 प्रतिशत की कमी आई, मान्यवर, यह पूरे देश में विपरीत स्थिति रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में उचित प्रबन्धन और निवेशों को उपलब्ध कराकर इसे सीमित रखा गया और उत्तर प्रदेश में जो कमी आई है उत्पादन में वह केवल 3.17 प्रतिशत है । अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो कमी परिलक्षित हुई उससे प्रदेश स्तर पर 2 प्रतिशत कम है । मान्यवर, जो कमी परिलक्षित हो रही है इसमें हमारे गेहूं की उत्पादकता में एक से डेढ़ कुन्तल प्रति हेक्टेअर और चावल में 2 कुन्तल प्रति हेक्टेअर की कमी आयी है यह उत्पादन में है । लेकिन मैं इसके साथ-साथ जो समस्याएं हमारी हैं उनसे निजात दिलाने के लिए किसानों को, मैं एक चीज सदन के सामने रखना चाहता हूं । अभी प्रश्न के माध्यम से यह बिन्दु उठाया गया था, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने कृपापूर्वक चर्चा स्वीकृत की है। वह फसल बीमा है । जो प्राकृतिक आपदा से फसल की कमी आ रही है, उसकी वजह से किसानों का अहित न हो, किसानों को सुरक्षा मिले, संरक्षण मिल सके, इसके लिए ही फसल बीमा योजना भारत सरकार ने लागू की थी, जिसे पिछले वर्ष ही प्रदेश सरकार ने इसी सामान्य सदन में स्वीकृति प्रदान की है । मान्यवर, पिछले वर्ष खरीफ में जो किसानों को नुकसान हुआ, जो उत्पादन में कमी आई, विकास खण्डवार, अभी मैंने सदन में बताया था, उससे 3,73,42,831.37 पै० की भरपाई फसल बीमा योजना द्वारा, जनरल इंश्योरेंस कं० द्वारा की जानी है, जो की जा रही है । इसमें कुछ जनपद ऐसे हैं जो अत्यधिक प्रभावित हुए हैं । पहले तो मैं यह बता दूं, इस सदन में । जिन विकास खण्डों को सबसे अधिक क्षतिपूर्ति दी जा रही है, फसल बीमा कम्पनी द्वारा, उनके नाम औरय्या जनपद में विधूना में 279169 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा रही है ।

माननीय नेता विपक्ष जी इस समय नहीं हैं । श्रीमन्, ज्योतिबाफुलेनगर में गंगेश्वरी विकास खण्ड में 19,79,049.8 पैसे की क्षतिपूर्ति दी जा रही है । इसी प्रकार मुरादाबाद जनपद के बहजोई विकास खण्ड में 11,69,279.86 पैसे की क्षतिपूर्ति दी जा रही है । परन्तु मान्यवर, दुख इस बात का होता है कि किसानों को जिस चाव से इस योजना का लाभ लेना चाहिए था, मैं नहीं जान पा रहा हूं कि उनके द्वारा रिजर्वेशंस क्यों हो रहे हैं, वह क्यों फसल बीमा कराने से झिझक रहे हैं । अभी प्रश्न आया था, इसी सदन में कि पछुवा हवा से गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है । मैंने आंकड़े प्रस्तुत किये और बताया कि बेमौसम बरसात और पछुवा हवा से गेहूं में एक से डेढ़ कुन्तल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्रभावित हो रही है । यदि किसान अपनी फसल का बीमा कराये होते तो यह जो उनका नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई निश्चित रूप से हो जाती । यद्यपि हमारा गल्ला उत्पादन कम होता, लेकिन किसानों को नुकसान नहीं होता, किसान की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा हो जाती, क्योंकि यह सीधे प्राकृतिक आपदा थी, बरसात का न होना और पछुवा हवा का चलना फिर भी श्रीमन्, मैंने उस समय निवेदन किया था, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के माध्यम से उनका सहयोग चाहूंगा कि वे फसल बीमा योजना को किसानों के बीच में अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की कृपा करें । श्रीमन्, आने वाले समय में हमारे पास जो किसान मित्र थे, वह बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में हो गये हैं । इससे हमारा एक्सटेंशन का कार्यक्रम प्रभावित न हो इसके लिए हम लोगों ने कुछ योजनाएं बनायी हैं । 50 हजार किसान मित्रों का जो चयन किया गया है, उन्हें प्रशिक्षित किया गया है हम उनके माध्यम से, यह सही है कि इससे किसान सहायक की कमी को दूर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उनके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं । हर गांव में एक जीवित प्रदर्शन, लाइव डिमांसट्रेशन के माध्यम से जो नई तकनीक है वह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, इसके लिए इलेक्ट्रानिक माध्यमों को लाने का प्रयास किया जा रहा है । सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आकाशवाणी से प्रसारण किया जा रहा है । अन्तर प्रदेशीय मेले एवं प्रदर्शनियों में किसानों के भ्रमण एवं महिला कृषकों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया जा रहा है ।

मान्यवर, हम लोगों ने तय किया है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर ही हम अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे और एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्णय लिया गया है कि हम जो भी बीज की आवश्यकता होगी, जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए जितने बीज की आवश्यकता होगी, वहीं पर उसके सम्वर्धन की योजना चलायी जायेगी जिससे हम किसानों को अधिक से अधिक बीज उपलब्ध करा सकें ।

मान्यवर, इस वर्ष 2000-2001 में जो कार्यक्रम चलाया गया, मैं सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । 2000-2001 में उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत 66639 छापे मारे गये जिसमें 9504 नमूने गृहीत किये गये, 630 उर्वरक निबन्धन प्रमाण-पत्र निरस्त अथवा निलम्बित किये गये, 62 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और 28 व्यक्तियों को जेल भेजा गया । 2427 चीजों के नमूने गृहीत करते हुए 192 नमूने अधोमानक पाये गये, 84 विक्रेताओं को चेतावनी दी गयी, 17 का पंजीकरण निलम्बित किया गया और 23 विक्रेताओं का पंजीकरण निरस्त किया गया । इसी प्रकार कीटनाशक रसायनों के 3407 नमूने गृहीत किये गये इसमें 170 नमूने अधो मानक पाये गये और 19 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है । मान्यवर, कृषि निवेश में 2000-2001 में 46.30 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 12.88 लाख मीट्रिक टन डी० ए० पी०, 1.31 लाख मीट्रिक टन एम० ओ० पी०, 9 हजार मीट्रिक टन जिंक सल्फेट का वितरण किया गया । 15.28 लाख मीट्रिक टन बीजों का वितरण कराया गया । मान्यवर, कृषि रक्षा रसायनों को समय से किसानों को उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए व्यवस्था की गयी ताकि सभी स्थानों पर कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध रहें । जैसा कि मैंने पहले बताया 16.9 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कराये गये । 857 करोड़ रुपये से अधिक के फसली ऋण वितरित हुए हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी काफी बुजुर्ग हैं, बड़े विद्वान हैं लेकिन वह कागज पढ़-पढ़कर जानकारी दे रहे हैं उसे पढ़ा हुआ मान लें इससे समय की बचत हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया, आंकड़े तो देखने ही पड़ेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं है कि सारे आंकड़े जबानी याद रहे, आंकड़े तो पढ़ने ही पड़ेंगे । श्रीमन्, यह सर्वविदित है कि कृषि के उत्पादन में बीजों का सर्वाधिक महत्व है । अच्छी गुणवत्ता के बीज यदि उपलब्ध कराये जायं, समय से बुवाई की जाय तो निश्चित रूप से 10 प्रतिशत तक उत्पादन वैसे ही बढ़ जाता है । प्रयास यह किया जा रहा है कि हमने जो कार्ययोजना बनायी है उसके आधार पर जितनी हमारी बीज की आवश्यकता है उसका अभी से एक प्रारूप तैयार करा लिया है कि किस वर्ष में कितने बीज की आवश्यकता है, उतनी बीज उपलब्ध कराने के लिए कितने क्षेत्रों में बीज सम्वर्धन कराना पड़ेगा । सीड प्रोडक्शन के कार्य चलाने पड़ेंगे उसके भी आंकड़े लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गयी है । मान्यवर, एक प्रश्न यहां पर आया था श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने उठाया था कि लघु एवं सीमान्त कृषकों से बीज का उत्पादन क्यों नहीं कराया जाता ? प्रमाणित बीज का उत्पादन क्या उनसे कराया जायेगा ? मैं यह बताना चाहता हूं कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज ग्राम्य योजना गत वर्ष से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था । उसके तहत गत वर्ष से ही विवधीकरण योजना, भूमि सुधार निगम द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है ।

कृषि विभाग द्वारा 40 हजार गांवों में इस वर्ष बीज ग्राम्य योजना चलाने का निर्णय लिया गया है । कार्य योजना बना ली गयी है, उसे चलाया जायेगा । एक तरफ तराई बीज एवं विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, स्टेट फार्म कारपोरेशन के द्वारा प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं । मैंने इस सदन में इसके पहले भी कहा था कि सीड रिप्लेसमेंट रेट जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है । होता क्या है कि जो लघु और सीमान्त किसान हैं उनका सीड रिप्लेस नहीं हो पा रहा है । पहले कुछ मध्यम और बड़े किसानों के सीड ही निरन्तर रिप्लेस होते रहे हैं । मान्यवर, बीज ग्राम योजना चलायी जा रही है और इसीलिए यह योजना तैयार की गयी थी कि गांवों में चयनित किसानों के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जायेगा । उसका प्रमाणीकरण तो नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन हम उन्हें फाउन्डेशन या सर्टीफिकेट सीड उपलब्ध करायेंगे । इस बीज का उत्पादन कराया जायेगा । बीज का उपयोग किसानों को वितरित करके कराया जायेगा और उसी बीज को बगल के गांवों में भी वितरित किया जा सकता है । मान्यवर, हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में हम उत्तम बीज को किसानों तक जो लघु एवं सीमान्त कृषक हैं, तक पहुंचा सके । मान्यवर, सीड रिप्लेसमेंट 12 प्रतिशत है, 3 वर्ष पहले मुश्किल से 10 प्रतिशत था और इसको 12 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सका है और अब प्रयास यह किया जा रहा है कि उस रेट को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक पहुंचाया जायेगा । यह कार्य योजना उसी के तहत तैयार की गयी है ।

मान्यवर, मैं आगे सम्मानित सदन को बताऊंगा कि बीज में कितना अनुदान दे रहे हैं । बीज पैदा करने के लिए किसानों को अनुदानित करने का निर्णय लिया गया है । खास तौर से उत्तम किस्म का बीज किसान तैयार करता है या कोई संस्था तैयार करती है उसको शासन द्वारा अनुदानित करने का निर्णय लिया है, ताकि उत्तम से उत्तम बीज इस प्रदेश को उपलब्ध करा सकें । 2001-2002 में यह 14 प्रतिशत खरीफ के लिए प्रति स्थापना की कार्य योजना बनायी गयी है । अभी यह प्रतिस्थापित

12.06 प्रतिशत है । इसकी 14 प्रतिशत कार्ययोजना बनायी है और रबी में प्रतिस्थापन दर 11.62 प्रतिशत है इसे बढ़ाकर 13.52 प्रतिशत प्रतिस्थापन की कार्ययोजना तैयार की गयी है । इसमें मान्यवर, सभी संस्थाओं का योगदान रहेगा । बीज टी० डी० सी० बी० किसानों के यहां उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहे हैं । मैं संक्षेप में सारी स्थिति सदन के समक्ष रख रहा हूं । बीज ग्राम योजना और लघु एवं सीमान्त कृषक की बात उठायी गयी थी । इसकी कार्ययोजना बनायी गई है और प्रयास कर रहे हैं कि लघु और सीमान्त कृषक से उत्पादन कराकर बीज वितरित करायेंगे । इसी के साथ मान्यवर, अपने यहां अभी भी संकर बीज का उपयोग नहीं हो पा रहा है ।

आज भी अपने यहां हाईब्रिड सीड का उपयोग बहुत कम है । हाईब्रिड सीड के लिए भी कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है और किसानों को अनुदान की मांग जो बीज किसान पैदा करेंगे बीज कार्ययोजना के तहत 200 रुपये अनुदान भारत सरकार से अनुमन्य किया गया है । मान्यवर, किसानो को बीज देंगे उस पर 500 रुपये का अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है । इसी के साथ मान्यवर, संकर धान, मक्का, ज्वार तथा बाजरा की बात है । 500 रुपये प्रति क्विंटल सहायता उपलब्ध करा रहे हैं । जो बीज देंगे फाउन्डेशन और सर्टीफिकेट सीड उस पर 500 रुपये अनुदान अनुमन्य किया जा रहा है। मान्यवर, इस प्रकार से 500 रुपये का अनुदान अनुमन्य किया जा रहा है और उनके बीज पैदा कराकर किसानों में वितरित कराया जायेगा और इस प्रकार 200 रुपये प्रति कुन्तल का अनुदान जो किसानों को दिया जा रहा है, वह अब भी दिया जायेगा । मान्यवर, ज्वार, बाजरा और मक्के पर भी हमने सभी किसानों को 400 रुपये प्रति कुन्तल अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया है । धानों के शंकर बीज पर भी 2500 रुपये प्रति कुन्तल या उनकी पैदावारी का 25 प्रतिशत का अनुदान दिये जाने का भी हमने निर्णय लिया है और यदि कोई किसान ज्वार, बाजरा और मक्का आदि के शंकर बीज उत्पादित करने का कार्य करता है तो उन्हें 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिये जाने का भी हमने निर्णय लिया है । ताकि अधिक से अधिक किसानों को अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके और हमने यह व्यवस्था भी की है कि पैरेन्ट लाइन से बीजों का उत्पादन कराया जाय, पैरेन्ट लाइन मेल और फीमेल की लाइनें अलग-अलग होती हैं और इस प्रकार बीजों की पैदावार की जा सके । जो संस्थायें या युनिवर्सिटीज पैरेन्ट लाइन से बीज उत्पादन करेंगी और हाईब्रिड बीज पैदा करेंगी उनको 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार अनुदान देगी ।

श्री अधिष्ठाता–

निजी क्षेत्र के किसान जो उत्पादन करेंगे उसका प्रमाणीकरण कैसे करायेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

हमारा जो तराई विकास निगम है अगर वह हाईब्रिड बीज उत्पादन किसानों से कराता है, उसे हमारी बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रमाणित करती है । इस प्रकार से यदि कोई किसान हाईब्रिड बीज पैदा करता है तो सरकार उसे 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान देगी । मान्यवर, अब मैं कृषि यंत्रों के बारे में कहना चाहता हूं । भारत सरकार ने इसके लिए जो अनुदान अनुमन्य किया है वह केवल बैल चालित उपकरणों पर है । सदन में यह मांग आती रही है कि शक्ति चालित् कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना चाहिए । मान्यवर, इसके लिये माइक्रो मोड सिस्टम लागू किया गया है जो फरवरी में स्वीकृत हुआ था । इसमें मांग की गयी है कि हर प्रदेश की अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें छूट दी जाय । यह भी सदन में मांग की गयी है कि जो इम्प्लीमेंट्स नये-नये आ गये हैं उनका प्रचार और प्रसार किया जाय और इन पर अनुदान दिया जाय । अब ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो ऐसे यंत्र हैं जिनसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन लागत घटायी जा सकती है उन पर अनुदान अनुमन्य किया जायगा । मैं बताना चाहता हूं कि शक्ति चालित डिस्क हैरो, थ्रेशर, पैडीपडलर जो धान की रोपाई मे

काम आता है उन पर 30 प्रतिशत, अधिकतम 3 हजार रुपये प्रदेश के किसानों को अनुदान अनुमन्य किया जायगा । इसी तरह से सीड-कम-फर्टीलाइजर ड्रिल को प्रोत्साहित करने के लिए 30 प्रतिशत अधिकतम 5 हजार रुपये का अनुदान दिया जायगा ।

स्व-शक्ति चालित पैडीपडलर, स्वचालित रीपर पर 50 प्रतिशत, अधिकतम 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जायगा । इसी तरह से माउंड रीपर, ट्रैक्टर यह जो नये इम्प्लीमेंट्स हैं इनके लिए अनुदान की व्यवस्था की गयी है । रीपर का उपयोग नर्सरी डालने में किया जाता है । अभी तक सपाट जमीन पर नर्सरी डालने का काम किया जाता रहा है । वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर रेज्ड वेड पर नर्सरी लगायी जाय तो अच्छी पौध तैयार होगी और उस पौध को निकालने पर रूट जोन को अधिक नुकसान नहीं पहुंचेगा । इसी तरह से कंबाइन हारवेस्टर जो यंत्र है इससे एक समस्या उत्पन्न हो रही है । कम्बाइन हार्वेस्टर से भूसा कम मात्रा में मिलता है । इससे हमारा जो पशुधन है, आगे आने वाले समय में, कंबाइन हार्वेस्टर से समस्या पैदा होगी और पशुधन पर उसका असर पड़ेगा उनके लिए चारे की समस्या होगी । आने वाले दिनों में पशुओं का चारा कहां से उपलब्ध हो पाएगा, यह समस्या बनती जा रही है इसलिए रिपर को भी हम अनुदानित करेंगे । प्रयास यह करेंगे कि अधिक से अधिक किसान रिपर से अपनी फसल काटकर थ्रेसर से उसको दाब कर लें ताकि भूसा और पुआल उपलब्ध हो सके ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इन मशीनों को बेचने वाले रिप्रेजेंटेटिव भी इतना बढ़िया रिप्रेजेंट नहीं कर पायेंगे जितना मंत्री जी कर रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इस पर 30 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया है । 10,000 रुपये तक अनुदान है अधिकतम 30 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर पर पहले से अनुदान है । अब केवल अनुसचित जाति/जनजाति के किसानों को अनुमन्य है । बैल चालित ट्रैक्टर नया इजाद आया है उसको प्रचारित और प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है । पांच हजार रुपये तक प्रत्येक किसान जो भी बैल चालित ट्रैक्टर लेगा उसको अनुदानित करने का निर्णय लिया गया है ताकि बैलों का अधिकतम उपयोग हो सके क्योंकि बैल विलुप्त होता जा रहा है उसकी पुनः वापसी हो सके । स्प्रिंकल सिस्टम पर पहले से अनुदान 90 से 70 प्रतिशत था उसमें कमी की गयी उसको 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आपको भाषण देते 40 मिनट हो गये अब कुछ उत्तर भाषण में अपनी बात कहें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्योंकि इसका दुरुपयोग अधिक हो रहा था उपयोग कम हो रहा था । मृदा सुधार के लिए प्रदेश के सभी किसानों के लिए 4 कुन्तल जिप्सम और पायराइट पर 50 प्रतिशत से अधिक 300 रुपये का अनुदान अनुमन्य किया गया है । ताकि जिप्सम और पायराइट का अधिक से अधिक किसान उपयोग कर सकें । कर्नाट ब्रंट की रोकथाम के लिए जो दवा उपयोग की जाती है बीज शोधन की जो बीज उत्पादन कम्पनियां हैं यदि उसका इस्तेमाल करती हैं उन्हें भी दवा को अनुदानित करने का निर्णय लिया गया है । जैव नाशक दवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति कृषक समस्त कृषकों को अनुदानित करने का काम किया है । फसल उत्पादन तकनीकी की जानकारी के लिए कार्य योजना तैयार की गयी है । बीज उपलब्धता के बारे में जो निर्णय लिये गये हैं उनको प्राथमिकता देंगे । माइक्रो मोड मैनेजमेंट की पूरी योजना 84 करोड़ 44 लाख रुपये की है जिसमें 75 करोड़ 55 लाख कृषि विभाग और 3 करोड़ 61 लाख रुपये की योजनाएं उद्यान विभाग की कम्बाइन

हैं। दो करोड़ अठहत्तर लाख की एक योजना गन्ना विभाग का कम्पोनेन्ट है दो करोड़ तीस लाख का एक और कम्पोनेन्ट और 20 लाख का भूमि विकास का कम्पोनेन्ट है।

कृषि शिक्षा एवं शोध के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले हमारे पास तीन विश्वविद्यालय थे जिसमें से एक पंत नगर विश्वविद्यालय उत्तरांचल में जाने के बाद दो विश्वविद्यालय चन्द्रशेखर आजाद व नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय बचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि मोदीपुरम् में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। मुख्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक 28 मार्च को शिलान्यास भी किया और प्रयास किया जा रहा है कि जुलाई से एग्रीकल्चर के छात्रों की पढ़ाई शुरू कर दी जाय। प्रारम्भ में 20 छात्रों को इस वर्ष एडमीशन देने का निर्णय और इसके लिए कानपुर विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गयी है। मेरठ विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करा देंगे। कान्ट्रेक्ट के लिए जो भवन बनाने में काम के लिए तैयारियां हो गयी हैं। प्रसार कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय की सक्षम भागीदारी के लिए कृषक हैल्प लाइन की योजना प्रारम्भ की गयी है। इससे किसान यदि कोई जानकारी चाहता है तो सीधे इस हैल्पलाइन के जरिये जानकारी ले सकता है। इसके लिए बजट का प्राविधान भिन्न-भिन्न योजनाओं में हो गया है। मण्डी परिषद् द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फाइनेंस किया जा रहा है इस तरह से डैस्क के माध्यम से पंतनगर को किया गया था अब मोदीपुरम् को किया जा रहा है। नई प्रजातियां जो विकसित हुई हैं इनकी सूची लम्बी है मैं उत्तर भाषण में बता दूंगा। भूमि में जल संरक्षण कार्यक्रम इसमें 1.61 लाख हेक्टेयर कटाव ग्रस्त क्षेत्र को ठीक कर सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रम की योजना है। राष्ट्रीय जलागम विकास योजना में 32 जनपद, केन्द्र पुरोनिधानित बाढ़ोन्मुखी गोमती एवं सोन योजना में 13 जनपद, ऊसर भूमि सुधार योजना में 32 जनपद, ई०सी० सहायतित बीहड़ स्थिरीकरण परियोजना में छः जनपद चयनित करने का निर्णय लिया गया है इसमें फिरोजाबाद, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की योजना ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और जालौन। यह योजना तैयार की गयी और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। जलागम विकास निधि नाबार्ड के माध्यम से प्रथम चरण में 8 जिलों जहां की सिंचित क्षमता कम है, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, बलरामपुर, चित्रकूट, सोनभद्र जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण एवं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं और सभी माननीय सदस्य इससे परिचित भी हैं। विशेष योजना जिस पर बल दिया जा रहा है, वह है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना में बायोविलेज। बायोविलेज के बारे में इस सदन में एक बात आई थी कि केवल केमिकल फर्टीलाइजर के प्रयोग से हमारी भूमि की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इस कारण से यह निर्णय लिया गया था सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए कि अब हम अधिक से अधिक जैविक खाद चाहे कम्पोस्ट या वर्मीकल्चर है। इसके माध्यम से खाद बनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

इस योजना में 125 रुपये का अनुदान किसानों को दिया जाता है। 2000-2001 में इसमें 82 गांवों में बायोग्राम हेतु चुना गया। जिसमें 183 नैडेट, 147 कम्पोस्ट और 308 काउपिचपैट का प्रदर्शन कराया गया। जहां एक ओर कैमिकल फर्टीलाइजर का प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है वहां उसी के साथ बैलेन्स मेन्टेन करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है और इसकी उपयोगिता किसानों में बढ़ रही है। इसी तरह से यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन संस्था है। इसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किया गया है। इसकी 1999-2000 की बैलेंस शीट बनकर तैयार हो चुकी है। वैसे तो यह 1997 से यह निरन्तर लाभ दे रही है लेकिन इसका एक्यूमुलेटेड लौस अभी भी है क्योंकि यह पहले वर्षों में सिक संस्था हो गयी थी। आज इसका एक्युमुलेटेड लौस 56 करोड़ से घटकर लगभग 49 करोड़ पर आ गया है।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अम्मार रिजवी पीठासीन हुए।)

अब हम लोग कुछ ऐसी योजनायें, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको लाभदायी संस्था के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। ताकि एग्रो के माध्यम से इस प्रदेश के किसानों को हम कृषि निवेश की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। चाहे वह फर्टिलाइजर हो या अन्य चीजें हों। एग्रो को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जैसा मैंने आपके सामने रखा है। प्रतिवर्ष जो लाभ अर्जित कर रहे हैं इससे एक्युमुलेटेड लास कम हो रहा है। मान्यवर, मंडी परिषद् कृषि उत्पादों के विपणन को सुनिश्चित कराने के लिये, किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए विपणन नितान्त आवश्यक है। आवश्यक अंग है। इसलिए मंडी परिषद् पर ध्यान दिया जा रहा है अधिक से अधिक विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को मंडी स्थल अपना कृषि उत्पाद ले जाकर बेचने को आना पड़ता है। लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंडी स्थल तक अपने उत्पाद किसानों को नहीं ले जाना पड़ता है। इसलिए कुछ ऐसी योजनायें चलाई जा रही हैं ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके, ताकि किसान अपना उत्पाद मंडी स्थल तक ले जायें और बिचौलियों के हाथ से वह बच सकें और साथ ही व्यापारी और किसानों के बीच में संबंध बन सकें। मान्यवर, मुख्य-मुख्य मुद्दे मैंने सम्मानित सदन के समक्ष रखे, मैं सभी सम्मानित सदस्यों के बहुमूल्य विचार के लिए आभारी होऊँगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कृषि बजट को चौथी बार प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, इन्होंने दो बार कटौती का प्रस्ताव भी रखा है। काफी अनुभवी हैं। प्रदेश की कृषि व्यवस्था हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए अन्न फिर फल और दूध, फल, दूध न भी मिले तो काम चल सकता है लेकिन अन्न के बिना काम नहीं चल सकता है। तो श्रीमन्, खेती का महत्व सर्वाधिक है और सर्वाधिक आबादी 74 प्रतिशत से ज्यादा खेती पर निर्भर करती है। अब प्रश्न पैदा होता है कि आबादी बढ़ रही है माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने योजना आयोग के समाने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। उस आबादी में हमारे प्रदेश की आमदनी उनके हिसाब से 35 प्रतिशत है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी लड़खड़ाती स्थिति जहां उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ गयी है और पंचवर्षीय योजना नौवीं पूरी होने जा रही है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में खेती के मद में खेती के लिए क्या किया, यहां से मैं शुरू करना चाहता हूँ।

पहली पंचवर्षीय योजना में किसानों को जो दिया गया है वह आपके सामने रखना चाहता हूं वह है 11.02 और 97-98 की योजना में 6.23 प्रतिशत। जो बजट का एलोकेशन है जो पूंजी निवेश की धारा है खेती पर उसे देखना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जब-जब कृषि का बजट आया है जब पूंजी निवेश पंचवर्षीय योजना के माध्यम से शुरू हुआ है, अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए योजना आयोग के सामने कहा है, और जो आंकड़े प्रस्तुत किये है, इन चार वर्षों में 66 से 67 प्रतिशत अपना व्यय दिखाया है। जो सौ प्रतिशत की योजना बनायी है उसमें धन आपको मिला 66 से 67 प्रतिशत तो इतनी धन की उपलब्धि के बाद कैसे कह सकते हैं कि आपने पूंजी निवेश और ज्यादा खेती में दे दिया है। जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उतनी दृष्टि पहुंच नहीं पायी और धन की कमी में आप लक्ष्य दे नहीं पाये। मैं इसके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली योजना में कुल योजना का प्रतिशत आता है कृषि एवं ग्रामीण विकास में 14.8 प्रतिशत और आठवीं योजना में कुल योजना का प्रतिशत आता है 14.4 प्रतिशत। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस स्थिति में हम फिर घटे और घटते जा रहे हैं। सिंचाई में 22.2 प्रतिशत और फिर 6.4 प्रतिशत हो गया, शिक्षा में

7.6 और फिर 3.2 प्रतिशत, विकास एवं परिवार योजना में 3.0 और फिर 3.2 प्रतिशत। तो यह स्थिति है। राष्ट्रीय पैमाने पर आप देखें दो बातें सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, एक तो संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। मान्यवर, संगठित क्षेत्र में सरकारी कारखानों में काम करने वाले, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, नेता और उद्योगपति आते हैं और असंगठित क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थान, कृषि और दूसरे क्षेत्र हैं जो आमदनी की विषमता का सिलसिला है अगर आप किसानों की आमदनी और दूसरे लोगों-गैर कृषि की आमदनी की हम तुलना करें तो पांचवें अंक पर किसान की आमदनी ठहरेगी। अगर सरकारी उद्यमों में आमदनी लें तो 8वें अंक पर किसान की आती है और अगर सांसदों के वेतन आदि की आमदनी को लें तो 25वे अंक पर किसानों की आयेगी, यह जो स्थिति हमारे सामने है कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की आमदनी में यह जो अन्तराल है इसकी भरपाई, प्रतिपूर्ति क्या यह बजट करने में सक्षम होगा ? इसमें हमें नजर डालनी होगी। यह जो हमारी विषमतायें हैं जो खाई बढ़ रही है हमको उसमें कुछ करना पड़ेगा। दो बातें इस पर हमें ध्यान देनी होंगी, कृषि क्षेत्र की वरीयता कैसी हो, एक लाख के ऊपर क्षेत्र है जो समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं, आबादी बढ़ रही है, नये जिले में कृषि की भूमि जा रही है, आवास, अस्पतालों के लिए, नये मुख्यालयों के लिए इन सबके लिए जमीन चाहिए।

आबादी और आवास की वृद्धि के साथ-साथ भू-क्षरण, भू-कटान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है दूसरी तरफ बीहड़ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ऊसर बंजर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं खेती के लिए कहां से हमारे पास जमीन बची है भू-कटाव से जमीन प्रभावित हो रही है। भू-कटाव धरती का कैंसर है इसके निदान के लिए जो बजट अनुमान आये हैं वह नाकाफी हैं। भू-कटान की स्थिति कितनी दयनीय बन गयी है जमुना नदी और गंगा नदी प्रतिवर्ष देखें पूरे कटान का 64 प्रतिशत, गंगा नदी है कटान का 33 प्रतिशत, यह जो स्थिति है जमुना नदी, गंगा नदी, चम्बल नदी, उस कटान से भयावह स्थिति हो रही है। उसको रोकने में, किस तरह रोकें उसको देखना है। बीहड़ में चम्बल और पश्चिम का जो क्षेत्र है अब वहां वनस्पति नाम की कोई चीज नहीं है पेड़ नहीं हैं रिजर्व फारेस्ट हैं यह जो परिस्थितियां हैं इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और भू-कटान को रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं।

मान्यवर, भू-कटान जो धरती का कैंसर है इसको रोकने के लिए आपको वृहद योजनायें बनानी पड़ेंगी। लेकिन इसमें वह सभी कुछ दिखाई नहीं देता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की उपज का मूल्य लगाते वक्त आप और आपका विश्वविद्यालय क्या करता है यह बात मैं बाद में रखूंगा फिलहाल 2-3 बातें मुख्य रूप से खेती के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी खेती को पानी की बहुत जरूरत है, बीज की जरूरत है, फिर उसको जरूरत है कीटनाशक दवाओं की, फिर जरूरत है उन्नतशील कृषि यंत्रों की उसके बाद जरूरत है अत्याधुनिक तकनीक वैज्ञानिक खेती की। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका में मक्का पैदा होता है, आप इसको जरा देखें कि अमेरिका में एक हेक्टेयर में कितना मक्का पैदा करते हैं एक हेक्टेयर में 16 कुन्तल और अमेरिका करता है 80 कुन्तल अब डब्लू० टी० ओ० से जो रिश्ता जोड़ा गया है अब इस रिश्ते से उन्होंने एक आधुनिकतम मशीन इजाद की है भुट्टों को तोड़ने की जो एक दिन में दो लाख से ऊपर भुट्टे 8 घंटे में तोड़ती हैं और हम भुट्टा तोड़ने में कितना समय लगायेंगे उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तो विदेशी आधुनिकतम तकनीक और आधुनिकतम वैज्ञानिक खेती में हम कहां है। हमारी खेती को आपने जो संसाधन उपलब्ध कराये हैं और उससे हमारे एक हेक्टेयर में 16 कुन्तल मक्का पैदा होता है और अमेरिका के एक हेक्टेयर में 80 कुन्तल मक्का पैदा होता है तो जहां एक तरफ आधुनिकतम मशीनों का इस्तेमाल होता है और हमारे यहां आदमियों ने भुट्टा तोड़ा तो अगर दोनों की कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो जो 16 कुन्तल पैदा किया गया है उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आयेगी और जो 80 कुन्तल पैदा किया है उसकी कम आयेगी और जब दोनों खुले बाजार में इकट्ठा होंगे तो आपकी

मा० मुख्य मंत्री जी पंचायत काम नहीं देगी, आप अपने यहां की तुलना वहां से नहीं कर पायेंगे। मैक्सिको में सबसे ज्यादा मक्का पैदा होता था लेकिन जब अमेरिका का मक्का पहुंच गया तो मैक्सिको का मक्का बन्द हो गया। तो श्रीमन्, आपको पंचायत की चर्चा करना है तो डब्लू० टी० ओ० का आपके माध्यम से कोई रिश्ता नहीं जुड़ता है, न आपकी पंचायत को कोई सुनेगा, न पूछेगा, यह स्थिति आज पैदा हो गयी है।

श्रीमन्, खेती के लिए बीज जो मंत्री जी ने बताया कि हमारा लक्ष्य 12% से 14.4 प्रतिशत बीज मुहैया कराने का लक्ष्य है। 47 से लेकर अब तक नवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने जा रही है और हमारे कई बजट पूरे होने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने बीज 12 परसेन्ट से बढ़ाकर क्यों 24% नहीं किया, किसान को हरेक बार बीज चाहिए नया और आप नया बीज दे नहीं पा रहे हो। शंकर बाजरा, शंकर धान आदि तैयार नहीं कर पा रहे हैं। किसान उसे पाने के लिए उतावला हो रहा है। बीज आपके पास है नहीं, ऐसे में खेती की क्या स्थिति होगी यह भगवान ही जानता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो डब्लू० टी० ओ० के अन्तर्गत समझौता हुआ है उसके अनुसार जो बीज विदेश से हमारे पास आयेगा तो वह एक नयी तकनीक हो गयी, वह बीज एक साल उगेगा और हमारे यहां किसान बीज ले आये तो वह दो-तीन साल उगेगा तब फिर बीज बदलेगा लेकिन डब्लू टी ओ के माध्यम से जो बीज आयेगा, विदेशी बीज आयेगा उसको ऐसा शोधित कर दिया है कि वह एक साल उगेगा तो इसे आपको देखना पड़ेगा। बड़ी जोरदारी से कहा कि हम किसान को इतना अनुदान दे रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा उन्होंने अनुदान की की और क्या किया, इस पर नहीं कहा, एग्रीकल्चर के इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, यह नहीं कहा, केवल योजना बता दी। मान्यवर, आप अमेरिका के किसान को देखें तो आपका अनुदान उनके सामने कहीं नहीं ठहरता। मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका में प्रति हेक्टेयर 549.7 डालर का अनुदान दिया जाता है और उनका कुल अनुदान 30,655 डालर है जो हमारे हिन्दुस्तान के रुपयों में 4 लाख 18 हजार 400 करोड़ रुपये बैठता है जो हमारे उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद को भी मिला लें तो उससे भी ज्यादा अनुदान की राशि किसान को अमेरिका में है। मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ आप काश्तकार को अनुदान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां खेती पर अनुदान राशि कम की जा रही है, घटाई जा रही है, हमारे कृषि उत्पाद और खेती में काम आने वाली सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसी स्थिति में, इस नई परिस्थिति में आप किस तरह से लड़खड़ाते किसान को खड़ा कर पायेंगे, यह चिन्ता का आज सबसे बड़ा कारण है।

वर्तमान परिस्थितियों में बीज नकली, खाद नकली चल रहा है, उसका मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं। पहले जो हमारे कृषि गोदाम थे, वहीं से बीज, खाद आदि मिलता था, वहां एक कृषि प्रशिक्षक हुआ करता था, वह जब किसान को बीज देता था, उससे पहले पर्चा देकर यह समझाता था कि उसे कितना बीज डालना है, कितनी खाद डालनी है। लेकिन जब से पी० सी० एफ० को आपने खाद दे दी और निजी क्षेत्र में खुलेआम बिक्री शुरू कर दी, तब से हालत बिगड़ी हुई है और नकली बीज और खाद बड़ी तेजी से बाजार में आ गया है। आपने यह बता दिया है कि हमने इतने छापे मरवाये, आपने एफ० आई० आर० लिखा दी, लेकिन उस किसान को क्या दिया, जिसने बैंक से कर्जा लिया और कर्ज लेने के बाद खेत में बीज डाला, पानी डाला है, मेहनत की, लेकिन सब नकली होने के कारण उसका पैसा भी गया और खेती भी बरबाद हुई, उस किसान ने क्या बुरा किया था। नतीजा यह हुआ कि उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया और ब्याज भी देना पड़ा। आपने छापे मरवा दिये उससे तो किसान की आत्मा को शान्ति मिली नहीं। क्या आप इस पर सोच सकते हैं कि जिसके सैम्पुल गलत पाये गये, आप उससे किसान को उसकी फसल की नुकसान की भरपाई करायें, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। इस पर आपकी दृष्टि तेज हो तभी किसान की हालत सुधरेगी नहीं तो बड़ा मुश्किल हो

जायेगा । आप कहते हैं कि हम कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रहे हैं, अमेरिका और यूरोप के लोग जिसको छोड़ चुके होंगे, वह आपके यहां आ गये, ऐसे यंत्रों पर अनुदान देकर आप किसान का भला कर रहे हैं? इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करें और जो मशीनरी इस प्रकार की है उसको हम क्या करें ? मान्यवर, दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि जो छोटा किसान है और जिन किसानों को अनुदान देकर आपने ट्रैक्टर दिये हैं, कई योजनाओं में दिये हैं । यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं और वह जानते हैं कि जो भी किसान ट्रैक्टर लाया है, 3 साल के बाद ट्रैक्टर भी गया और उसका खेत भी गया, यह स्थिति है । यह स्थिति क्यों पैदा हुई इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । एक-एक माननीय सदस्य जानता है कि जब किसान ट्रैक्टर लाता है तो वह उसका कर्जा नहीं भर पाता, किसान को रोजाना डीजल चाहिए, डीजल के दाम कितने बढ़ गये हैं, उसके पास पूंजी नहीं है क्या पूंजी की व्यवस्था हुई, उसका ट्रैक्टर नीलाम होता है और उसका खेत भी चला जाता है । आप किसान को अनुदान देते हैं, आपकी किसान के प्रति हमदर्दी है, सरकार की नीति किसान के पक्ष में है तो एक मोटा सवाल पूछ रहा हूं कि इस सब के होते हुए किसानों के ट्रैक्टर क्यों बिक रहे हैं उसके खेत क्यों नीलाम हो रहे हैं । किसान 14-14 दिन हवालात में बन्द हो रहा है, आप इस पर विचार करें । आपकी सरकार में किसान जो इस तरह दिवालिया हो गया है उसे आप देखें । दूसरी तरफ मान्यवर, जो बड़ा आदमी है जिसने बैंक से लोन ले लिया है और लोन लेने के बाद कह देता है कि मिल दीवाला हो गया उसकी मिल फेल हो गयी, कानून में उसे तो राहत मिलती है लेकिन इस देश के किसान के लिए इस प्रकार का कोई कानून नहीं है । उसे मार भी पड़ती है, कुर्की भी होती है, ट्रैक्टर भी बिक जाता है, जमीन भी देने के बाद भी उसका पिंड नहीं छूटता । तो मान्यवर, क्या मैं जान सकता हूं कि जो दिवालियेपन का कानून है वो बड़े लोगों के लिये है । जो 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख लेकर बैठ गये उसके लिए तो कानून है उसे राहत मिल जाती है, ऐसी विसंगति किसान और बडे आदमी के साथ कानून में है इस पर ध्यान देना चाहिए । आप भी किसान हैं इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस तरह का कोई कानून बनायें जिससे किसानों की दुर्दशा न हो इंसाल्वेंसी जो कानून दीवालिएपन का है या तो इसे खत्म करायें और आप इसके लिए पंचायत बुलायें और इस विसंगति को दूर करने का उपाय सोचें । हमारे गौड़ साहब हैं, ऊर्जा मंत्री भी बैठे हैं, आप भी किसान हैं, इस विसंगति को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा यदि ऐसा नहीं करेंगे तो किसानों को दुर्दशा से बचा नहीं सकते । मैं अनुरोध करना चाहता हूं, किसानों की दुर्दशा हो रही है बीज के मामले में, श्रीमन्, कीटनाशक दवाइयों की कीमत आपके यहां तय नहीं है और न आपका कोई अधिकारी वहां जाकर दवा का सैम्पुल लेता है या जांच करता है । जब कोई शिकायत होती है तब भाग-दौड़ होती है । नकली कीटनाशक दवाओं का बड़ी तेजी के साथ प्रचार-प्रसार हो रहा है । आपने कहा कि सैम्पुल ले रहे हैं और अधोमानक का पाया गया तो उसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करवा रहे हैं । किसान का तो पैसा गया और खेत भी गया, उसको क्या मिला । गेहूं का मामा एक खरपतवार होता है जब वह लग जाता है तो स्थिति यह होती है कि किसान ने गेहूं बोया 25 मन और निकला 15 मन । इस पर आपकी कोई दवा असर नहीं कर रही है । इससे बचाव का आप क्या उपाय सोच रहे हैं ? इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा । मैं इस सिलसिले में एक सुझाव देना चाहता हूं कि पहले कीटनाशक दवायें कृषि के गोदाम से मिलती थीं उनकी बिक्री आप अपने यहां से सुनिश्चित करिये ताकि आपको किसान पकड़ सके । अभी क्या होता है बाजार में दवा मिल रही है, नकली दवा है उससे किसान को कोई लाभ नहीं होता है लेकिन वह किसान उस दुकानदार का कुछ कर भी नहीं पाता है अगर कहीं उसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज भी हो गयी तो उसमें कुछ होता नहीं है, मामला दरोगा जी के पास गया तो उसमें भगवान ही जानता है कि क्या होगा ।

आप इतने से ही संतुष्ट हैं कि हमने एफ० आई० आर० दर्ज करा दी । आपका विभाग पैरवी नहीं करता और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग जाती है । फिर जब आपके दफ्तर में आती है तो

कहते हैं कि गलत हो गया । मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है । हम कृषि वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हैं । हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी० एच० डी० की पढ़ाई हो रही है, लड़के शोध कर रहे हैं लेकिन वह यूनिवर्सिटी की अल्मारियों की शोभा बढ़ाती है । अगर हम इन शोध संस्थानों की दिशा खेत में जोड़ दें तो हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी और इससे किसान बहुत लाभान्वित होगा । लेकिन आपने उसका दूसरा रास्ता निकाला कि किसान यूनिवर्सिटी में जाये और जो-जो उसे जरूरत है वह ले यह चीज किसान के लिए सम्भव नहीं हो सकती। यह तो उन एग्रीकल्चर में बी० एस० सी० किये हुए छात्र हैं, जो कृषि विज्ञानी हैं, विशेषज्ञ हैं उनका काम है कि वह किसान तक जायं और जो शोध की है उसकी पूरी जानकारी किसान को उपलब्ध करायें । मान्यवर, जो कृषि में पी० एच० डी० हैं, डाक्टर हैं आमतौर पर जब मिलते हैं तो डाक्टर कहने में संकोच महसूस करते हैं । आजादी से लेकर अब तक जितने शोध हुए हैं विश्वविद्यालयों में, वह सब अल्मारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं । अगर उन शोधों को लेकर किसान से रिश्ता जोड़ेंगे तो एक क्रांतिकारी कदम होगा । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों को प्रचार-प्रसार के लिए धन उपलब्ध कराना होगा कि एक सचल दस्ता बनवायें जिसमें छात्र हों, वहां के वैज्ञानिक हों और उन्होंने जो नये उत्पाद खोजे हैं उसे किसानों के बीच में ले जायं और जो किसान असली बीज बोना चाहते हैं उनको दें । मान्यवर, शोध करने वाले का नाम लिखा जाये ताकि पता चले कि नये शोध का प्रयोग इस खेत पर हो रहा है और उसका जो उत्पाद आये और उस उत्पाद का प्रचार-प्रसार गांव स्तर तक होना चाहिए इससे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी इज्जत बढ़ेगी और उस ज्ञान से किसानों को लाभ मिलेगा । मान्यवर, बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपके कृषि डायरेक्टर हैं, उप निदेशक हैं आप एक भी उदाहरण बता दें कि किसी निदेशक, कृषि सचिव, प्रमुख सचिव ने अपने नये शोध के बीज को किसी के खेत पर जाकर देखा है । अनेक कमियां मिलेंगी इस बीज के अन्दर कौन सी चीज रह गई इसके बारे में कोई सप्लीमेन्टरी उजागर हुआ है । आपके विभाग में कृषि निदेशक लखनऊ की कुर्सी पर बैठकर सारा इंतजाम प्रस्तुत कर दे रहे हैं । मान्यवर, खेत पर कृषि निदेशक जाकर देखें हैं कि खेत में यह करना है, यह काम है बजाये लखनऊ के दफ्तर में बैठें । यहां पर एयरकंडीशन कमरे में बैठकर और खेत की तरक्की सोचे यह मेरी समझ से बाहर की बात है । हमारे जितने विभाग हैं । जो कृषि से संबंधित विभाग हैं । अगर गांवों में न जायेंगे और इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तो हमारा और आपका भला होने वाला नहीं है।

जहां तक कृषि सुधार की बात है, शोध के रजिस्ट्रेशन की बात है, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों को देख लें जो कृषि वैज्ञानिक हैं खेतों पर जाकर परीक्षण करते हैं और विचार करते हैं । और अपने शोध पेटेंट कराते हैं । मैं अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि निदेशकों की ओर यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की अपने यहां एक कमेटी बनायें, एक संस्था बनायें जो प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष कृषि विभाग के अन्वेषणों की सूची बनाकर खेत पर ले जाकर किसान को दे दें । इस तरह की एक समिति बनायें तो बहुत सफलता मिलेगी । अन्वेषण-प्रयोगशाला का रिश्ता सीधा खेत से जोड़ें तभी आप देश का भला कर सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बतायें कितना समय और लेंगे, क्योंकि 5 बजे के अन्दर दूसरा बजट भी पेश करना है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

तो मान्यवर, इस तरह की एक समिति बनायें और समिति के निर्णय को लेकर आगे बढ़ें । मान्यवर, तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, सोच समझकर, सावधानी के साथ, इन्होंने अपनी बात कही है

ताकि कोई भी बात इधर-उधर न निकल जाय, आपने वाटर लॉगिंग, वाटर रिचार्जिंग और जलागम स्कीमों को एक झटके में उखाड़ दिया है, आपने 111 विकास खण्डों को काले एरिया में दिखाया है, वहां पानी की कमी है शुष्कता बढ़ती जा रही है। भूगर्भ जल घट रहा है जिससे बायोडाइवरसिटी सूख रही है और वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। तो मान्यवर, हमारा कहना है कि इससे हमारे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा उनकी खेती सूख रही है, सभी वनस्पतियों को इससे भारी नुकसान हो रहा है और हिन्दुस्तान की बहुमूल्य वनस्पतियों का नष्ट होना जारी है। तो मान्यवर, इस स्थिति से निपटने के लिए बांध बनाना बहुत जरूरी हैं, जिससे नहरों में पानी रह सके लेकिन उसमें यह सरकार सहयोग नहीं कर रही है, दूसरी बात यह है मान्यवर, कि नलकूपों का सिंचाई में भारी योगदान होता है, लेकिन इस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

मान्यवर, दिनोंदिन पानी का स्तर नीचे की ओर सरक रहा है, जिससे आने वाले दिनों में पीने के लिए भी पानी की कमी हो जायेगी लोग प्यासे मरने लगेंगे। तो मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, वह किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए एक समिति बनायें। 15 परसेन्ट पानी जो वर्षा का होता है वह वर्टिकली या हारीजेन्टली धरती में पेनीट्रीट करता है और 70 फीसदी पानी बह जाता है जिससे पानी का स्तर, भूगर्भीय जल का स्तर प्रतिवर्ष घटता जा रहा है और भूगर्भ जल संरक्षण के लिए आपने जो स्कीम बनाई है, उसके लिए जितने धन का प्राविधान आपने किया है वह बिल्कुल मामूली है, इससे स्थिति दिनोदिन विकट होती जा रही है, दूसरी बात है कि पानी खारा होता जा रहा है, जिसका उपयोग किसी के लिए नहीं है, न वह पानी पीने योग्य होता है, न ही उससे सिंचाई का कार्य किया जा सकता है और पानी की कमी की बात जब आई, तो मान्यवर, इन्होंने बड़ी होशियारी से यह कह दिया कि इस वर्ष आशातीत वर्षा नहीं हुई जिससे पानी की कमी हो गयी है और पानी का संकट आ गया है। तो मान्यवर, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, नहरों की सफाई नहीं करायेंगे, तब तक भूमिजल संकट बढ़ता जायेगा। मान्यवर, इन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है इन्होंने बांध आदि नहीं बनवाये हैं, यह अन्नोत्पादन योजना में भी विफल हो रहे हैं। तो मान्यवर, जब तक यह सिंचाई व्यवस्था को टीक नहीं करेंगे तब तक अनाज का उत्पादन घटता ही रहेगा। मान्यवर, बड़ी तेजी से तकनीक बढ़ रही है, भूमि संरक्षण इकाई जो काम कराती है, वह बुल्डोजरों को किराये पर लेकर कराती है, जितना पैसा किराये में खर्च करती है, उतने में कई बुल्डोजर और ट्रैक्टर आदि खरीदे जा सकते हैं। भूमि संरक्षण में बहुत बड़ा घपला है। मान्यवर, यह शिकायत आती है कि इसमें पैसों का आदान प्रदान हो गया है। ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट आ जाती है उससे न किसान का भला होता है और न शिकायत आने पर विभाग ही कुछ कर पाता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए जिले स्तर पर एक कमेटी बनायी जानी चाहिए और एक प्रदेश स्तर पर आपके समन्वय में कमेटी बनायी जानी चाहिए और उसमें जो रिपोर्ट आये उस पर विचार करके कार्यवाही की जानी चाहिए। भूमि संरक्षण में अरबों रुपये बरबाद हो रहे हैं जिसको सरकार बचा सकती है। मैं मान्यवर, अब अल्सी के बारे में कहना चाहता हूं बुन्देलखण्ड में झांसी में अल्सी बहुत पैदा होती है। अल्सी के डंठलों से रेशा निकाल कर उससे रस्से बनाये जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक मशीन ईजाद की है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अल्सी के डंठलों को भिगोकर उसका रेशा निकाल कर रस्से बनाये जा सकते हैं जिसका मिलीटरी में प्रयोग हो सकता है।

कृषि विश्वविद्यालय कानपुर ने अगुवाई की है, 16 नई किस्में बताई हैं जिसमें इसका प्रयोग हो सकता है। यदि इस रस्से बनाने वाली मशीन पर 70 प्रतिशत अनुदान सरकार मुहैय्या करायें तो जो डंठल बेकार चला जाता है वह काम में आ जायेगा और जलने से बेकार नहीं जायगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आप डिमांस्ट्रेशन सीड देते हैं, जो किट्स देते हैं वह किसानों तक नहीं पहुंचती

है । मैंने फिरोजाबाद में उप कृषि निदेशक के सामने जिला प्लान की बैठक में कहा था कि चना, जौ, गेहूं के डिमांस्ट्रेशन सीड किसानों को नहीं मिलते हैं और मैंने सूची मांगी थी लेकिन वह सूची आयी नहीं और डिमांस्ट्रेशन सीड के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली । प्रदेश में सारी जगहों पर ऐसी ही स्थिति है । आज जो बीज पैदा करते हैं वह कृषि फार्मों पर पैदा होता है । मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि फार्मों पर अनेक खेत बंजर पड़े रहते हैं धन के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पाता है । कृषि फार्मों पर सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी रहती है उसको कोई देखने वाला नहीं है । जो बढ़िया बीज है वह आज किसान को किसी कीमत पर नहीं मिल रहा है । तराई बीज निगम के बारे में मेरी कुछ जानकारी है वह अपने आप कोई बीज पैदा नहीं करता वह बाहर किसानों से खरीद लेते हैं और उसको सर्टीफाई करा लेते हैं । बीज के मामले में बड़ा घपला हो रहा है एक कमेटी बनाकर आप इसकी जांच करवा लें । मेरे यहां से अनेक किसान हैं जिनके यहां से गेहूं खरीदा जाता है और तराई बीज निगम ले जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बीज निगम जितने भी हैं वह आपके कंट्रोल से बाहर हैं वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं लूटने वाले हैं उन्हीं का कब्जा है । नकली बीज आज हमारे बीच आ रहा है । आपके अपने फार्म हैं उनका उपयोग हिन्दुस्तान और प्रदेश की भलाई के लिए करें तो ज्यादा फायदा होगा । मंडी परिषद् के बारे में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । मण्डी परिषद् की जो कृषि भवन बना हुआ है उसमें किसान की फोटो लगी हुई है लेकिन उस पर किसान चले तो फिसलकर गिर जाए बड़े-बड़े एयरकंडीशन हाल है । किसान का पैसा इसमें बरबाद किया गया है । यह जनता का पैसा है यही रुपया किसान के लिए सड़कों पर लग गया होता, किसानों के पानी पर लग गया होता तो ज्यादा फायदा होता । मण्डी समिति का जो पैसा है उसका किसानों के हित में कैसे उपयोग हो यह नीति आपको बनानी पड़ेगी अगर नहीं बनायेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इन बातों पर सरकार विचार करेगी तथा कृषि व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो यही हमारी उम्मीद है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मस्तराम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के बजट पर समर्थन पेश करते हुए बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में जो तकनीकी सुविधाएं तथा समय-समय पर कृषि क्षेत्र में फसलों पर अनुदान, बीज, खाद देने की व्यवस्था की है जिसके कारण कृषकों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है । अन्न का उत्पादन भी बढ़ा है । मैं अपने क्षेत्र हसनगंज तहसील के बारे में बताना चाहता हूं । हसनगंज मैंगो बेल्ट क्षेत्र है लेकिन मलिहाबाद में जो मैंगो बेल्ट क्षेत्र है यहां पर किसानों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वह हसनगंज के किसानों को, आम उत्पादकों को नहीं दी जा रही हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सुविधायें मलिहाबाद के आम किसानों को दी जा रही हैं वहीं सुविधायें हसनगंज के आम किसानों को दी जाए । जिससे हमारे क्षेत्र में भी आम का उत्पादन बढ़े ।

श्री अधिष्ठाता–

जब उद्यान का बजट आए तब यह सारी बातें कहें ।

श्री मस्तराम–

मान्यवर, मेरा ब्लाक औरास ऊसर क्षेत्र है । जिसे ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे ब्लाक को ऊसर सुधार में ले लिया जाय । मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री आर्य राम शरण–

मान्यवर, आगरा में गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रामशरण जी, पहले आप बैठ जायं मैंने यह निवेदन किया कि आज आप पहली बार बोल रहे हैं अब मैं आपका नाम पुकारता हूं अब बोलिये ।

श्री आर्य रामशरण–

हमारे कृषि मंत्री और वर्मा साहब इस समय कह रहे थे गेहूं की कृषि की पिछली बातें, तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसानों की बात की जाये जो इस समय की जरूरत है । आज क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है । गेहूं को भीगा बताकर किसान को लौटा दिया जाता है । एक समय की बात है जब कृषि पर ध्यान दिया जाता था । आज किसान ने अपना पसीना बहाकर फसल तैयार की लेकिन उसका गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है । बिचौलियों द्वारा लाखों रुपये लूटे जा रहे हैं । इसकी जांच करा लें । हमारे विधान मण्डल में सभी सदस्य किसानों के वोटों से जीत कर आये हैं फिर भी उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है । आज किसान जर्जर हालत में आ गया है । आपको चाहिए कि किसान के लिए लड़ाई लड़ें चाहे आप किसी भी दल के क्यों न हों । किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के बताये रास्ते पर चलकर देखिये । आज किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री बेचनराम–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । महाकवि घाघ ने कहा था ''उत्तम खेती मध्यम बांध निषिद्ध चाकरी भीख निदान'' । भाजपा की संयुक्त सरकार महाकवि कबीर की कविताओं को चरितार्थ करती है । आज हमारी सरकार ने 100 करोड़ में से 10.7 प्रतिशत कृषि विकास पर खर्च किये हैं परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है धान में प्रथम है । आज हमारी सरकार ने किसानों के धान के मूल्य को 540 रुपये करके किसानों के विकास के बारे में सोचा है और गेहूं का समर्थन मूल्य 610 रुपये करके किसानों के कल्याण की योजना को तैयार किया है । मान्यवर, हम सब जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और जहां कि 72 प्रतिशत किसान गांवों में रहता है । आज मैं कह सकता हूं कि चाहे कृषि क्षेत्र के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वे सबके सब कृषि पर ही आधारित हैं । अगर कृषि व्यवस्था कमजोर हो जायेगा तो मेरा अपना मानना है कि जितनी भी सरकार की अन्य व्यवस्थायें हैं वे चरमरा जायेंगी । हमारी सरकार की जो नीति है किसानों के लिए, वह बहुत अच्छी है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने किसान पंचायत बुलाकर किसानों की बैठक की है । किसानों को आराध्य माना है, किसानों को विकास की धुरी माना है । सारी योजनाएं किसान पर आधारित करके माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों के विकास का रास्ता बनाया है जिसके लिए मैं आभारी हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं कुछ अपने क्षेत्र की भी बात करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। 1998 की बाढ़ से हमारे क्षेत्र दुआबा में बान्ध कट गया था और उस बाढ़ के बहाव में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि बालू से पट गयी है। आज वहां गांव के लोग धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि कोई योजना तैयार करें। जिस तरह की ऊसर सुधार योजना चल रही है, ठीक उसी तरह की कोई और योजना बनाकर गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में किसानों के हित के लिए चलायें। यहां बाढ़ के बाद से सैकड़ों हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है। दुआबा क्षेत्र के किसान बहुत दुखी हैं। भूमि सुधार योजना लागू करके वहां के किसानों को फिर से खेती करने का लाभ मिल सके क्योंकि वहां की उपजाऊ भूमि पर बालू पट गया है। बहुत से किसान बाजार से अन्न खरीद कर अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, अभी बेचनराम जी, मस्त राम जी, जिनको माननीय कृषि मंत्री जी की बात का समर्थन करना था थोड़ी देर तक तो दबे-दबे समर्थन करते रहे लेकिन जब अपने-अपने क्षेत्र के बारे में कहने लगे तो चिल्लाने लगे और यह लगने लगा कि जो रघुवर दयाल जी ने अपनी बात कही है, वह इनके दिल में बैठ गई। बैठनी भी चाहिए सच से कब तक दूर भागेंगे। अच्छी बात है कि माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के भ्रमजाल में जिसको कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने भाषण द्वारा प्रस्तुत किया उसमें यह लोग फंसे नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

आप पर कोई असर नहीं हुआ ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मैं तो रघुवर दयाल जी के साथ में हूं। आपके साथ में हूं। आपका असर मेरे ऊपर रहेगा। आप मेरे नेता हैं। कृषि मंत्री जी को समझाने के लिए वहां बैठे हैं, समझा दीजियेगा। कृषि मंत्री जी ने कहा चौथी बार मैंने तैयार किया है। मान्यवर, इसके बाद जो नम्बर आता है वह बहुत खराब नम्बर आता है। जब-जब इन्होंने नम्बर लगाया कृषि का सत्यानाश हुआ। यह तो अधिकारी ही समझ लें या कृषि मंत्री समझ लें। पावर से जुड़े आदमी का खेती किसानी से क्या मतलब क्या जरूरत है, यह तो लट्ठबंद लोग हैं जिसकी खेती अच्छी हुई कटवा लिया। इनको क्या पता खेती अच्छी हुई, (हंसी) इसीलिए मैं आपके सामने दुख के साथ कह रहा हूं मान्यवर, आपको हर चीज मिल जाएगी लेकिन कृषि विभाग में सुधार नहीं मिलेगा। कृषि विभाग पर जब बंटवारा हो रहा था एक-दो साल बीत गये हमने समझा सुधार होगा लेकिन जो पत्ता खोला, तो सड़े पत्ते खुले, जनता की परेशानी से क्या मतलब ? आलू सड़ जाए किसी मंत्री जी से क्या मतलब ? इनका मामला सब ठीक रहे पुराने हैं इसलिए सब मामला फिट है। इतना ज्यादा आंकड़ों का जाल बिछाया गया है इस जाल से किसानों का भला होने वाला नहीं है। कृषि से कोई अलग नहीं हो सकता है, कृषि, गांव किसान यह सब आपस में जुड़े हुए शब्द हैं इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। अरे इतना मत सताइए, अधिकारियों के दिये हुए भ्रम जाल के आंकड़ों से प्रदेश की जनता को भ्रमित न करें, प्रदेश की जनता होशियारी से सब देख रही है। हर जगह फेल हो गए और कहते हैं कि कृषि को उन्नति और तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। वर्मा जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा शोध संस्थान जो आपके चलते हैं कोई दफ्तर नहीं जाता है आप बता दें आप तो चार साल से मंत्री हैं इन चार सालों में आपने किसी कार्यालय का निरीक्षण किया है ? कोई कार्यवाही की है ? धक्का परेड मामला चला रहे हैं सारी व्यवस्था चालू है किसी चीज से कोई लेना-देना नहीं है ।

श्रीमन्, प्रदेश में गंगा, सरजू, राप्ती और घाघरा ऐसी नदियां हैं, किसी नदी से आप दुखी हैं किसी नदी से हमारे और साथी दुखी हैं और कृषि मंत्री जी घाघरा से, हम आप भी उससे जुड़े हैं । घाघरा कितना कटान करती है यह जिक्र नहीं किया । कितनी फसल कटान के कारण बरबाद हो जाती है कितनी जमीन ऊसर हो जाती है । सरजू, राप्ती, बूढ़ी गण्डक को ले लीजिए कितनी जमीन प्रदेश की बंजर हो जाती है उस पर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती है । अधिकारी आंकड़े दे देते हैं उससे आपका काम चल जाता है । आपको क्या करना है । मेरा कहना है आप नीतिगत बातें सोचें । मण्डी परिषद् है इतना बड़ा मकान बना दिया । इसमें ए० सी० कम कर दें, विद्युत कम कर दें अगर कल्याण सिंह जी ने गलती कर दी तो ऐसा नहीं कि आप सुधारेंगे ही नहीं, गुप्ता जी की सरकार में भी आपके पास कृषि विभाग था अगर कोई गलती हुई है तो आपको सुधारना चाहिए, जब आप गल्ती नहीं सुधार सकते हैं तो इस विभाग को क्या संभालेंगे ? जिले-जिले में मंडी समितियां हैं उसकी क्वालिटी गुणवत्ता देखिये । आपके एक मंत्री जी हमारे जिले में गये थे । मेरे विधान सभा क्षेत्र में गये वहां ईंटा, मिट्टी के बारे में क्या कहा ? कुछ नहीं कहा इसलिए उससे खराब ईंटा लगना शुरू हो गया । लोगों ने भी कहा कमीशन पर बात चलती है तो आगे और खराब कर देंगे, ईंटा पीला लगा देंगे, तो सीमेंट एक का बीस लगा देंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैसे आप तरक्की करना चाहते हो इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कृषि से कोई मतलब नहीं है । आपसे उम्मीद थी कि आप कुछ ध्यान दोगे लेकिन आप तो बड़े आदमी हो आपको भी इससे क्या मतलब । मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री आर्य राम सरन जी ने अपनी बात रखी, एक बात कह दी लेकिन उसमें कोई गम्भीरता से चिन्तन नहीं किया । क्या पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम करना चाहते हो, क्या कृषि राज नहीं रहेगा ? मेरे जनपद बहराइच में महसी में, कसरपुर में, नानपारा, फकरपुर, जटाशंकर जी तो आपकी पार्टी के हैं वह बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में घाघरा नदी से कटान बढ़ रहा है । आप इसको दिखवाये और इसे खेती के लायक करें । आपके पास पैसा है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है, लेकिन आप पैसा तो फिजूलखर्ची में खर्च करोगे । सीतापुर में भी यही हालत है । जो आपका गोदामों में अनाज भरा है आप वहां जाकर देखें वह कितने दिनों से सड़ रहा है । अरे आप गरीब को पैसा नहीं दे सकते हो तो इसे ही दे दो । दिल्ली में आपकी सरकार बैठी है आप एक कृषि नीति बनायें। शाहजहांपुर में चले जायें वहां पर रेलवे स्टेशन में चूहा और बिल्ली सारा अनाज खा रहे हैं, अरे इसका वितरण ही करा दीजिये क्यों इसका नुकसान कर रहे हैं ।

आपने देश, प्रदेश और विदेश में कृषि के बारे में जानकारी हासिल की । लेकिन हो क्या रहा है अफसर ठण्डे कमरे में बैठा हुआ और ए० सी० चल रहा है और बाहर लू चल रही है तो वह क्या जायेगा । मान्यवर, आज जनपद बहराइच में चले जायें जहां भूमि का परीक्षण होता है, लेकिन किस दिन इसका परीक्षण हुआ, कितने दिनों हुआ, कितना सैम्पुल लाये इसको देख लीजिये । खाली तनख्वाह बांट रहे हैं, फर्जी बाउचर बन रहे हैं, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं तो इससे क्या परीक्षण अच्छा हो जायेगा । मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि आप जिले में जायें और देखें । खाली अधिकारियों के जिम्मे मत रखिये नहीं तो सत्यानाश हो जायेगा । किस जमीन में कौन सी फसल हो, कितनी उर्वरक दी जाय इस पर ध्यान देना चाहिए । जमीन के सही नमूने धरती का परीक्षण हो अगर इसको नहीं करेंगे और फर्जी आंकड़े पर जिन्दा रहना चाहते हैं तो इससे किसानों की खेती को नुकसान होगा और यह बहुत दिनों चलने वाला नहीं है । आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यातना को झेलना पड़ेगा और होशियार तथा सचेत रहना होगा । आपका भूमि सुधार निगम यह एक काला हाथी बनता जा रहा है । इसमें कोई अफसर

काम नहीं करना चाहता है इसका कारण यह है कि सरकार में धमक नहीं है, सरकार का प्रेशर नहीं है जिससे कोई अधिकारी काम करने को तैयार हो जाये मान्यवर, एक अधिकारी का तबादला हो जाता है आपके विभाग में मगर नोट खर्च कर जहां चाहे वहां स्थान मिलता है । इसे कौन रोकेगा । अब योग्य आदमी है और पैसा नहीं है तो आपके विभाग में अच्छी जगह नहीं मिल सकती है । बहुत विसंगतियां पैदा हो गयी हैं । मैं तो सुझाव देता हूं आप बड़े हैं, विद्वान हैं, बुरा नहीं मानेंगे । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो सुझाव आपको दिये हैं तुलसीदास जी की रामायण में कहा गया है अब भाजपा का राम से तो कोई संबंध नहीं रहा । कहा गया है "निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाये " । आप थोड़ा कठोर बनिये आपने दो-तीन किताबें दी हैं लेकिन इन पर अमल भी होना चाहिए, आपको इसके अमल के लिए ताकत लगानी पड़ेगी । तब सही नीति चलेगी । अब भाजपा सब गर्त में जा रही है तमाम गठबंधन हैं और भी कुछ लोग ठेकेपट्टी पर आ सकते हैं लेकिन आपको जान बचाकर प्रदेश से भागना पड़ेगा । हम कहते हैं कि किसान का सत्यानाश मत करो ऐसा काम करें कि यह प्रदेश उठ जाये । हम समाज में तरक्की के लिए लायक रह जायें इस डूबती नाव को जल्दी उबारने की कोशिश आप करें आपको व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, अधिकारियों की तरफ ध्यान देना होगा और जो यह किताबें हैं इसमें कुछ तथ्यात्मक बातें निकालकर आपको उन पर अमल करना पड़ेगा । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो बातें कही हैं उस पर मैं बल देता हूं ।

मान्यवर, यह भाजपा सरकार तो बेरहम है इसलिए सचेत करता हूं ताकि शायद आप कोई सही रास्ता पकड़ लें और प्रदेश को डूबने से बचा लें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय कृषि मंत्री जी के बजट प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया । मैं बधाई भी देना चाहता हूं कृषि मंत्री जी को कि इस युग में जब उत्तर प्रदेश में एक किसानों के हित की सर्वाधिक आवश्यकता की सरकार पदारूढ़ है, केन्द्र में भी है। पहली बार ऐसी सरकार जिसने किसानों को आगे रखकर पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के बजट को महत्व दिया है ऐंसी सरकार के कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने बजट पेश किया है ये बधाई के पात्र हैं । अब यह हमारे योग्य साथी रामतेज जी की कठिनाई हो सकती है कि माननीय मंत्री जी काफी कुछ मसौदा, कुछ लिटरेचर, कुछ आंकड़े अपने बजट भाषण और पुस्तिका में दे रखे हैं उनको विचार करना चाहिए कि रामतेज जी इतना पढ़ने लिखने की चिन्ता क्यों करें, क्यों उलझा दिया, यह जरूर शिकायत की बात हो सकती है । मैं सहमत हूं कि कुछ छोटा-मोटा कहकर काम चला लेते । इतना लम्बा चौड़ा आंकड़ा और लिटरेचर सामने रखकर विपक्ष को उलझाने का कोई औचित्य उनकी समझ में नहीं आता है।

श्रीमन्, उस सरकार का जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है आज आजादी के 53 साल के कालखण्ड के बाद पहली बार किसानों ने यह महसूस किया है कि यह देश यह प्रदेश किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है । आज भी 80-85 प्रतिशत लोग गांव में किसान के रूप में, गरीब के रूप में मजदूर के रूप में निवास कर रहे हैं । अब तक बजट का हिस्सा ठीक उल्टा हुआ करता था नगर में जहां 20 प्रतिशत लोग थे वहां 70–80 प्रतिशत धन खर्च होता था और गांव में जहां 70–80 प्रतिशत लोग रहे हैं वहां 20 प्रतिशत धन खर्च होता था । अबकी पहली बार इस सरकार ने ठीक बजट का निर्धारण किया है । जब ऐसा किया गया है तो रामतेज जी की समझ में आया कि भाजपा को किसानों से क्या लेना देना । यह विचार नहीं करते अगर किसान दुर्दशाग्रस्त रहता जैसा पिछले समय में रहा है तो माननीय रामतेज जी को अवसर प्रदान होता । इस सरकार ने इसको दूर किया है इसी कठिनाई को महसूस कर रहे हैं । कुल मिलाकर इनका सुझाव जैसे निन्दक नियरे राखिये रघुवर दयाल वर्मा जी कटमोशन रख रहे हैं इनके बगल में बैठकर हम सुन रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जाहि निकारो गेह से,

सो कस न भेद कहि देय ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, जैसा माननीय रामतेज जी और रघुवर दयाल वर्मा जी ने प्रकाश डालने की कोशिश की और यह कहा कि सरकारी अधिकारी उनको धोखे में रखकर सही जानकारी, माननीय मंत्री जी को नहीं दे रहे हैं तो मान्यवर, यह पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों से सीधा संबंध जोड़ने का प्रयास किया है इससे रामतेज जी और रघुवर दयाल वर्मा जी सहमत होंगे । पिछले 53 सालों में किसी सरकार ने सीधे किसानों से सम्पर्क नहीं किया । उचित यह होता कि राम तेज जी और रघुवर दयाल वर्मा जी इससे सहमत होते हुए सरकार को धन्यवाद देते । मैं यह मानता हूं कि वह अन्दर मन से तो प्रसन्न हो रहे हैं लेकिन उनकी कठिनाई यह है कि इस सरकार का किसानों से सीधा सम्पर्क हुआ है । मान्यवर, यह एक मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है । मैं माननीय मंत्री जी का 2-3 महत्वपूर्ण विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

पहला यह कि कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन में कुलपति की पात्रता क्या हो अब तक इसका कोई नियम नहीं बना हुआ है एक छोटा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सरकारी विभागों में निर्धारित है कि उनकी क्या शिक्षा होगी उसकी एक परिभाषा रही है कि ऐसा होगा तो अयोग्य माना जायेगा, ऐसा होगा तो ठीक माना जायेगा । जो नियमावली है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि यह पात्रता चाहिये । जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार सर्च कमेटी किन्हीं तीन लोगों का नाम भेजेगी और उसमें से महामहिम एक का चयन करेंगें । अब चाहे तीन रिक्शा चालक या टैक्सी चालक का नाम भेज दिया जाय, उसमें भी चयन करने की सुविधा है, यह अपने आप में एक विडम्बना है । पहले यह आश्वस्त किया गया था कि 2-3 महीने में पूरे प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया, पात्रता आदि के बारे में नियम जोड़ दिया जायेगा, शायद ऐसा कर लिया गया होगा, यदि नहीं किया गया है तो उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ ।

दूसरा, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो कृषि विश्विद्यालय, कानपुर में है, अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसा होगा । कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में विगत अनेक वर्षों से दैनिक वेतनभोगी लगभग 2250 कर्मचारियों का वेतन आहरित हो रहा था । पिछले समय में नये कुलपति चयन होकर आये हैं, उन्होंने तय किया कि कर्मचारियों के बैंक खाते खोल दिये जायें और वहीं से उनका वेतन आहरित हो, बैंक के थ्रू उनका पेमेन्ट हो तो 2250 कर्मचारियों की संख्या बिना किसी को हटाये हुए 1500 पर आ गई । इससे साफ संकेत मिलता है कि 750 डेलीवेजेज कर्मचारियों के वेतन के रूप में किस तरह पैसा आहरित होता रहा है, अब तक इस तरह करोड़ों रुपया आहरित किया जा चुका है, यह जबरदस्त घोटाले का विषय है, इस पर विशेष तौर से जांच कमेटी बैठायें और इसकी जांच करायें, यह बहुत बड़ा परोपकारी कार्य होगा ।

एक और सुझाव देना चाहता हूं । कानपुर मण्डी परिषद् विगत कई दशक पहले स्थापित हुई थी, इसमें करोड़ों रुपये लगे, लेकिन आज तक कानपुर मण्डी परिषद् में मंडी स्थानान्तरित नहीं हुई है । बार-बार हम लोगों के प्रयास करने के बाद भी यह काम नहीं हुआ और मेरी जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री जी ने भी प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास भी सार्थक नहीं हुआ । इससे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के राजस्व का सरकार को नुकसान हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इस काम में जो भी बाधायें आ रही हो, उनको दूर करके अतिशीघ्र मण्डी परिषद् में मण्डी स्थानान्तरित करने का प्रयास किया जाय ।

दूसरा एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । मण्डी परिषद् के द्वारा ग्रामों के विकास में धन आवंटित होता है, वह सम्पर्क मार्ग बनाते हैं, पेयजल की व्यवस्था होती है, ग्राम के भीतर अन्य विकास की व्यवस्था होती है, जो कृषि उत्पाद हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से ग्रामों के अन्दर सम्पर्क मार्गों का मण्डी परिषद् निर्माण करती है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80 गांव हैं, जहां अभी भी कृषि कार्य होते हैं, गेहूं की पैदावार होती है, धान की पैदावार होती है, अन्य कृषि उत्पाद भी होते हैं, लेकिन एक कानूनी कठिनाई रास्ते में आ गई है, चूंकि वह गांव नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ गये हैं, इसलिए मण्डी परिषद् उनके विकास पर एक भी पैसा खर्च नहीं कर पायेगी जबकि दूसरी ओर उत्पादों का मण्डी तक थ्रू विपणन करके मण्डी परिषद् लाभ उठा रही है, मैं बल देकर आपको सुझाव दे रहा हूं कि शासनादेश निर्गत करके यह व्यवस्था बना दें कि कम से कम उन गांवों में जहां कृषि कार्य आज भी हो रहे हैं, सिंचाई हो रही है, कृषि उत्पाद हो रहे हैं, उन गांवों के विकास के लिए इस तरह के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाय । वह व्यवहारिक दृष्टि से गांव हैं, तकनीकी रूप से भले ही नगर निगम के क्षेत्राधिकार में घोषित हों । इसको गम्भीरता से लेते हुए इस नियंत्रण को वापस ले लें कि यदि वह नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है तो मण्डी परिषद् उनके विकास पर धन खर्च नहीं करेगी । मैं पुनः निवेदन करते हुए, सारी संकीर्णता को छोड़ते हुए माननीय वर्मा जी, माननीय रामतेज जी से कहूंगा कि वह खुले मन से इसकी सराहना करें, सरकार जो सराहनीय कार्य कर रही है, मैं तो सराहना कर ही रहा हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं रघुवर दयाल वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, जिस प्रदेश में 74 फीसदी जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उस 74 प्रतिशत में तकरीबन 50 प्रतिशत इसी कृषि कार्य में लगे हैं तो यह एक धर्म बन जाता है उस सरकार का कि उस जनता का, उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमियों का और कृषि पर आधारित जो लोग हैं उनका ख्याल रखे । मान्यवर, मंत्री जी को बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि जिस तेजी के साथ आपकी ग्रीन बेल्ट खत्म हो रही है जो उपजाऊ जमीन थी वह खत्म हो रही है, उसमें कालोनीज जिस तेजी के साथ बन रही हैं, आप उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते । यदि जमीन ही खत्म हो जायेगी, पहले एक नियम हुआ करता था, हो सकता है अब भी हो यदि है तो कम से कम उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कोई भी कालोनी बनानी हो, कालोनी बनाने से पहले आप एग्रीकल्चरल लैण्ड को या ग्रीन लैण्ड को खत्म करने के लिए एक नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लिया करते थे । मैं समझता हूं कि जहां आपके गेहूं बोया जा रहा था, ईख बोई जा रही थी, जहां फसल बोयी जा रही थी, आपके शहर बढ़ रहे हैं और कालोनाइजर्स अपना काम चला रहे हैं ।

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने हेक्टेयर जमीन आपकी जानकारी में है जो कृषि से खत्म होकर वहां कालोनी बस गयी हैं, और उसमें आप क्या कर पाये ? मान्यवर, भट्ठा उद्योग अगर आप दिल्ली के करीब से गुजरते हों, शायद मंत्री जी का गुजर वहां कम हुआ है, आप 50, 60, 70 कि०मी० से गुजरें उस एक-एक क्षेत्र में 50-50, 60-60 भट्ठे हैं । मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में तकरीबन 500 भट्ठे होंगे । सबने वहां भट्ठे लगाना शुरू कर दिया है । एक लगा, उसके बाद दूसरा लगा । इसके लिए क्या कोई कानून बनना चाहिए कि कितनी दूरी पर दूसरा भट्ठा खुलेगा । इससे खेती योग्य जमीन तो खत्म ही हो गयी, प्रदूषण फैलने से उस एरिया में ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से समाप्त हो गयी है । रिटाल गांव के अन्दर रिटाल नाम का आम होता था अब समाप्त हो गया है । मान्यवर, पहले डिपार्टमेन्टल यह काम हुआ करता था कि यहां एलाऊ करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन मान्यवर, ऐसी बात आज नहीं हो रही है जिसकी मर्जी होती है वह जिला परिषद् में एक हजार रुपया जमा करके अनुमति ले लिया करता है । मान्यवर, आपकी ऊसर जमीन पर कोई कार्य नहीं हो रहा है । 7-8 साल पहले कार्य

हुआ था परन्तु आपने यह डिपार्टमेन्ट ही बन्द कर दिया । ऊसर की जमीन वैसी की वैसी पड़ी है, पैदावार होनी बन्द हो गयी है । जब आप अलीगढ़ से मेरठ की तरफ चलें, अलीगढ़ से लेकर खुर्जा और उसके आगे बुलन्दशहर के आस-पास तकरीबन 40–50 कि०मी० का एरिया है वहां ऊसर जमीन है । वहां न कोई उद्योग आ रहा है न ही एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं । 16 करोड़ की आबादी में 12-13 करोड़ लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और यह सरकार समझ रही है कि 50–100 आदमियों को बुलाकर खिचड़ी खिला दें तो क्या वह किसानों की पंचायत हो गयी, यह भ्रम की बात है । इससे कुछ नहीं होने वाला है । एक बात और कहना चाहूंगा एक ए० पी० सी० का आफिस है वह डिफेक्ट हो गया है । उसका कार्य था कोआर्डिनेट करने का । सिंचाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है अगर सिंचाई नहीं होगी तो कृषि पर फर्क पड़ेगा । आपके विभाग को यह मालूम होना चाहिए कि पूर्वी यमुना नहर क्यों बन्द है ? पानी क्यों नहीं आ रहा है ? जब पानी नहीं आयेगा तो सिंचाई कैसे होगी, सिंचाई नहीं होगी तो फसल कैसे होगी ? बिजली क्यों नहीं आ रही है । यह सब देखना चाहिए । मान्यवर, जो फसल बीमा योजना की बात आयी । आप काफी दिनों से इसका वायदा कर रहे थे । मैंने तो आज तक नहीं देखा न आप ही बता पाये । पिछले कुछ दिनों में सूखे से, ओले से, बारिस से फसल खराब हो गयी है, उसमें बीमा कम्पनी ने आकर कितना योगदान दिया है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूं । हमारा देश गांवों में बसता है । गांव में किसान रहते हैं जो कृषि कार्य करते हैं । कृषि, भारतीय जीवन-पद्धति व परम्परा है जिसने भारत के लोगों के विचार, दृष्टिकोण, संस्कृति एवं आर्थिक जीवन को शताब्दियों से संवारा है । प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है । कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दशा में वर्तमान सरकार अग्रसर है । किसानों को सुविधा सम्पन्न बनाने में जितना कार्य यह सरकार कर रही है, ऐसा कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया है । मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूं कि–

अपने पिछले कार्यों को शायद भूल रहे हैं
किसानों के लिए यह सभी को शूल रहे हैं,
सरकार के कार्यों से खुश किसान लग रहे,
बस इसीलिए इन सबके पेट फूल रहे हैं ।।

किसान है भगवान जो है गांव में रहता श्रीमन्,
गांव को आधार अब हर शख्स समझता श्रीमन्,
यह सत्य भी है गांव के हर गली और गलियारे से
जाता है प्रदेश की खुशहाली का रास्ता श्रीमन् ।।

किसानों के लिए यह बजट वरदान हो रहा है,
हर कोण से लाभान्वित हर किसान हो रहा,
तहसील दिवस और थाना दिवस के जरिये,
किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा ।।

निःशुल्क हेल्प लाइन का विधान हो रहा,
गेहूं और धान खरीद का दुकान हो रहा ।

पोटास, फास्फेट व्यापार कर से मुक्त है
कृषि नीति द्वारा सुविधा का सामान हो रहा ।

मुक्त रजिस्ट्रेशन से ट्रैक्टर ट्राली किया है
चावल निर्यात में बन्द सभी दलाली किया है ।
समस्या निवारण हेतु किसान पंचायत कर रहे,
भू-माफियाओं से जमीनें खाली किया है ।

किसान मित्र नियुक्त इक्यावन हजार कर रही,
फसल बीमा लागू यह पहली बार कर रही ।
सोलह हजार किसान क्रेडिट कार्ड बांटकर,
ऋण देने की सुविधा सरकार कर रही ।

देश में प्रथम गेहूं का उत्पादन रहा,
कुल दो सौ उन्सठ लाख मीट्रिक टन रहा ।
किसान सम्मान दिवस अब मनाया जायेगा,
23 दिसम्बर जो चौधरी चरण सिंह का जन्म रहा ।

बीज ग्राम योजना किसानों के लिए,
कृषि विकास निधि बना किसानों के लिए ।
मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय बनेगा,
कंट्रोल रूम स्थापना किसानों के लिए ।''

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने की भी कृपा करें, ताकि उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । मान्यवर, अन्त में एक पंक्ति है—

ऊसर सुधार कर रहे हम पूरे ख्याल से,
महिला स्वशक्तिकरण योजना इसी साल से ।
कटौती प्रस्ताव अपना वापस ले लीजिये,
निवेदन है हमारा श्री रघुवर दयाल से ।।

* श्री विश्वनाथ–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, मेरे पूर्व वक्ता इस बजट के समर्थक कवि को सुनने के बाद एक बात याद आयी कि ऊटों की बारात में गदहा बराती बन कर गये, गदहों की आवाज को सुनकर ऊटों ने कहा क्या स्वर है, क्या ध्वनि है । इस तरह से बजट प्रस्तुत हो रहा है और बाद में अनुरोध हो रहा है । मंत्री जी ये करेंगे कृषि का दर्जा किसानी को देंगे और मंत्रियों का हाल है कि उनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारण किसान बदहाल हो गया । धरा-धाम सुधारने की बात हो रही है । जहां किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बजट प्रस्तुत करने में आप वाहवाही खुद कर रहे हैं । यह कैसे होगा किसान पंचायत करने की जरूरत पड़ती है । माननीय मुख्य मंत्री जी किसान नहीं हैं । कृषि मंत्री जी किसान नहीं हैं । अगर यह किसान नहीं हैं तो फिर किसान कौन है । धान का किसी तरह से बिक्री हुआ और कुछ व्यवस्था नहीं कर पाये और किसान ने 300–350 रुपये कुन्तल धान बेचा है और धान की लुटेरों के हाथ खरीद होती है । क्या यह जगजाहिर नहीं है । मंत्री जी ने जवाब दिया है कि धान का दाम बेबाक है, लेकिन वास्तव में किसानों को भुगतान नहीं किया गया है । मान्यवर, किसानों का धान और गेहूं खरीदा गया है, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । किसानों का बकाया पेमेंट करने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है अनाज का क्रय सरकारी केन्द्रों पर किया जाता है, लेकिन सरकार के पास उसके भण्डारण की व्यवस्था नहीं है, इस सरकार की हालत यह है कि जैसी एक कहावत है ''थोथा चना बाजे घना'' मान्यवर, सरकार की यह हालत है कि नहरों की व्यवस्था कोई करता है तो पानी की व्यवस्था कोई करता है, बीज की व्यवस्था कोई करता है तो खाद की व्यवस्था कोई और करता है, पानी की व्यवस्था कोई करता है तो बिजली की व्यवस्था कोई और करता है, इस सरकार में आपसी तालमेल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किसानों से रेवेन्यू टैक्स वसूला जा रहा । जब कि गेहूं की खरीद का भुगतान, धान की खरीद का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, हमारे क्षेत्र कुशीनगर का 5 लाख रुपये अभी तक नहीं दिया गया है, किसान अपना पैसा मांगने जाता है, तो सरकार उसके पैसे का भुगतान नहीं कर पा रही है और किसानों के हित की बात कर रहे हैं, राजा साहब आप तो राजा हैं, किसान नहीं हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी किसान नहीं हैं, कृषि मंत्री जी किसान नहीं हैं, आप किसान के दुख-दर्द को क्या जाने, आपने कभी हल नहीं पकड़ा है । अगर आप हल पकड़ लें तो आपका धर्म चला जाये, आपकी जाति चली जाये और आप किसानों के हित की बात करते हैं,यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । आप चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, वह किसानों के सच्चे हमदर्द थे उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ''कौन-कौन गुन बरनौ'', उन्होंने जो कुछ भी किसानों के लिए किया है, वह कोई भी सरकार नहीं कर सकती है । मान्यवर, किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा, बीज नहीं प्राप्त हो रहा है, बिजली की समस्या जारी है, लेकिन इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है । मान्यवर, गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया आज भी बकाया है, कठकुईया चीनी मिल, पडरौना चीनी मिल और रामकोला चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, किसान जब पैसा मांगता है तो उन पर लाठी, गोली चलायी जाती है, और यहां पर राम का नाम लिया जाता है । बरतानियां हुकूमत में प्रदेश में गन्ना मिलें स्थापित हुई थी, लेकिन आपकी हुकूमत में यह सारी मिलें बन्द होती जा रही हैं, और गन्ना उद्योग चौपट होता चला जा रहा है । आप गेहूं की खरीद करते हैं लेकिन आपके पास गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है । आपके पास बोरे नहीं हैं । आपसे मैं अपील करता हूं कि आप आंकड़ों पर न जायं । आप किसान के हित की बात सोचें । मेरी बातों का संज्ञान लेते हुए कृषि नीति को घोषित करें, जल नीति को घोषित करें और किसान के लिए खाद, बीज का इंतजाम करिये ताकि किसान को राहत मिल सके और देश और प्रदेश की खुशहाली हो सके । आप कृषि में पिछड़ रहे हैं । अगर किसान की हालत ठीक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि किसान की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है । अगर किसान खुशहाल है तो पता चलेगा कि सरकार की बात में सच्चाई है। अगर किसान खुशहाल है तो यह साबित होगा कि उसकी तरक्की हो रही है और यदि किसान परेशान है तो यह माना जायगा कि उनकी तनज्जुली हो रही है । इसी के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वह किसान के हित में है और किसानों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने वाला है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2001-2002 में विकास की दर 5.1 प्रतिशत बनाये रखने के लिए जो व्यवस्था की गयी है उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, खाद्यान्न उत्पादन 524 लाख मी० टन हुआ है और तिलहन का उत्पादन 21 लाख मी० टन हुआ है इससे किसानों का भला हुआ है । मान्यवर, बजट में जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिए जो 21.36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है उससे किसान लाभान्वित होंगे । किसानों की फसल जो पाला, ओला से उजड़ जाती थी इस योजना से किसानों को राहत मिलेगी। मान्यवर, मैं अपने प्रदेश के मुखिया को और प्रदेश के कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि किसानों की तरक्की के लिए उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली पर से रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिया है । इसी तरह से प्रदेश में पोटाश और फास्फेट खादों को व्यापार कर से मुक्त कर दिया गया है यह भी कृषि बजट की एक अनुपम छटा है । मान्यवर, किसान बंधु का जो गठन किया गया है उससे किसान लाभान्वित होंगे और उसमें उनकी समस्यायें व दुखदर्द सामने आयेंगे और उनकी समस्यायें दूर होंगी । इसी तरह से धान-गेहूं, ज्वार, बाजरा-मक्का के बीजों का उत्पादन करने पर 5 सौ रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है और संकर बीजों के उत्पादन पर प्रोत्साहन के लिए 10 हजार रुपया देने की जो व्यवस्था की गयी है उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है । कृषि नीति जो घोषित की गयी है उसके अनुसार 2007-2008 में खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य को 2 गुना करने की बात कही गयी है इससे भी प्रदेश में एक कीर्तिमान स्थापित होगा इसके लिए भी मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इसके अलावा 2001-2002 में भूमि सुधार के लिए, 30 हजार रुपये, प्रति हेक्टेयर, देने की बात कही गयी है इससे भूमि सुधार होगा और हमारा उत्पादन बढ़ेगा । मैं बधाई देना चाहता हूं कृषि मंत्री जी को कि उन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ट्रैक्टर क्रय करने के लिए 30 हजार रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की है । इससे जो गरीब किसान हैं वह अपनी खेती के लिए प्रयोग में लाने के लिए ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे । किसान मित्र योजना जो लागू की गयी है तथा क्रेडिट योजना, कृषि में, महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्राविधान किया गया है । बहुउद्देशीय कर्मियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके उसका वह प्रचार प्रसार करेंगे कि कौन से बीज प्रयोग किये जाएं, किस समय प्रयोग किया जाय । यह एक अहम फैसला लिया गया है । मैं मा० कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के आकार को देखकर गांवों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों की खुशहाली के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शिव सिंह चक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारा देश कृषि प्रधान देश है । कृषकों की समस्याएं असीमित हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है इसके लिए हमारी पूर्व की सरकारें और विपक्ष के सामने बैठे हुए लोग भी जिम्मेदार हैं । हमारे कृषि मंत्री जी ने जो 2001-2002 का बजट प्रस्तुत किया है उसमें ऊसर सुधार के अन्तर्गत 30 हजार हेक्टेयर ऊसर का उसमें उपचार किये जाने का प्राविधान है । कृषकों को सुविधा देने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन की व्यवस्था की गयी है । प्रदेश के मुखिया श्री राजनाथ सिंह जी ने किसानों की समस्या को एक-एक सुनने के लिए किसानों का दरबार लगाया और एक-एक किसान से उसकी समस्या को सुना । तथा उसको समझा । इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । मैं कृषि मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । अभी कुछ दिन पहले मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर लम्बी लाइनों में खड़े हैं, उनसे बात की तो पता चला कि उनका गेहूं खरीदा नहीं जा

रहा है । कहीं बोरे नहीं मिल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी हमारे सुझावों को नोट कर लें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित के लिए जो पूर्व में उनकी समस्याएं थीं ट्रैक्टर ट्राली जो जुगाड़ चलता था, उनको जगह जगह पकड़ लिया जाता था उनसे गरीब किसान जो अपना अनाज ले जाता था, उसको पकड़ लिया जाता था । हमारे प्रदेश के मुखिया बधाई के पात्र हैं कि जुगाड़ करे तो कोई छूता नहीं । ट्रैक्टर ट्राली को भी कर मुक्त कर दिया गया । हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस को, किसानों के पक्ष में मनाने की घोषणा की है, बधाई हो । तिल, आलू, आंवला आदि की निर्यात नीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है । कीटनाशक दवाओं में छूट की व्यवस्था की गयी है । मैं, अपने क्षेत्र में, कृषि मण्डी के भवन के निर्माण के लिए जो स्वीकृति हुई है उसके लिए कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं । उनसे यह भी निवेदन करता हूं कि वह समय निकाल कर शिलान्यास भी कर दें । मेरा विधान सभा क्षेत्र टूण्डला ब्लाक का आधा भाग जमुना की तलहटी में बसा हुआ है । किसानों की भूमि जो ऊसर है उसको समतल करने की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए । मैं वर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें, धन्यवाद ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने श्री रघुवर दयाल वर्मा जी द्वारा कृषि विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारी तमाम विद्वान साथियों ने उत्तर प्रदेश मे कृषि की स्थिति और बजट पर विस्तार से बातें रखी मैं उनको दोहराऊंगा नहीं । हम उन नीतियों की घोषणा बजट में सुन पाते हैं जिनके सहारे आगे आने वाले दिनों में उस विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रम का प्रयास होता है । उसी सम्बन्ध में कटौती के माध्यम से विपक्ष के सुझाव आते हैं । हमारे सत्तापक्ष के साथियों ने भी औपचारिक तौर पर तो इस बजट का समर्थन किया लेकिन कहीं न कहीं उस पर चिन्ता भी जताई है । जो हमारे विपक्ष के साथियों ने रखने का काम किया है मैं उसको नहीं कहना चाहता कई लोगों ने कृषि मंत्री जी को बधाई दी है सत्तारूढ़ दल के लोगों ने । अगर औपचारिकता है तो मैं भी इस बात की बधाई देता हूं कि उन्हें चौथी बार इस बजट को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है । मैं एक और बात के लिए बधाई देता यदि इस बजट में कहीं किसानों की दुर्दशा को देखने, समझने का काम किया गया होता । मुझे अफसोस है कि इतने लम्बे भाषण और जो साहित्य बजट का दिया गया है उसको देखने के बाद मैं आपके चार वर्षों के आचरण के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इन चार वर्षों में सरकार ने क्या-क्या किया है । परस्पर आलोचना की दृष्टि से माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि जो सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में बता रहा हूं । जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति है और उनके दृष्टिगत भारतवर्ष पर जो बाहरी राष्ट्रीय कम्पनियों का हमला हो रहा है, विश्व ट्रेड आर्गेनाइजेशन का हमला हो रहा है और इस हमले की सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ने वाली है ।

मान्यवर, उस खतरे को यदि कहीं से भांपने का काम आपने किया होता तो कोई बात थी हर साल आंकड़े बनाकर बजट पेश कर दिया जाता है । मैं स्वीकार करता हूं कि उस कुर्सी पर बैठकर तमाम लोग यही काम करते रहे हैं । पिछली बार के आंकड़ों में कुछ उलट फेर करके, कुछ गायब करके गड़बड़ी वाले पन्ने को गायब करके, दूसरी चीजों को जोड़कर, अधिकारियों ने बैठकर इस तरह से बजट तैयार कर दिया । उस साल ऐसा था, इस साल उससे यह बेहतर है । एक बात मैं कहना चाहता हूं एक तकिया कलाम है हमारे मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी का "पहली बार" इस प्रदेश में..... ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

''पहली बार'' एक तकिया कलाम बन गया है। अभी बाल चन्द्र जी भी इसी का प्रयोग कर रहे थे और कह रहे थे कि ''पहली बार'' कह रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे पुराने साथी हैं। न यह सरकार पहली बार आई है, न यह बजट पहली बार पेश किया गया है। यह तकिया कलाम राजनाथ सिंह जी का है, उन्हें ही कहने दिया जाय। सब लोग बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। यह 'पहली बार' वाला जुमला बन्द कर दिया जाना चाहिए। सभी मंत्रीगण 'पहली बार' के चक्कर में न पड़िये। वे पहली बार मुख्य मंत्री बने हैं उनका कहना ठीक है। इससे पहले हिन्दुस्तान में कोई नहीं आया ? आप पहली बार वाले नहीं हैं। हां मैं जरूर पहली बार इस चीज की तलाश कर रहा था कि जो बदला हुआ आर्थिक परिवेश है उसमें कृषि विभाग के लिए कौन सी अच्छी बात सोची गई है, कौन सी योजनायें बनाई गई हैं।

मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी निराशा हुई कि आज जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से खतरा हो रहा है। आज का जो अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें आप जैसे सर्वाधिक अनुभवी, सर्वाधिक क्षमता रखने वाले सामर्थी व्यक्ति के होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के किसानों की सुधि लेने का काम नहीं किया। आप बड़े किसान हैं, मुझे इस नाते कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा इस बात से है कि जो आपने बजट प्रस्तुत किया है उसमें यदि कुछ योजनाओं का लाभ मिलना है तो वो बड़े किसानों, बड़ी मशीनरी को छूट देने का काम किया गया है। आप स्वयं इसकी समीक्षा कर लीजिये। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, न मैं राजा हूं, न ऐसी आबोहवा में पला हूं जिसमें मुझे इस तरह की भाषा का उच्चारण का अंदाज हो। आपने बड़े किसानों को सुविधाएं देने के साथ-साथ लघु सीमान्त कृषकों के बारे में क्या सोचा कि आप उनको कौन सा लाभ दे रहे हैं कौन से पृष्ठ का आप उल्लेख करेंगे कि इस पृष्ठ पर हमने इन छोटे किसानों के लिए यह योजना बनी रखी है इससे यह बात हल नहीं होती है इस बजट की जो दिशा है उससे उत्तर प्रदेश के आम किसानों का कुछ लेना देना नहीं है। आम किसान रिम्बर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, थ्रेशर आम किसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

थोड़ा समय दे दें। आंकड़ों में नहीं जाऊंगा लेकिन 90 फीसदी से ज्यादा किसानों की तादाद ऐसी है जिनकी बहुत छोटी जोत है, जो जटिल नाम हैं जैसे माइक्रो-मैनेजमेंट यह मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इन नामों को कागज पर छापने से उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मौलिक सवाल पर चार साल पहले बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हमले की स्थिति नहीं थी, गैट समझौते का प्रभाव उन पर गिरने वाला नहीं था। श्रीमन्, देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश की सीमा में आकर कहते हैं अन्न बोना बन्द करो फूल की खेती करो अन्न बोने में तुमको फायदा होने वाला नहीं है फूल बोओ उसमें तुम्हें लाभ होगा जो किसान अनाज पैदा करता है उसको कहते हैं तुम अनाज पैदा न करो, जब हम कहते हैं तो आप वहां से हटकर स्वीकार करते हैं, भारत मकड़जाल में फंस गया है जहां खेती को उजाड़ने की साजिंश है। उत्तर प्रदेश इस मुकाम पर आ गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में आकर भारत के प्रधान मंत्री कहते हैं कि अनाज की खेती बन्द करो फूल उगाना शुरू कर दो फूलों का निर्यात होगा तो बहुत लाभ होगा। मुझे भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के वह शब्द याद आते हैं जब उन्होंने देश के किसानों को ''जय जवान-जय किसान'' का नारा दिया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश का किसान सारी कठिनाइयों और झंझावतों में जूझकर अन्न उत्पादन में जुट गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसानों से भारत के प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश की सीमा में आकर कहते हैं किसानों अनाज की खेती बन्द कर दो, फूल पैदा करना शुरू कर दो, उसके बाद भी किसानों को खतरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिजाओं में यह बात है कि हमारे कृषि मंत्री जी विदेश जाने वाले हैं जाइए विदेश जाइए, किसानों की गाढ़ी कमाई है, हमारी शुभकामनायें हैं। हम आलोचना नहीं करते हैं लेकिन आप विदेश से वह तकनीक ले आइएगा जो डेढ़ जोत वाले किसानों को लाभ पहुंचाये। रोग जहां से आया

है उसका टीका भी वहीं से ले आइएगा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मार से उत्तर प्रदेश के किसानों को आप कैसे बचायेंगे। हुक्कमरान ऐसे हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनका जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सामान्य घरों में पैदा हुए लेकिन उनके नाम के पीछे तीन अक्षर लगने चाहिए, ताकि वह पृथ्वी पर अपने को अवतार समझने लगें। उन अवतार लोगों के सुझावों पर जो बजट तैयार किया जायेगा, आप अनुभवी हैं अपने अनुभव को दर किनार करके उसके आधार पर तैयार करेंगे तो विदेश से कोई कारगर चीज लेकर लौटेंगे इसकी उम्मीद हम नहीं करते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी मांटी का ध्यान रखिये। एक बात बीज के बारे में कहना चाहूंगा कि कहीं टरमिनेटर बीज लाना आपकी मजबूरी या बाध्यता न हो जाये इसके लिए आप विचार करें। एक कानून बना दें इसमें हम आपको सहयोग देंगे। कहीं ऐसा न हो कि यह आ जायें और एक बार खेती करने के बाद वह बांझ हो जाये। खाद के बारे में चर्चा हुई कि यूरिया का दाम दो रुपया या पांच रुपया प्रति बोरी कम करें। यह आपकी सामर्थ नहीं है जो बात आपके स्तर से तय नहीं होती है उस पर हम दबाव नहीं डालते। लेकिन कोई दिशा बनाते कोई नीति बनाते जो जमीन हमारी ऊसर होती जा रही है उसको कैसे रोका जाय। बाजीगरी में जाकर किसी चीज का हल नहीं हो सकता है। आप अपनी उपलब्धियों से आह्लादित होते हैं लेकिन यह आंकाड़ों का खेल है और उस जगह पर बैठने वाला खिलाड़ी हो जाता है।

उत्तर प्रदेश के किसानों का दर्द नहीं जानेंगे तो इस बजट में जितने लुभावने, आकर्षक और जटिल शब्दावलियों का इस्तेमाल कर लिया जाय इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। इस पृष्ठ पर खामियां हैं और शुरुआत में ही हैं ? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाह रहा था उन्होंने कहा कि विकास दर तीन प्रतिशत से 6 प्रतिशत हो गयी है तो यह कैसे हो गयी। यह बजट जैसे किसी बनिया का लेखा जोखा होता है उसी तरीके से यह बजट होता है। जैसे बिल में लिख देते हैं कि भूल चूक लेनी देनी आप भी इसमें लिख देते। मैं कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने भूलचूक लेनी देनी से ही शुरुआत की है। आप पृष्ठ–3 पर देखें उसमें शुरुआत में लिखा है कि आंकड़े पूर्णतया परिवर्तनीय हैं। आपको धन्यवाद। आपने अपनी गुंजाइश वित्त मंत्री जी के लिए छोड़ी। वित्त मंत्री जी ने भी यह कह दिया होता कि यह सब परिवर्तनीय है तो इतनी जटिलता नहीं होती कि कैसे तीन प्रतिशत से 6 प्रतिशत विकास दर आ गयी। मैं इस उम्मीद के साथ और इस अनुरोध के साथ कि इस प्रदेश के किसानों की बदहाली और जो दिवास्वप्न है कोई मार्ग बीच का निकालेंगे। चूंकि आप कृषि से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए इस पर विचार करेंगे और इस झंझा से इस प्रदेश को निकालने में थोड़ा योगदान कर सकें और हमारा योगदान लेंगे तो मैं बधाई दूंगा। मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं मूल रूप से एक बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1970-71 में गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपये था प्रति कुन्टल और इन 27 वर्षों में 610 रुपये प्रति कुन्टल है। कृषि पदार्थों को छोड़कर बाकी पर थोक मूल्य में जो सूचकांक बढ़ा है वह 9.7 गुना बढ़ गया और गेहूं के मूल्य पर 27 वर्षों में 6.7 गुना बढ़ा इसका असर पड़ा किसान की क्रय शक्ति पर। 1970-71 में अगर किसान की जेब में 100 रुपया था तो वह अब गिरते-गिरते उस 100 रुपये का मूल्य अब 69 रुपये आ गया है। चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था के बाद किसान की क्रय शक्ति घटती जा रही है अन्य पदार्थों की स्थिति अलग है। गैर कृषि कार्यक्रमों को अगर आप देखें तो आप आमदनी में विषमता देखेंगे जो बैंकों में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनकी वार्षिक आमदनी और किसान की वार्षिक आमदनी कितनी है किसान की वार्षिक आमदनी 12500 रु० निकलती है और जो काम करने वाला कर्मचारी है उनकी छुट्टी निकाल दी जाये वेतन सहित जो धनराशि मिलती है वह एक लाख तेरह

हजार होती है और अगर उच्च पदेन अधिकारी है तो वह 4 लाख रुपये वार्षिक आमदनी होती है । तो इस कृषि व्यवस्था को सुधारने में कितना योगदान होगा यह एक चिन्ता का कारण है ।

मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि वर्तमान की जो आर्थिक स्थिति है, अन्य नीतियां भारत सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व व्यापार संगठन है उसके कारण जो नयी स्थिति उत्तर प्रदेश के किसान पर पड़ेगी उसके बारे में इस बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है । किस तरह से उनका मुकाबला करेंगा किसान, कैसे खड़ा होगा आज सबसे बड़ी मुझे हैरत होती है जो केंचुए वर्षा के दिनों में आ जाते थे वे रासायनिक खाद के प्रयोग से खत्म हो गये हैं । अब केंचुए कैसे पैदा हों आप इसकी योजना बना रहे हैं । रासायनिक खाद का क्या लक्षण खेती पर पड़ा जो कीटाणु खेती के लिए लाभप्रद थे वह कैसे खत्म हो गये उस पर आप विचार करें । आज केंचुए की आयात की स्थिति में आप पहुंच गये हैं । आप इस तरह की शोध करायें कि किन परिस्थितियों में यह खत्म हो रहे हैं और उन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है । खेती की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े उत्पादन क्षमता कम न हो इस पर ध्यान देना है । आपने अपने विभाग में कोई आंकलन कराया है कि गोबर किस रूप में जल रहा है आज गोबर खत्म हो रहा है किसान उसे जलने के रूप में प्रयोग न करे, खाद के रूप में प्रयोग करे और किसान को आज सहायता के रूप में गैस प्रोवाइड करें । सस्ती जलौनी लकड़ी प्रदान करायें । और सस्ती दर पर गैस मुहैइया करायें तभी गोबर जलने से बचाया जा सकता है । श्रीमन्, मैं खेती के बारे में बताना चाहता हूं जो खेती की कम्पोस्ट खाद है जो हरी खाद है जोआज की परिस्थितियों में हमारी खेती के लिए ज्यादा लाभदायक है उसका प्रयोग कम हो रहा है और रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ रहा है उससे उत्पादन शक्ति कम हो रही है । क्या इस पर आप विचार करेंगे ? तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी उत्पादन शक्ति कम न हो और रासायनिक खादों के प्रयोग से हो रहे दुष्प्रभाव को रोका जाय तो दुष्प्रभाव को रोकने और खेती की उत्पादन क्षमता बनी रहे क्या इस पर शोध के लिए शोध संस्थान से शोध कराने की कृपा करेंगे ।

अगली बात मैं बाढ़ के बारे में बताना चाहता हूं कि जो बाढ़ की विभीषिका है वह बहुत भयंकर है । बाढ़ से खेती में बड़ा नुकसान होता है । आपने कहा कि खेती में हम बहुत तेजी के साथ यह योजना लाये हैं कि किसानों की बीज खाद में कोई कमी आ जाये, फसल नष्ट हो जाये तो उसका बीमा कर देंगे । आपने जो 1999 में फसल बीमा की पालिसी बनाई थी वह खत्म कर दी, अब नई पालिसी बनाई है तो इस पालिसी का क्या अनुपात रखा है । किसान बीमा से जुड़ेगा तो उसको अंशदान, अनुदान के रूप में कितना देने को तैयार हैं । मिश्रा जी चले गये बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे जब कुलपति के चयन के बारे में अब तक कोई प्रक्रिया नहीं बन पाई तो इसका दोषी कौन है यह सरकार दोषी है तो यह उनकी उपलब्धि में गिना जायेगा । मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि खेती के विकास, खेती की आमदनी किसान की हालत को सुधारने के लिए और खेती जो घट रही है उसको बचाने के लिए कोई विचार करेंगे । भू उपयोग परिषद् है इसका काम है खेती की जमीन लेने का । यह बड़ी विचित्र बात है इसकी अध्यक्षता करते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी सभी लोग तारीफ कर रहे थे। एक कानून बना हुआ है कि खेती की जमीन आवासीय उपयोग में नहीं लाई जायेगी लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है आज जितने जिला मुख्यालय के लिए जमीन ली जा रही है वह खेती की जमीन ली जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि आवास के लिए खेती की जमीन क्यों ली जा रही है । क्या यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कानून की अवज्ञा कर खेती की जमीन लेकर किसान को बरबाद करके उसको छोटी कीमत देकर कालोनाइजर्स को अरबपति बनाने की योजना को क्या भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि में गिना जायेगा । मैं समझता हूं कि इस बजट में किसान की हालत को सुधारने, खेती की हालत को सुधारने, किसान की क्रय शक्ति को बढ़ाने, किसान को वैज्ञानिक शोध से जोड़ने, नई

तकनीक से जोड़कर, किसान की हालत में सुधार करने के कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं माननीय सभी सदस्यों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। श्रीमन्, कुछ बिन्दु माननीय सदस्यों द्वारा यहां उठाये गये हैं, उन पर प्रकाश डालना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। श्रीमन्, माननीय वर्मा जी ने कुछ बिन्दु उठाये हैं, माननीय वर्मा जी, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने डब्लू० टी० ओ० की बात कही और यह कहा कि बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो किसानों को उससे निपटने के लिए तैयार कर सके। साथ ही यह भी कहा गया कि बड़ी-बड़ी मशीनों पर बड़े किसानों के उपयोग के लिए जो आयेंगी, उस पर अनुदान दिया गया है, लेकिन लघु और सीमान्त कृषकों की उपेक्षा की गई है। टर्मिनेटर सीट की बात यहां कही गई। श्रीमन्, पहली बात तो डब्लू० टी० ओ० से निपटने के लिए हम तो मतलब प्रदेश सरकार जो व्यवस्था कर सकती है, वह सिर्फ यही कर सकती है कि हम प्रयास यह करें कि किसान की उत्पादन लागत कम हो और उसका उत्पाद बढ़े ताकि उनका जो उत्पादन है, जब कहीं कोई आयातित माल आता है तो वह उसे कम्पिटीट कर सके। इस पूरे बजट में मैंने शुरू में ही यह बात कही, बहुत सी बातों को तो रखा ही नहीं। केवल उन्हीं बातों को रखने का प्रयास किया, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि हम किसानों को किस तरह से सबल करें कि वह व्यापार में, मार्केट में अपने उत्पाद को सही ढंग से बेच सकें।

मान्यवर, मैंने जैविक खाद की बात कही, कम्पोस्ट की बात कही, मैंने वर्मीकल्चर की बात कही, वर्मा जी ने कहा कि इस पर शोध संस्थान बनना चाहिए, मान्यवर, शोध संस्थान तो पहले से हैं, हमने कहा है कि हम उसे प्रोत्साहित करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। किसानों को सस्ते बीज, गुणवत्ता वाले सस्ते बीज मिले, इसके लिए ग्राम बीज योजना चालू की गयी है। जो किसान ग्राम बीज योजना में बीज पैदा करेंगे, उनको अनुदानित करने का प्रयास किया गया है। अच्छे बीज, अच्छी ताकत वाले बीज ताकि प्रदेश में पैदा हो सकें। हाइब्रीड सीड के लिए किसान को अनुदान देने की बात कही गई। श्रीमन्, हाईब्रीड सीड के लिए जो प्रोजेक्ट लाइन तैयार करेंगे, चाहे वह जो संस्था हो, विश्वविद्यालय हों, हमने उनको भी प्रोत्साहन देने की बात कही है। मैंने तो इस सम्मानित सदन में रखे ही उतने बिन्दु हैं, जिन्हें मैं आवश्यक समझता था, जो दिशा देने के लिए आवश्यक थे, उन्हीं को समाहित किया।

श्रीमन्, ट्रैक्टर चालित, शक्ति चालित मशीनों पर अनुदान देने की बात आई। मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि बैलचालित और हस्तचालित जो चीजें हैं, उन पर 50 फीसदी अनुदान पहले से ही चला आ रहा है। वह आज भी है, मैंने तो यह कहा था और इस सदन में सम्मानित सदस्यों ने भी यह भावना व्यक्त की थी कि ट्रैक्टर चालित और शक्ति चालित इम्पलीमेंट पर भी अनुदान होना चाहिए और माननीय सदस्यों द्वारा जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं, किसानों द्वारा जो ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से उसका ज्यादा प्रचलन हो रहा है उसको देखते हुए आवश्यक समझा गया था कि मध्यम श्रेणी और लघु श्रेणी के किसान जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अच्छे इम्प्लीमेंट खरीद सकें इसके लिए यह अनुदान की व्यवस्था का प्रयास किया गया। हमने बड़े थ्रेसर की बात नहीं की बल्कि थ्रेसर की बात कही है। मैंने कहा रीपर और थ्रेसर। रीपर से किसान कटाई करके थ्रेसर से मड़ाई कर ले जिससे उसे भूसा भी मिल जाए। जितनी बात मैंने सदन में रखी जो नयी दिशा देने की बात तक की गयी है शासन द्वारा मैंने उतनी ही बात इस सदन में रखने का प्रयास किया है। कुछ चीजों को और सदन में रखना चाहूंगा। मान्यवर, यह कहा गया है कि प्रदेश की भूमि संरक्षण इकाइयों में बहुत घपला है और उसकी जांच नहीं हो रही है।

मान्यवर, 2000-2001 में 24 भूमि संरक्षण इकाइयों की टेक्निकल जांच करायी गयी इसमें 4 लाख 82 हजार की वसूली निश्चित की गई है, सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही संचालित है । 2001-2002 में भूमि संरक्षण की योजनाएं सहभागिता आधारित होंगी । इसमें परिवर्तन कर दिया गया है । जो भूमि संरक्षण के काम भूमि संरक्षण विभाग द्वारा पहले कराये जाते थे, पिछले 2-3 वर्षों से बन्द हो गये थे उन्हें पुनः जहां आवश्यक होगा वहां चालू किया जायेगा, लेकिन यह-सहभागिता पर आधारित होगा । किसानों का ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है ताकि इससे पारदर्शिता बढ़े और अनियमितताएं कम हों । श्रीमन्, एक हाई पावर रिसर्च कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया जा चुका है और इस हाई पावर कमेटी का उद्देश्य है कि अब तक हुए शोध कार्यों की समीक्षा करना और भविष्य के लिए शोध मानक तय करना और अब तक जो शोध कार्य हुआ है उनका क्या प्रभाव है, उसका क्या लाभ है, उसके आगे क्या शोध कार्य किया जाना चाहिए, यह सब कार्य होगा । मान्यवर, कुछ अन्य कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं । हमारे अम्बिका चौधरी जी ने भी एक बात कही कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रदेश के किसान गेहूं न बोयें, फूल बोयें । मान्यवर, कृषि विविधीकरण योजना इस प्रदेश में चलायी ही इसलिए जा रही है कि किसान अनाज के साथ-साथ और भी कुछ उत्पादन करें जिससे उसकी आमदनी बढ़ सके । इस कृषि विविधीकरण योजना में जो किसानों को सहायता दी जा रही है, जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ यह है कि किसान केवल अनाज पर ही आधारित न रहे बल्कि कुछ और भी करे चाहे बागवानी हो, चाहे मत्स्य पालन हो या और कोई व्यवसाय हो । मैं नहीं समझता कि इसमें कहां गलती है और मान्यवर, आज के परिवेश में पूरे उत्तर प्रदेश को एक निगाह से देखने में भिन्नता है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज बिल्कुल भिन्न पैमाने पर खड़ा है, मध्य का बिल्कुल अलग है, पूरब की अपनी स्थिति है लेकिन बुन्देलखण्ड की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो रही है । आज हमने जो योजनायें बनायी हैं इस उद्देश्य से बनायी हैं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या आवश्यकता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या आवश्यकता है, बुन्देलखण्ड के किसानों की क्या आवश्यकता है । मान्यवर, काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विविधीकरण योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सघनीकरण योजना, बुन्देलखण्ड में दलहन और तिलहन के उत्पादन पर विशेष फोकस देने का निर्णय लिया गया है । टेक्नॉलोजी मिशन के अन्तर्गत दलहन, तिलहन और मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को सहायता देने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलॉग आये थे, उनकी पूरी टीम थी, हाई प्रोटीन मक्का के उत्पादन पर उन्होंने सुझाव दिया था और बहराइच में इस कार्य को किया जा रहा है और काफी किसानों को इससे लाभ मिलने की सम्भावना है । रबी की फसल में हाई प्रोटीन मक्के के प्रचार-प्रसार का काम कर रहे हैं और किसानों ने पसन्द भी किया है । मान्यवर, इसी के साथ एक लाख हैक्टेयर जमीन कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है । आई०आर०डी०एफ० और विश्व बैंक की योजना के संबंध में सूचना दे दी है ।

श्रीमन् कृषि क्षेत्रों में शीघ्र क्रियान्वित होने वाले जो विचाराधीन योजनायें लम्बित हैं भारत सरकार द्वारा, विश्व बैंक पोषित पूर्वी जनपदों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु जल प्रबन्ध की योजना के लिए 14 करोड़ रुपये फ्लानिंग कमीशन ने स्वीकार कर लिया है और भारत सरकार के बजट में प्राविधानित हो गया है । केवल मॉडलटीज तय हो रही है । इस योजना को एफ०ए०ओ० द्वारा वृहदीकरण पर विचार किया जा रहा है और 70 करोड़ रुपये का प्राविधान किये जाने की सम्भावना है जो करीब-करीब निर्णय होने की स्थिति में आ चुका है । इसी तरह विश्व बैंक द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 700 करोड़ रुपये की योजना पर कार्यवाही चल रही है जो विचाराधीन है । विश्व बैंक द्वारा बीहड़ सुधार योजना 9045 करोड़ रुपये का है जोकि इस समय विचाराधीन है । और सम्भावना है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा । इसीके साथ जो हमारे क्रिटिकल ब्लाक घोषित किये गये हैं, उनमें पानी का

दोहन अधिक हो चुका है, उनके लिए अलग से योजना बनायी गयी है । जिससे गांव का पानी गांव में रहे और खेत का पानी खेत में रहे । एक अलग से प्राविधान किया है माइक्रोमोड मैनेजमेंट का । रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा कि खारे पानी से सिंचाई नहीं हो सकती । मैं वर्मा जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि खारे पानी से भी सिंचाई कैसे की जाय, उसका उपयोग कैसे किया जाय इस पर भी विचार-विमर्श चल रहा है और शीघ्र ही सदन में योजना प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा । इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे निवेदन है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 9,17,49,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विभाग)

श्री धनराज यादव (उद्यान मंत्री)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,15,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मानव जीवन की आवश्यकता खेती और बारी से ही शुरू होती है । खेती का बजट भी हमारे बड़े भाई ने प्रस्तुत किया, पास भी हुआ और ''बारी'' ''उद्यान'' का प्रस्ताव मैं रख रहा हूं । वास्तव में यह जो बात माननीय अम्बिका चौधरी जी ने कही है वह सदन के जानकार पुरुष हैं और सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही काश उसका सही अर्थ लगाते, उल्टा अर्थ किसी विद्वान पुरुष को नहीं लगाना चाहिए । अनाज बहुत पैदा हो रहा है, सभी को विदित है कि कभी एक जमाना था जब जनसंख्या आज से एक-तिहाई थी और अमेरिका सौदेबाजी करता था । हमारे प्रधान मंत्री जी को एक टाइम उपवास करने का आह्वान करना पड़ा था । आज जनसंख्या 3 गुनी से ज्यादा हो गयी है । अनाज की भरमार है । आज धान, गेहूं रखने के लिए न तो किसान के पास जगह है और ही सरकार के पास जगह है । प्रधान मंत्री जी ने एक दिशा दिया है और कहा है कि फल के साथ की फूल की भी खेती करो, पैसा मिलेगा और तब कोई समस्या नहीं रहेगी, आमदनी बढ़ेगी । भाइयों.....

(व्यवधान)

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, क्या यह पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि वह सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को अपना भाई समझते हैं । लेकिन माननीय अधिष्ठाता जी मैं कहना यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को हमारे बहनों, भाइयों से शुरू करना चाहिए था क्योंकि यहां पर यह जो बहने बैठी हुई हैं, उनको सम्बोधित करने के बाद हमें सम्बोधित करते तो ज्यादा अच्छा था ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय अम्बिका जी की पीड़ा थी, जो दर्द था उसे आपने समझ लिया है । क्योंकि जो माननीय मंत्री जी भाइयों शब्द का इस्तेमाल किया है, तो यह शक्ल और सूरत से तो भाई ही लगते हैं, मगर अन्दर से यह क्या हैं यह तो वही जाने ।

श्री धनराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज प्रदेश में कहीं भी अनाज की कोई कमी नहीं है, और अनाज के अतिरिक्त साल के 12 महीनों में सभी प्रकार के फल और सब्जियां उपलब्ध हैं । मान्यवर, आज से 19 वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी, लेकिन आज उद्यान विभाग द्वारा हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई जी के निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से सीधे शारजाह के लिए आम भेजे जाते हैं, यहां से फलों का निर्यात किया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने फलों और सब्जियों के निर्यात हेतु भार वाहक विमान सेवा प्रारम्भ की है, यहां से फल और सब्जियां बाहर भेजी जाती हैं । और पिछले साल हमारी सरकार ने फल और सब्जियां बाहर भेजने के लिए, आम पर 25 रुपये प्रति किलो का अनुदान दिया है । लेकिन हमने पिछले साल कम माल बाहर भेजा था और इस साल उससे ज्यादा भेजेंगे । इस तरह से पिछले साल की अपेक्षा इस साल, जहां पिछले साल आलू किसानों को जो अच्छे दाम नहीं मिले थे, इस साल उसकी स्थिति भी बेहतर है, और उन्हें पिछले साल की अपेक्षा इस साल अच्छे दाम मिल रहे हैं । इस साल उद्यान विभाग ने कुछ और भी नये काम शुरू किये हैं जिसमें फूल आदि की खेती का काम भी शुरू किया गया है जिससे किसानों को और अधिक फायदा प्राप्त हो सकेगा उन्हें आय के अन्य स्रोत भी प्राप्त होंगे जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी । अभी-अभी हमारी सरकार की सहायता से, एक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कृषि विभाग ने 50 लाख रुपये और भारत सरकार ने 1 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी है और शीघ्र ही इसके भवन का शिलान्यास हम माननीय मुख्य मंत्री जी से करायेंगे । इस तरह से यहां पर यह पहला कृषि प्रशिक्षण केन्द्र होगा, इससे पहले यह केन्द्र हिन्दुस्तान में सिर्फ मैसूर में, एक हाई टेक्नालॉजी का प्रशिक्षण केन्द्र था हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रस्ताव किया है, और वहां से आश्वासन हुआ है कि शीघ्र ही इस तरह के केन्द्र की स्थापना के लिए धन दिया जायेगा । मान्यवर, खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, इसके जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि लोग अपना रोजगार कर सकें । मान्यवर, हमने इसके लिए उद्यान विभाग में एक केन्द्र की स्थापना की है जिसमें इस बात की जानकारी दी जाती है कि क्या सुविधा है, कैसे सहायता मिलेगी, कैसे लाइसेन्स मिलेगा । मान्यवर, इसी के साथ खाद्य और प्रसंस्करण विभाग की ओर से बेरोजगार नौजवानों को प्रशिक्षण दिलाकर और प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार से सहायता दिलाकर उनको रोजगारोन्मुख किया जा रहा है ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें । मान्यवर, हमारे विभाग के साथ-साथ रेशम विभाग का बजट भी मैंने प्रस्तुत किया है । जब बहस होगी तो माननीय हरिशंकर तिवारी जी उस पर विस्तार से अपनी बात कहेंगे । मान्यवर, समय की कमी को देखते हुए मैं अनुरोध

करना चाहता हूं कि बहुत साधारण ढंग से मैंने बजट को प्रस्तुत किया है । आशा है कि आप सभी लोग जो विद्वान और समझदार हैं वह उसको बिना कटौती के आप पास कर देंगे ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह–

आप बधाई के पात्र हैं अकेले सब जगहों पर खड़े हो रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने संक्षेप में जो बातें कही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी बारी से किसानों को कितना फायदा पहुंचा है और किसानों द्वारा क्या-क्या फल उत्पादित किये गये हैं और मंत्री जी ने फलों के उत्पादन के लिए क्या सुविधा दी और फलों के निर्यात के लिए किस प्रकार की फलों की कैटेगरी निर्धारित की जिससे किसान के फल निर्यात हो सकें और वह विदेशी निर्यातकों के समकक्ष खड़ा हो सके । लेकिन आपने जो कहा है उससे तो यह मालूम होता है कि आपके विभाग द्वारा किसान उपेक्षित है । हमारा आम जिस तरह से बाहर जा रहा है और अन्य फल जो बाहर जा रहे हैं उसमें ग्रेडेशन करने के लिए, भेद करने के लिए विभाग ने क्या किया है यह मैं जानकारी चाहता हूं । आपने प्रधान मंत्री की तारीफ की लेकिन आप जो निर्यात प्रोत्साहन दे रहे हैं इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ताकि किसान उससे लाभान्वित हों । आपने हवाई जहाज से निर्यात की बात कही, हवाई अड्डे पर आपने किसानों को क्या सुविधा दी है, वहां पर आपका कौन सा अधिकारी किसानों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा इसकी कोई जानकारी आपने नहीं दी है । आपने केवल हवा में तीर चलाया है । आपने आलू के बारे में चर्चा की । आप अपनी पीठ ठोंक रहे हैं और आप मुख्य मंत्री जी की पीठ थपथपा लीजिये । आपने बिना लाभ हानि की नीति फलों और आलू के संबध में तय की है। आपने नो-प्रोफिट–नो-लास की नीति तय की है तो कहां से किसान लाभान्वित होगा । अगर आप किसानों को लाभ देने की नीति बनायेंगे तो आपको पूंजीपतियों से बहुत लड़ना पड़ेगा । मैं जो कह रहा हूं, मंत्री जी उसे नोट कर लीजिये ताकि वह आपके ध्यान में रहे ।

एक आवाज–

नोट किया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं जानता हूं, सामने लिखा जा रहा है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आलू किसानों को भण्डार गृहों पर 10 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं । हमारे यहां फिरोजाबाद, आगरा में किसी किसान को 10 प्रतिशत छूट नहीं प्राप्त हुई है इसको दिखवा लीजिए इसमें कहीं गोलमाल जरूर हुआ है। शीतगृहों को यह पैसा मिल गया किसानों को नहीं मिला । इसकी विस्तृत जांच करवा लें जांच के बाद स्थिति सामने आ जाएगी । आलू के बारे में कहना चाहूंगा जितना आलू पिछले वर्ष पैदा हुआ था उससे इस वर्ष कम आलू पैदा हुआ लेकिन आप अपनी पीठ ठोंक रहे हैं । शीतगृहों के मालिकों ने जो पैसा उधार दिया है वह पैसा वह किसानों से वसूल करेंगे स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है आप किसानों का शोषण बचाइए । पहले शीतगृहों पर कीमत के मामले में सरकार का पूरा नियंत्रण था कि कितना पैसा कास्तकार से लेना चाहिए अब यह अनियंत्रित हो गये हैं शीतगृह स्वामी आपके हाथ में नहीं रहा है । किसानों को उनके शोषण से बचाएं । शीतगृह मालिकों की नीति किसानों की जेब खाली

करने की है। इससे आलू उत्पादकों को बड़ा घाटा हो रहा है। इस प्रकार सब्जी की हालत है, यही हालत फलों के बारे में है। आपने कहा कि हम गरीबों को प्रशिक्षण देकर उन्हें काम सिखा रहे हैं आप एक भी जिला बता दें तथा कोई केन्द्र बता दें जहां आपके प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं। नए जिलों में कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। आप ट्राइसम योजना से इसमें काम करना शुरू कराएं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि मंत्री जी किसान हित में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने औद्यानिक एवं रेशम विभाग के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बजट से जो लोग फल उत्पादन और रेशम उत्पादन में लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनको लाभ भी प्राप्त होगा। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि गत वर्ष फल और सब्जी पर्याप्त मात्रा में उत्पादित हुई है तथा सरकार ने व्यवस्था की है कि आम के निर्यात में प्रति कि०25 रुपये के हिसाब से सब्सिडी दी गई है यह अच्छा काम किया गया है। इस वर्ष आपने और भी अधिक सब्सिडी देने की घोषणा की है मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आम शोध केन्द्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। पहली बार इस प्रदेश के अन्दर आम के निर्यात की नीति बनी है उसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। रेशम के विकास के बारे में जो बजट रखा गया है विशेष रूप से उसके बारे में बोलना चाहता हूं यह ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में आम लोग कम परिचित हैं उत्तर प्रदेश में रेशम का इतिहास 1847 से प्रारम्भ होता है। जब कप्तान हालिंग नाम के सेना के एक अधिकारी ने लखनऊ के अन्दर रेशम के कीट पालन का कार्य प्रारम्भ किया था। उसके बाद मान्यवर, देहरादून में एच० जी० रास ने प्रारम्भ की उस पर शोध करके सिद्ध किया कि देहरादून रेशम के लिए अच्छा स्थान हो सकता है। शाहजहांपुर में मुफ्ती अख्तर मुहम्मद खान ने रेशम के कीड़े पर शोध किया और डा० यू० एस० शाक्य ने रेशम कीड़े व उसके अण्डे पर खोज की। धीरे-धीरे इस क्षेत्र में विकास होता चला गया। 1948 में डोईवाला में पहला रेशम केन्द्र स्थापित किया गया। रेशम के उत्पादन में धीरे-धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग लगते चले गये। 1987 में रेशम निदेशालय और 92 में रेशम सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गयी। 99-2000 के आंकड़ों के अनुसार रेशम के धागे का उत्पादन 38.20 मीट्रिक टन हुआ और इस उद्योग में लगे लोगों की संख्या 36285 है जिसमें लगभग 20 हजार अनुसूचित जाति के लोग हैं। रेशम तीन चरणों में उत्पादित होता है।

पहला चरण शहतूत की खेती, दूसरे चरण में रेशम कीड़े का उत्पादन/पालन, तीसरे चरण में उसके कोये का उत्पादन। गोरखपुर, वाराणसी तथा आजमगढ़ में शहतूत के अलावा अर्जुन, असन, साल जैसे वृक्षों पर भी रेशम के कीड़े का उत्पादन पालन होता है। 2000-2001 में 11.5 लाख रुपये का परिव्यय उत्तर प्रदेश सरकार ने कीड़े के पालन को प्रोत्साहन देने में किया। 2001-2002 में 20 लाख रुपये इसके लिए निर्धारित किये गये हैं। 45 जिलों में रेशम के उद्यान हैं जिनकी संख्या 209 है। गत वर्ष 100 एकड़ क्षेत्रफल भूमि और इस कार्य हेतु बढ़ाने और इसके लिये 55 लाख रुपये सरकार द्वारा दिये गये ताकि इस उद्योग को प्रोत्साहन मिले। जिसमें लगभग 30 हजार किलोग्राम और अधिक कोया उत्पादित होगा। स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम योजना तथा अम्बेडकर ग्राम योजना में भी इस उद्योग हेतु ऋण दिया जा रहा है। जिससे मनोबल बढ़े। पूर्वांचल में आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी खासतौर पर वाराणसी में साड़ी का उद्योग है तो वहां पर बुनकरों को धागे के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और उसके कोये का भी वह उससे उत्पादन का लाभ ले सके। सरकार ने इसके लिये प्रयास किया है कि उनको इसका लाभ मिल सके। 3 हजार बुनकरों को इसमें लिया है ताकि उनको कम से कम 3

करोड़ की आमदनी हो सके। इसके साथ ही मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि रेशम दो प्रकार का होता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, बस समाप्त ही कर रहा हूं। मान्यवर, दो प्रकार का रेशम होता है। एक तो शहतूत के वृक्ष पर जो कीड़े पालकर रेशम बनाया जाता है वह शहतूत वाला रेशम और जो अर्जुन, साल आदि वृक्ष पर कीट पालकर बनाया जाता है वह टसर रेशम कहलाता है। शहतूत रेशम के लिए माडल चाकी शहतूत उद्यानों की स्थापना योजना हेतु जहां 2000-2001 में 63.85 लाख तथा टसर रेशम विकास योजना में 6.30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। वर्ष 2001-2002 हेतु माडल चाकी कीटपालन योजना के अन्तर्गत 199.24 लाख रुपये तथा टसर रेशम विकास योजना हेतु 25 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। इसके साथ ही एक नीति प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। जिसमें सबसे बड़ा काम यह किया है जो इस रेशम के उत्पादन के काम में लगे हुए किसान या उत्पादक कह लें, यह जो लोग हैं रेशम का कोया उत्पाद करते हैं इनका कोया क्रेता खरीद लेते थे लेकिन उनको पेमेन्ट नहीं करते थे। कभी-कभी इनका कोया खरीदा भी नहीं जाता था।

ऐसे कोया विक्रेताओं को सरकार 80 प्रतिशत धनराशि उनके कोया के मूल्य की तुरन्त उपलब्ध करा देगी और 20 प्रतिशत धनराशि कोया विक्रय होने के बाद उपलब्ध करायेगी। यह एक बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है जिससे रेशम के कोया उत्पादक अपने उत्पादन के काम को और अच्छी तरह से कर सकें। दो अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। रेशम धागाकरण को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए योजना लागू की गयी है। जहां रेशम के धागों का उत्पादन होता है वह मुख्य रूप से तराई की बेल्ट है जहां से पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ है। अब वह क्षेत्र उत्तरांचल में चला गया है। मैं समझता हूं कि शहतूत के पेड़ पर से जो रेशम के धागों का उत्पादन था वह भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा क्योंकि ज्यादातर इसके उत्पादन वाला क्षेत्र उत्तरांचल में चला गया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजनौर जिले में हमारा क्षेत्र ऐसा है जिसका 70 कि०मी० एरिया पहाड़ी से लगा हुआ है। वहां की क्लाइमेट शहतूत के पेड़ पर रेशम जो बनता है उसके लिए काबिल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, यह आग्रह करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में शहतूत के पेड़ पर रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि कृषि मंत्री जी बड़े भाई हैं, उन्होंने सारी बात कह दी है। यह उनके छोटे भाई हैं। बड़े भाई तो बड़े भाई छोटे भाई सुभान अल्लाह। हिसाब पेश कर दिया। मैं आपकी जानकारी में बताऊं कि माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण लम्बा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें अपने विषय वस्तु की जानकारी नहीं है। बस समय काट रहे हैं। न पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है। न आम, नीबू, न लीची के बारे में कोई जानकारी है। रेशम के बारे में जो इन्द्रदेव जी ने कहा, कुछ देर तक तो मक्खन पालिश करते रहे उसके बाद मांग शुरू कर दी कि हमारे यहां शहतूत के पेड़ लगा दीजिये, उसमें कीट पालेंगे। मंत्री जी बड़ी बदहाल अवस्था में हैं कहा कीड़े पाल लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी की स्थिति बड़ी खराब हालत में है मैं आम के बारे में वर्मा जी कह रहा था आम के बारे में प्रदेश सरकार ने प्रदेश को नीबू जैसे निचोड़ लिया । शक्तिहीन कर दिया, प्रदेश की किसी चीज में ताकत जान नहीं रह गई, किसी हालत में यह घिसट-पिसट रहे हैं । आप कभी तरबूजा कभी खरबूजा, लीची और कभी शहतूत की बात कहें, जितना फल सब्जी की बात आप कर रहे हैं इतने आंकड़े लगा रहे हैं लेकिन फल सब्जी पर कोई दवा का ऐसा छिड़काव नहीं होता है । सारे आंकड़े धरे रह जाते हैं, कोई जानकारी होनी चाहिए कोई इसके लिए वैज्ञानिक प्रयोग होने चाहिए । जिसकी वजह से फल सब्जी पर, केला, लीची प्रजातियों पर कीड़ा बैठता है तो उसको कन्ट्रोल करना चाहिए ।

(व्यवधान)

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी अपने विभाग के बारे में ज्यादा ध्यान दें, छोटे कृषक बहुत कम जमीन वाले जो लोग हैं, आपकी जो प्रजातियां हैं फल, शाक सब्जी की, ज्यादा दाम पैदा कर सकते हैं दूसरे जब यह शाक सब्जी किसान के घर चली जाती है तो वह आने-पौने दाम में बिक जाती है । कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप उनको इसकी अच्छी कीमत दिलवायें । मंत्री जी ने बहुत कोशिश की और टमाटर की चर्चा कर दी हमारे मंत्री जी टमाटर जैसे खूबसूरत हो गये हैं (हंसी) किसानों के बारे में क्या कहूं उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की योजनाएं हैं ।

(श्री राजधारी के कुछ कहने पर)

वन मंत्री जी आप जंगली वाली बात न करिए आप तो जंगल के राजाबाबू हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यह रामतेज यादव हैं रामतेजपाल नहीं हैं यादव जी के द्वारा बजट प्रस्तुत हुआ है यह निजी बात कुछ समझाकर कह रहे हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

चार-पांच किताबें मिली हैं और इन्होंने दो-चार बातें कहकर टाल दिया । बड़ी चमचमाती हुई किताबें हैं लेकिन इसमें सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है । गृह वाटिका के बारे में मंत्री जी क्या जानते हैं, लीची के बारे में कुछ बताना चाहिए था । अधिकारियों ने लिख दिया वह किताबें इन्होंने वितरित करा दीं । मकड़जाल में मंत्री जी न फंसाइए देखने में बूढ़े लगते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

कद्दू और कटहल आपकी पसन्द है । आप ब्राह्मण हैं और पूड़ी की व्यवस्था हो जायेगी । माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, उद्यान विभाग के बजट पर जो कटौती के प्रस्ताव माननीय वर्मा जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं सिर्फ दो बात कहूंगा । आलू के संबंध में विशेषतया, क्योंकि यह उद्यान विभाग से सम्बन्ध है, और इससे उत्तर प्रदेश का किसान सर्वाधिक प्रभावित होता है । आलू एक ऐसी फसल है जो कैश क्राप तो है और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बदल सकती है और इसके साथ जो खाद्य समस्या आलू के माध्यम से जितना बड़ा योगदान हो सकता है, धान से चावल से उतना नहीं बनता है । चावल और आलू, जो फूड वैल्यू है, के बीच [illegible] अन्तर नहीं है । और,एक चीज कहना चाहूंगा कि आलू के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने [illegible] आइश है जबकि अन्य उत्पादनों में चाहे जितना उपाय कर लें बहुत थोड़ी वृद्धि कर सकते

हैं। कम रकबे में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को खाना जुटा सकते हैं। यह सही है कि इस बार आलू की उपज कम हुई और कोल्ड स्टोरेज भर नहीं पाये। लेकिन इस बार पिछली बार के मुताबिक किसान खुशहाल है, और इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार के प्रबन्धन से वह खुशहाल नहीं है। जब प्रबन्धन की आवश्यकता थी तो वह हो नहीं सका। मान्यवर, सचमुच मे उसके लिए कुछ कर पाने की खास गुंजाइश नहीं बनायी जा सकती है। आलू के भण्डारण की व्यवस्थ अगर कर दें और आलू कम पैदा हो तो कोल्ड स्टोरेज को चलाना मुश्किल हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आलू किसान के बारे में कोई गम्भीरता से सोच करके कोई लम्बी नीति बनाये ताकि किसान खुशहाल हो सके। दूसरी उद्यान की जो स्थिति खेती और बारी करना, एक बेल्ट की बात अभी एक सदस्य कह रहे थे लेकिन यह बात उन्होंने कृषि के बजट में कह दी। उद्यान विभाग के बजट मे सबसे अनिवार्य बात है जितना हमारा हरित क्षेत्र होना चाहिए उसके हिसाब से वह बहुत थोड़ा रह गया है मान्यवर, और उसमें बागों पर फलदार वृक्षों पर असर पड़ रहा है और एक तरह से अतिक्रमण हो रहा है और आपका एक नियंत्रण नहीं बन पा रहा है। इलाके-इलाके के पेड़ सूखते चले जा रहे हैं। पेड़ बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं इस पर गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है आप स्थानों को चिन्हित कर ले जैसे जहां टमाटर की अच्छी खेती हो सकती है मैं बलिया जनपद का उल्लेख करना चाहता हूं परबल के लिए चिन्हित कर सकते हैं तो आप किस तरह से सब्जियों की पैदावार कर सकते हैं इसको आप चिन्हित करें आप प्रसंस्करण का प्रबन्ध कर दीजिए। आपकी दृष्टि इस तरफ होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। आप प्रशिक्षण भी दीजिये और दूसरी सुविधायें दीजिए अनुदान दीजिए मार्केटिंग का प्रबन्ध कीजिए। आपने प्रधान मंत्री जी की बात का जिस तरह से जिक्र किया है कि यहां से हवाई जहाज से फूल लदकर चले जाते हैं मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ के आस-पास जो महाभ्रष्ट के तौर पर चिन्हित आई० ए० एस० संवर्ग के लोग हैं उनके फार्मों से लदकर हवाई जहाज में जाते हैं उसके अलावा एक भी काश्तकार का फूल नहीं है। आपकी मंत्री जी तो ईमानदार लोगों के तौर पर अलग से प्रशंसा है। प्रधान मंत्री जी का लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र है उनके जो फार्म हाउस हैं उनमें वातानुकूलन की सुविधा है तो जो महाभ्रष्ट लोग हैं उनके फूलों की बात न करें उनसे इस प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता मेरा संदर्भ दूसरा था। अन्न की खेती का था और वह पहुंचकर फलों की खेती पर आ गया। मै आशा करता हूं कि माननीय उद्यान मंत्री जी इन सुझावों पर ध्यान देंगे इसी के साथ मैं रघुवर दयाल वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें अनेक सारी व्यवस्थायें हैं लेकिन आलू किसानों की जो बात है जो अपने आलू का भण्डारण करते हैं और भण्डारण के बाद उनका आलू सड़ जाता है तो सड़े हुए आलू की कीमत नहीं मिल पाती है किसानों की गाढ़ी कमाई कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की दुर्व्यवस्था आदि से वह समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसी व्यवस्था दें कि यदि भण्डारण के बाद आलू सड़ जाता है तो उस आलू का उचित मुआवजा किसान को प्राप्त हो सके।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो कोआपरेटिव के कोल्ड स्टोरेज चलते थे वे बन्द हो गये हैं इस पर अभी तक कोई ऐसी नीति सरकार की तरफ से नहीं बन पायी है जो उन्हें चलवाने की या बेचने की कोई नीति हो तो कोई ऐसी नीति सरकार की तरफ से बने।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ही सूक्ष्म में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, सारी दुनिया में रूस में बनायी गयी बोदका शराब प्रसिद्ध है और आलू से ही उसका निर्माण होता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश आलू बाहुल्य उत्पादन क्षेत्र है । यहां भी इस बात का प्रयास किया जा सकता है और बोदका शराब बनाई जा सकती है इससे वर्ष भर आलू उत्पादन चलेगा और उनकी फसल सड़ेगी नहीं । मेरा निवेदन है कि इस बात के बारे में, इस सम्भावनाओं का पंता लगा ले कि रूस में आलू से बोदका शराब बनाई जा सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाई जा सकती है । यह दुनिया में अलग किस्म की शराब है उसका यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है इससे आलू के किसान की समस्या का समाधान हो सकता है ।

मान्यवर, बहुत सारी कम्पनियां, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रहीं है जैसे पेप्सी कम्पनी को ले लें, आलू पर आधारित तमाम उद्योग लगते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, प्रदेश में कोई ऐसी इकाई लगती जो आलू के उत्पाद बनाने का प्रयास करती । आज भंडारण क्षमता बढ़ी है, तमाम कोल्डस्टोरेज बने हैं लेकिन इस वर्ष वह खाली पड़े हुए हैं । आज यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए कि किसान ज्यादा उत्पादन कर दें तो भण्डारण के बाद आलू का मूल्य न मिलने के कारण उसके निकासी की कठिनाई होती है और दूसरे वर्ष अगर आलू कम होता है तो आलू के दाम आसमान छूने लगे तो इसको दूर करने के लिए सरकार को एक सार्थक नीति बनानी होगी । यहां पर उत्तर प्रदेश में आम का ही उत्पादन होता है जबकि उत्तर प्रदेश की जलवायु ऐसी है जहां और भी फल हो सकते हैं लीची देहरादून में होती थी वह भी उत्तरांचल में चला गया । ऐसा नहीं है कि हमारे यहां की जलवायु ऐसी नहीं है कि और कुछ न हो सके लेकिन इस दिशा में प्रयास नहीं किया जा रहा है । पपीता इतना सस्ता फल है, स्वास्थ्यवर्धक फल है लेकिन यह प्रयास नहीं हुआ कि गांव-गांव में इसकी खेती करेंगे । हमारे यहां लोगों की फल खाने की आदत नहीं है अन्न खाने में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं । यह कल्चर डेवलप हो कि लोग फल खायें अन्न पर आधारित न हो । इससे यह होगा कि फल का उत्पादन बढ़ेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा । आज कर्नाटक में इतने बड़े पैमाने पर अंगूर पैदा होने लगा और वहां उसका प्रयोग भी काफी होने लगा है हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु इसके समीचीन है यहां अंगूर की खेती हो सकती है । इसी तरह से अनार की खेती हो, वह नहीं की जा रही है । आज उद्यान विभाग की कोई सराहनीय भूमिका नहीं है कि फल उत्पादन को बढ़ाने का कहीं प्रयास किया हो, न तो इच्छाशक्ति है न ही कोई कार्य योजना है, यह प्रकृति के सहारे, भुगतान के सहारे बैठने वाले लोग हैं इनसे कोई अपेक्षा करना बेकार है कि फल का उत्पादन बढ़ेगा, फूल का उत्पादन बढ़ेगा । बस लम्बा चौड़ा बजट की मांग की है । इसलिये मैं माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जो अनुत्पादक खर्च हो रहा है उसको बचाया जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की वेदना को महसूस करते हुए केवल दो सवाल पूंछना चाहता हूं–

(1) आलू की, जो हमारे यहां बहुत बड़ी पैदावार है । उत्तर प्रदेश के आलू के बारे में पिछले साल किसान आत्महत्या करने को विवश हो गया था । इस साल उत्पादन कम हुआ तो उनको प्राइस मिल गया तो क्या कोई ऐसी नीति बनायेंगें कि आलू का उत्पादन बढ़ता रहे और किसान आत्महत्या करने को विवश न हो ।

(2) जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आलू उत्पादन को बनाकर जैसे अंकल चिप्स 12-15-18 रुपये का 100 ग्राम मिलता है और आपका आलू मिट्टी के मोल नहीं बिक रहा है । जिस पर विदेश की मुहर लग जाय यह 100-150 रुपये में बिके और यहां पर वह मिट्टी के मोल बिके तो क्या कोई ऐसा कारखाना स्थापित करेंगे जिसमें आलू के चिप्स और आलू के विभिन्न उत्पाद तैयार हों और तैयार होकर सामने आये जिससे उत्तर प्रदेश का किसान लाभान्वित हो । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आलू के मामले में इन नीतियों का अनुसरण करें । आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ ।

श्री धनराज यादव–

अधिष्ठाता महोदय , मैं माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के इस प्रश्न का, कि कोई ऐसे उपाय किये जायें जिससे उत्पादन भी बढ़ता रहे और आलू खराब भी न हो, के संबंध में बताना चाहता हूं। इसमें थोड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहां के आलू की किस्म पुरानी है, इसके चिप्स या अन्य कोई पदार्थ जिसका इन्होनें चर्चा किया है, वह बनाने में कठिनाई है। इस सम्बन्ध में चिप्सोना–1 तथा चिप्सोना–2 के बीज 210 क्विंटल प्राप्त किये गये हैं और इसको राजकीय फार्मों पर उत्पादन हेतु कृषकों को दिया जायेगा। यह भी प्रयास हो रहा है कि हमारे यहां कोई ऐसा कारखाना लगे जैसा माननीय अशोक जी ने कहा, वोदका शराब की बात हो, और चाहे चिप्स बनाने के कारखाने की बात हो, सरकार तो कोई कारखाना लगायेगी नहीं। क्योंकि सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि जो कारखाने पहले लगे थे, वह तो बेचे जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, कलकत्ता की एक कम्पनी है, हापुड़ की एक व्यवसायिक कम्पनी है जो चाहती है। लेकिन यह कोई छूमन्तर नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाय। लेकिन माननीय वर्मा जी के सुझाव से बिल्कुल सहमत हैं और एक निवेदन करता हूं कि यहां तो बहस समाप्त हो जायेगी, लेकिन कोई भी माननीय सदस्य, कोई भी माननीय मंत्री, यदि उनसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जो इस तरह की फैक्टरी लगा सकते हों, तो उनका स्वागत है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा और इस तरह का काम होना चाहिए, मिलजुलकर काम करना चाहिए।

एक बात और माननीय वर्मा जी ने कही, कही का ईंट, कहीं को जोड़ दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे फल संरक्षण केन्द्र हैं, जहां आम, आंवले, टमाटर आदि का मुरब्बा बनता है, वह बात शायद दिमाग में रही। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो स्थापित हैं, उनमें कीमत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यही प्रयास किया जायेगा कि किसानों का अधिक से अधिक फायदा हो। हमारे जो यादव जी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर छोटा सा भाषण करने का आरोप लगा दिया। बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बहुत घुमाफिराकर उन्होंने केवल एक ही बात कही कि सब्जियों में कीड़े लगते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं कही। अब उनके जैसी बुद्धि तो मेरे पास है नहीं, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माननीय वर्मा जी की यह शिकायत रही है कि 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा हुई थी, उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, किसी को 10, किसी को 20 मिलना है। आगरा मण्डल में अब तक सबसे कम बंटा है, इसे हमें स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। हमने संकल्प कर लिया है कि इसी जून में, एक हफ्ते के अन्दर अभियान चलाकर करवा देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसके लिए लोगों को प्रेरित करें अथवा जो नहीं लेना चाहते हैं, वह लिखकर भेज दें। इसी तरह से आलू के बीमे की बात आयी है। यह बात सही है कि आलू यदाकदा शीतगृह में सड़ जाता है। जो बीमा कम्पनियां हैं वह पुरानी कम्पनियों, पुराने नियम हैं, मंत्रिमण्डल में भी यह बात आई थी। इसकी उप समिति भी बनी थी। उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाई है। या तो पूरी नियमावली को बदला जाए। एक और बात बताना चाहता हूं कि पिछले साल आलू का दाम मिल नहीं रहा था। मेरा पूरा उद्यान विभाग आलू के लिए काम कर रहा था लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि घुमा दें और किसानों को दाम मिल जाए। यह बात मैं गम्भीरता से कह रहा हूं कैसे भी प्रयास हों, कहीं भी कमी न हो लेकिन जब पैदावार ज्यादा हो जाती है तो भाव सस्ता हो जाता है इस पर कोई भी पूरी तरह से नियंत्रण सोना-चांदी की तरह से या बैंकिंग सेवा की तरह से नहीं कर सकता है। कभी उत्तर प्रदेश में आलू पैदा होता था, अब हर जगह आलू पैदा होने लगा है। शुरू में कम से कम 15–20 रैक मालगाड़ी भेजा गया है असम में और जो बार्डर है वहां अधिकारियों को कहा गया कि आलू लेकर यदि कोई ट्रक जा रहा हो उसे परेशान न किया जाए। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का समादर करते हुए और माननीय वर्मा जी से यह अनुरोध करते हुए कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे निर्विरोध पारित हो जाने दें। यह मेरा अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी को सद्भावनाएं कि उनके प्रयास सफल हो । इसलिए मैं कटौती पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,15,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय 6 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :––

1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदास नगर भदोही मुख्यालय भवन के निर्माण में हो रही धांधली की जांच के सम्बन्ध में ।

2–श्री संजय गर्ग — सहारनपुर नगर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम की धारा 6/17 की कार्यवाही हेतु तत्काल विज्ञप्ति जारी किये जाने के संबंध में ।

3–श्री उदय राज यादव — वर्ष 1998-99 में नाबार्ड योजना फेज–4 के अन्तर्गत उन्नाव जनपद में स्वीकृत मार्गों के अभी तक पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

4–श्री विजय पाल सिंह — जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में ।

5–श्री अजय कुमार पोइया — लखनऊ स्थित राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में संविलीनीकृत किये जाने से प्रभावित दैनिक वेतन पर सेवारत कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :—

1–श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री उदयराज यादव, श्री सौलत अली एडवोकेट	नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा प्राविडेन्ट फण्ड एवं वरिष्ठता आदि के निर्धारण में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
2–श्री तेजभान सिंह	लखनऊ महानगर में पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग में व्याप्त अराजकता तथा कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध जांचों के लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3–श्री रूप चौधरी	जनपद गाजियाबाद में लोनी नगरपालिका का चुनाव कराए जाने के सम्बन्ध में।
4–श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को समय से न पूरा कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5–डा० पूर्णमासी पंकज	जनपद सन्त रविदासनगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में स्वीकृत कस्तूरीपुर से करियांव मार्ग पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6–श्री भीम प्रसाद सोनकर	प्रदेश के पुराने एवं प्रतिष्ठित बलरामपुर चिकित्सालय की पेयजल की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाए जाने के सम्बन्ध में।
7–श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू	जनपद सीतापुर के थाना–रेउसा अन्तर्गत ग्राम सुपौली के मजरा महदेवा में हुई अग्निकाण्ड की घटना में मृतकों के आश्रितों को समुचित सहायता दिये जाने तथा रेउसा अथवा तम्बौर में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :—

1–श्रीमती सुखदेवी वर्मा	ग्राम कन्धेसी, तहसील भरथना, जनपद इटावा में हुए भयंकर अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में।
2–श्री शिव सिंह चक	लखनऊ–काकोरी मार्ग से बरावन कलां जाने वाली सड़क को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में।
3–श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री विजय पाल सिंह	जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के ग्राम पलिया निवासी पप्पू उर्फ राज कुमार की पुलिस द्वारा कथित रूप से हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद फैजाबाद में पुलिस उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के आदेश से पुलिस कर्मियों का मंदिर निर्माण हेतु एक दिन का वेतन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन से जांच करायी गयी । इस प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ की जांच आख्या के अनुसार यह पाया गया कि दिनांक 20-3-2001 को पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र द्वारा वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन फैजाबाद में जनपद के विभिन्न शाखाओं के पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आहूत किया गया था जिसमें उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपनी-अपनी कठिनाइयों एवं सुझावों से अवगत कराया था । प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या लगभग 150 के आस-पास थी । उसी दौरान एक पुलिस कर्मी हे० का० 34 ए० पी० राम नारायन सिंह द्वारा पुलिस लाइन के मन्दिर के जीर्णोद्धार की बात कही गयी तथा स्वेच्छा से एक दिन का वेतन आर्थिक योगदान के रूप में देने की बात की गयी । इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनी और यह प्रस्ताव बना कि मुस्लिम कर्मियों के आर्थिक योगदान से मस्जिद एवं हिन्दू कर्मियों के आर्थिक योगदान से पुलिस लाइन के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया जाय तथा इसे उनके रख-रखाव पर व्यय किया जाय ।

उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा एक पत्र सहायक आंकिक को भेजा गया एवं इसी के परिप्रेक्ष्य में सहायक आंकिक द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का एक दिन का मूल वेतन काटकर रु० 2,92,266.00 एकत्रित कर पुलिस लाइन के कैश कार्यालय में जमा किया गया । वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता के उपरान्त उक्त जमा किया गया धन सर्वसम्बन्धित को वापस करने के निर्देश दे दिये गये हैं तथा यह योगदान रूपी धनराशि सम्बन्धित को वापस की जा रही है ।

श्री आई० डी० तिवारी सहायक आंकिक ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन करते हुए कहा कि दिनांक 11-4-2001 को दैनिक समाचार पत्र "आज" में प्रकाशित तथा कथित उनके हस्ताक्षर युक्त पत्र जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित है तथा जिसमें एक दिन का वेतन काटे जाने से पुलिस कर्मियों में असन्तोष की बात कही गयी है, पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं । ऐसा किसके द्वारा और किस साजिश के तहत किया गया इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है । बयान के दौरान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सहायक आंकिक के कई नमूने हस्ताक्षर भी लिये गये व उनका मिलान करने से भी हस्ताक्षर में काफी भिन्नता पायी गयी । यह फर्जी पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया और किसके द्वारा प्रेस में दिया गया इसके सम्बन्ध में जांच के आदेश पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दे दिये गये हैं।]

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, वक्तव्य भले ही पढ़ा हुआ मान लें । लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता, महोदय, मेरे इस सवाल के जवाब में सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि पुलिस कर्मियों के एक दिन का वेतन दो लाख बयानबे हजार दो सौ छाछठ रुपया काटा गया है । जिस मन्दिर निर्माण की बात वहां के पुलिस लाईन में की गयी है उस पुलिस लाइन में आज तक कोई मन्दिर नहीं

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बनाया गया है तो जीर्णोद्धार की बात करना ही गलत है । पुलिस लाइन परिसर में कोई मन्दिर है ही नहीं । जब पैसा वापस दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं और सरकार ने यह बात स्वीकार किया है कि गलत कटौती की गयी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य को पूरे प्रकरण की जानकारी है कि डी० आई० जी० पुलिस कर्मियों की बैठक ले रहे थे, पुलिस कर्मियों ने यह कहा कि मन्दिर बना हुआ है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए । मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे सैनिक और अर्द्ध सैनिक टुकड़ियां हैं, सभी जगह मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारे होते हैं और उसे वे अपने ही स्रोत से चलाते हैं । उन्होंने स्वतः कहा कि एक दिन के वेतन की कटौती कर ली जाय, सभी पुलिस कर्मियों का आग्रह था इसलिए एक दिन के वेतन की कटौती की गयी। यह खबर जब समाचार पत्र में प्रकाशित हुई तो उससे ऐसा लगा कि जबरदस्ती लिया जा रहा हो । इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने की बात थी । माननीय सदस्य ने इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया । जबरदस्ती कोई कटौती नहीं की गयी है ।

सहारनपुर मण्डल में श्रम न्यायालय की स्थापना न होने के कारण श्रमिकों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी है कि सहारनपुर मण्डल में श्रम न्यायालय की स्थापना न होने के कारण श्रम कानूनों के अन्तर्गत न्याय पाने के लिए मेरठ और देहरादून जाना पड़ता है । जब देहरादून के नवसृजित प्रदेश उत्तरांचल में चले जाने के कारण वहां के श्रमिक न्यायालय में लम्बित उत्तर प्रदेश के विवाद उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो गये हैं । सहारनपुर और मुजफ्फरनगर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक जनपद हैं । श्रम कानूनों से लाभान्वित होने वाले लोग प्रायः मजदूर और आर्थिक विपन्नता का जीवन यापन करने वाले श्रमजीवी वर्ग के हैं और अधिकांश लोग आर्थिक भार वहन न कर पाने के कारण न्यायालय नहीं जा पाते और न्याय पाने एवं जन कल्याण सुविधाओं के लिए लाभ से वंचित रह जाते हैं ।

2—उक्त सूचना के संबंध में यह सूचित करना है कि सहारनपुर मण्डल के श्रमिकों के औद्योगिक विवादों के निपटारे हेतु दिनांक 5 मई, 2001 को श्रम न्यायालय (2) मेरठ को सहारनपुर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । जिसके अन्तर्गत श्रम न्यायालय (2) मेरठ का पीठासीन अधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को पदों सहित जनपद सहारनपुर में वहां के श्रमिकों के औद्योगिक विवादों के निस्तारण हेतु जनहित में स्थानान्तरण का आदेश किया जा चुका है ।]

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों विशेषतः जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय सुविधाओं यथा मशीनों, दवाओं, नर्सों तथा एम्बुलेन्स आदि की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० वकार अहमद शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक मशीनों, दवाओं, नर्सों तथा एम्बुलेन्स की कोई कमी नहीं है । उपरोक्त सुविधायें आवश्यकतानुसार प्रदेश के सभी जनपदों में उपलब्ध कराई गई हैं और समय-समय पर जनपदीय अधिकारियों की मांग के अनुरूप भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती रहती हैं । वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रुपये 62.46 करोड़ औषधि मद में आवंटित किया गया था। आवंटित मद से परिधिगत अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय किया गया । प्रदेश में कुल 4364 पद नर्सों के स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध 3806 पदों पर नर्सें कार्यरत हैं । अवशेष रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जा रही है । इसी प्रकार प्रदेश में कुल 446 एम्बुलेन्स हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार जनपदों को आवंटित किया गया है ।

जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय में मशीनों, दवाओं, नर्सों तथा एम्बुलेन्स आदि की कोई कमी नहीं है । जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय में नर्सों के कुल 30 पद हैं जिनमें से मात्र 01 पद रिक्त है जिसे भरने की कार्यवाही की जा रही है । जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय में वर्ष 2000-2001 में ए० आर० वी० कुल कुल 30.180 एम० एल० डोज की आपूर्ति की गयी । ए० आर० वी० की मात्रा का रिजर्व स्टाक रखने तथा मांग के अनुरूप आकस्मिक प्रतिपूर्ति स्थानीय क्रय द्वारा सुनिश्चित कराने के निर्देश समस्त जनपदीय अधिकारियों को दिये जा चुके हैं । जिला चिकित्सालय बहराइच में मशीनें, दवायें एवं एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा/संख्या में उपलब्ध हैं । प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्ता परक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जायेगी ।]

दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में प्रतिबन्धित राष्ट्रीय पशुओं/पक्षियों को मारे जाने तथा उनके अंगों की तस्करी कर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री केवल का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य विधान सभा, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा उक्त विषयक महत्वपूर्ण सूचना के अन्तर्गत उ० प्र० में वन्य जीव संरक्षण कार्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ० प्र० में वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास के संरक्षण के लिए विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में कुल 24 संरक्षित क्षेत्र (एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 23 वन्य जीव विहार) स्थापित किये गये हैं । उ० प्र० का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है । इन सभी संरक्षित क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अनुसार वन विभाग के वन्य जीव परिरक्षण संगठन द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जा रहा है । इस संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के शेष क्षेत्रों में भी वन्य जीवों के अवैध शिकार की रोकथाम की समुचित व्यवस्था है । इ उद्देश्य से प्रदेश के जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार नहीं हैं उन क्षेत्रों के सहायक वन संरक्षकों, प्रभागीय वनाधिकारियों एवं वन संरक्षकों को भी वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम व. धाराओं के अन्तर्गत क्रमशः वन्य जीव प्रतिपालक, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं अपर मुख्य व जीव प्रतिपालक नामित किया गया है । यह सभी वनाधिकारी उपलब्ध संसाधनों की सहायता से प्रदेश वन्य जीवों का अवैध शिकार रोकने एवं उसके प्राकृतवास के संरक्षण में तत्परता से कार्यरत हैं । उन द्वारा वन्य जीव अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में पूर्ण तत्परता दिखायी रही है । वन क्षेत्रों से दूर नगरों में रहने वाले, आधुनिक संचार माध्यमों से सुसज्जित वन्य जी अपराधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग को भी वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम अन्तर्गत उत्तरदायित्व सौंपा गया है । इसी अनुसार राज्य सरकार के वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वा परस्पर योगदान करते हुए वन्य जीव अपराधियों को नियंत्रित करने का अभियान चलाया जा रहा है ।

2—माननीय सदस्य द्वारा जिन तथ्यों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया उन पर वस्तुस्थिति निम्नानुसार है ।

(क) माननीय सदस्य ने दिनांक 27-4-2001 को कानपुर एवं लखनऊ में पकड़ी गयी टाइग तथा तेन्दुआ की खालों का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर द्वारा अवग कराया गया है कि कानपुर में एस० टी० एफ० द्वारा पकड़ी गयी खालों एवं अभियुक्तों के सम्बन्ध सूचना वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ही पुलिस विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी । सर्वप्रथ दिनांक 29-1-2000 को वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर थाना अंनवरगं के सामने मस्जिद के पीछे शरीफ नामक वन्य जीव अपराधी के घर पर छापा डाला गया था । उस दि उसके आवास से कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं हुई थी किन्तु इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस व उपलब्ध करायी गयी थी और उसी आधार पर उक्त संदिग्ध अपराधी के आवास से ही पुलिस द्वा दिनांक 28-4-2001 को छापा मारकर टाइगर की एक तथा तेन्दुए की 19 खालें बरामद की जा सकीं छापे के दौरान पुलिस द्वारा निम्नांकित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ।

1–गोपाल गुरंग पुत्र कालू गुरंग (नेपाल का निवासी)

2–रिसीरिग तमाह पुत्र चेचे तमाह (नेपाल का निवासी)

3–मसीम पुत्र मो० शरीफ (कानपुर नगर का निवासी)

4–शाहीद पुत्र सईद (कानपुर नगर का निवासी)

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित 4 अपराधी पुलिस छापे के दौरान भागने में सफल रहे ।

1–शरीफ पुत्र सईद	
2–जाहिद पुत्र मो० उमर	
3–शकील पुत्र मो० सलीम	(सभी कानपुर नगर के निवासी)
4–शमीम पुत्र मो० जलीम	

अतः दिनांक 28-4-2001 को कानपुर में तथा उसी आधार पर प्राप्त सूचना के आधार लखनऊ तथा इलाहाबाद में एस० टी० एफ० द्वारा पकड़ी गयी वन्य जीवों की खालें एवं अपराधियों सम्बन्ध में वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी प्रारम्भ से ही सक्रिय रहे हैं और अपराधियों के संगठन ए संवेदनशील आवासीय स्थिति को देखते हुए पुलिस विभाग से सहयोग लिया गया । जहां तक अपराधि

से पकड़े गये रुपयों व बीजा पासपोर्ट आदि का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अधिकृत रूप से कार्यवाही करने के लिए पुलिस विभाग ही सक्षम है ।

(ख) माननीय सदस्य ने दिनांक 7-4-2001 को सठियाना थाना पलियाकलां जनपद लखीमपुर खीरी में पकड़े गये टाइगर व तेन्दुए की खाल के समाचार का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में उप निदेशक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ने अवगत कराया है कि एस० टी० एफ० ने मुखबरी के आधार पर नेपाल के वन्य जीव अपराधियों को खाल बेचने का प्रलोभन देकर पकड़ने में सफलता पायी थी । यह खालें नेपाल के क्षेत्र के वन्य जीवों की थी । जिसे अच्छी रकम पाने के लालच में अपराधी पलिया थाने के क्षेत्र में बेचने के लिए आकर्षित किये गये थे तभी इन्हें पकड़ने में सफलता मिली । अतः यह सन्देह सही नहीं है कि पकड़ी गयी खालें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों की थीं ।

(ग) माननीय सदस्य ने दिनांक 24-2-2001 को थाना पलियाकलां क्षेत्र में टाइगर की खाल हड्डी तथा खोपड़ी आदि बरामद किये जाने के समाचार का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में उप निदेशक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ने अवगत कराया है कि एस० टी० एफ० द्वारा दिनांक 24-2-2001 को पलिया थाने में टाइगर की खाल, हड्डी एवं खोपड़ी आदि बरामद करके जिन आठ अपराधियों को नामजद किया था उनमें तीन अपराधी ही एस० टी० एफ० द्वारा गिरफ्तार किये जा सके थे तथा शेष अपराधी फरार बताये गये थे । इन फरार अपराधियों में तीन को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा दिनांक 28-2-2001 को अपने प्रयासों से पकड़ा जा सका था । अतः यह समाचार पूर्णरूपेण सही नहीं है कि दिनांक 24-2-2001 को टाइगर की खाल, हड्डी आदि सम्बन्धित अधिकारियों को केवल एस० टी० एफ० द्वारा पकड़ा गया था । वस्तुस्थिति यह है कि एस० टी० एफ० द्वारा फरार बताये गये नामजद अपराधियों को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अपने प्रयासों से पकड़ने में सफलता मिली थी । जहां पकड़ी गयी खाल के मूल्य का प्रश्न है, यह उल्लेख करना है कि वन्य जीवों की खाल एवं हड्डी आदि का व्यापार पूर्ण रूपेण प्रतिबन्धित है और इसका मूल्य अनुमान के आधार पर ही समाचार को महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से बढ़ा-चढ़ा कर समाचार पत्रों में छापा जाता है । वास्तव में यह व्यापार अवैध होने के कारण दुर्लभ वन्य जीवों का कोई मानक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

(घ) माननीय सदस्य ने दिनांक 15-1-2001 को अटरिया स्टेशन पर एस० टी० एफ० द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ी गयी खालों के समाचार का उल्लेख किया है । इन खालों का दुधवा नेशल पार्क से कोई सम्बन्ध नहीं है । अटरिया स्टेशन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगभग 200 कि०मी० दूर लखनऊ नगर के निकट स्थित है । मुखबिर को सूचनाओं के लिए भुगतान करने का बजट एवं अधिकार वन विभाग को प्राप्त नहीं है, जबकि एस० टी० एफ० को इसका अधिकार प्राप्त है। इस कारण मुखबिर द्वारा ऐसी सूचनाएं वन विभाग को नहीं दी जाती, क्योंकि वन विभाग मुखबिर को सूचनाओं के लिए किसी प्रकार का भुगतान करने के लिए अधिकृत नहीं है । अतः वन विभाग की तुलना में एस० टी० एफ० का मुखबिर से सूचना पाना व कार्यवाही करना स्वाभाविक भी है । इसलिए वन विभाग वन क्षेत्रों से दूर नगरों के निकट सक्रिय गिरोहों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एस० टी० एफ० पर निर्भर करता है । यह स्वाभाविक भी है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपराधियों के नियंत्रण में सहयोग करें ।

(ङ) माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि पिछले 7 वर्षों में 90 शेर एवं 384 तेन्दुओं की खालें बरामद होने का समाचार मिला है । इस संबंध में अवगत कराना है कि उपलब्ध विवरण के अनुसार पिछले 7 वर्षों में टाइगर की 11 खालें तथा तेन्दुओं की 192 खालें गाजियाबाद, खागा (फतेहपुर), हल्द्वानी, अटरिया, कानपुर आदि नगरों में बरामद हुई । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के रास्तों से सीमावर्ती देशों को खालें भेजी जाती हैं । अतः पकड़ी गयी सभी खालें उत्तर

प्रदेश के वन्य जीवों की नहीं थी । विभिन्न प्रदेशों से एकत्रित यह खालें उत्तर प्रदेश के मार्ग से अवैध व्यापार के लिए ले जाते समय वन विभाग, पुलिस विभाग एवं एस० टी० एफ० की सतर्कता से पकड़ी जा सकी हैं । यह खालें किस प्रदेश की थीं इसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा प्रदेश सरकार करा रही है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वन्य जीवों की खालों के प्रमुख तस्कर दिल्ली में स्थित है और वहीं से विभिन्न राज्यों से खालों की तस्करी विभिन्न राष्ट्रों को कराते हैं । इन अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी से सम्बद्ध अपराधियों को पकड़ने के प्रयास में एस० टी० एफ० के साथ ही राज्य सरकार सी० बी० आई० की भी सहायता ले रही है । वन विभाग जो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम हेतु प्रशिक्षित एवं कार्यरत है द्वारा नगरों से अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध एस० टी० एफ० एवं सी० बी० आई० की सहायता से ही वन्य जीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित कर सकता है।

3—माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित घटनायें जिनमें वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वन्य जीव अपराधियों को पकड़ा गया, का उल्लेख करना भी आवश्यक है :—

क–दिनांक 23-11-98 को महराजगंज जनपद स्थित सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग की सीमा पर 2 चीतल हिरणों का अवैध शिकार करने के अपराध में मौके पर वन कर्मचारियों द्वारा 11 अपराधियों को हथियार एवं वाहनों के साथ पकड़ा गया । पकड़े गये अपराधियों में मा० विधान सभा के एक सदस्य भी थे । इन वन्य जीव अपराधियों से 2.50 लाख रुपये का अर्थदण्ड वन विभाग द्वारा वसूला जा चुका है तथा हथियारों को भी जब्त कर लिया गया ।

ख–दिनांक 4-1-1999 को बलरामपुर जनपद के सोहेलवा वन्य जीव विहार में टाइगर के 2 बच्चों की मृत्यु के अपराध में तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

ग–बहराइच जनपद के कतरनियाघाट वन्य जीव विहार में टाइगर का अवैध शिकार करने के अपराध में वन कर्मचारियों द्वारा दिनांक 17-12-1997 को 8 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

घ–सोहलवा वन्य जीव विहार की सीमा पर दिनांक 13-3-2001 को एक तेन्दुआ के अवैध शिकार के दोषी 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

ङ–उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वन क्षेत्रों में अवैध शिकार की घटनाओं की रोकथाम में वन विभाग के कर्मचारी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्यरत हैं और अपराधियों को पकड़ने में सफल भी हो रहे हैं । जहां तक दूर नगरों में स्थित अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीव अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रश्न है, तो उसमें विशेष अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था एस० टी० एफ० तथा केन्द्र सरकार की संस्था सी० बी० आई० की सहायता ली जा रही है। प्रदेश के प्रमुख सचिव, गृह विभाग, प्रमुख सचिव, वन विभाग एवं मेरे द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न वन्य जीव अपराधों की क्रमशः दिनांक 14-3-2001 तथा दिनांक 1-3-2001 को समीक्षा करके प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं :—

क–वन्य जीव परिरक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश को फील्ड में अधिक प्रभावी बनाने के लिए निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को पूर्ण रूपेण अपना समय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को देने के लिए कतरनियाघाट वन्य जीव विहार, सोहेलवा वन्य जीव बिहार एवं सोहगी बरवा वन्य जीव बिहार के प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करके गोण्डा मुख्यालय में एक नया वन्य जीव वृत्त गठित करके एक अतिरिक्त वन संरक्षक की नियुक्ति की गयी है । इस

प्रकार निदेशक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अब पूर्ण रूपेण इसी वन्य जीव क्षेत्र के संरक्षण में अपना ध्यान दे रहे हैं ।

ख–सोहेलवा वन्य जीव बिहार एवं सोहगी वरवा वन्य जीव बिहार के प्रभागीय वनाधिकारियों का मुख्यालय क्रमशः गोण्डा एवं गोरखपुर से स्थानान्तरित करके इन वन्य जीव बिहारों के निकट बलरामपुर एवं महराजगंज में स्थापित कराया गया है ।

ग–फील्ड में वन विभाग एवं बार्डर पुलिस के अधिकारी परस्पर तालमेल करके सामूहिक प्रयास द्वारा सीमा पार से आने वाले अवैध शिकारियों की गतिविधियां नियंत्रित करा रहे है ।

घ–नगरों में स्थित अन्तर्राज्यीय वन्य अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये एस०टी०एफ० सहयोग प्रदान कर रहा है ।

ङ–अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीव अपराधियों को नियंत्रित करने में सी०बी०आई० का सहयोग लिया जा रहा है ।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही वन विभाग फील्ड में बार्डर पुलिस के सहयोग से तथा विभिन्न नगरों में सक्रिय अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीव अपराधियों के विरूद्ध एस०टी०एफ० एवं सी०बी०आई० की सहायता से कार्यवाही करा रहा है । यह बताना अनुचित न होगा कि वन विभाग के पास फील्ड स्टाफ एवं संचार साधनों की अत्याधिक कमी है । उदाहरणार्थ वर्षों पहले स्वीकृत पदों के विपरीत क्रमशः वन दरोगा के 37 प्रतिशत, वन रक्षक के 27 प्रतिशत तथा वन्य जीव रक्षक के 25 प्रतिशत पदों की कमी पर ही वन विभाग कार्य कर रहा है । वन रेंज अधिकारी जो कि फील्ड में तैनात राजपत्रित वन अधिकारी है को गश्त करने के लिए वाहन तथा रेंज कार्यालय में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नही है । इसलिए वन विभाग के साथ ही पुलिस विभाग एवं एस०टी०एफ० तथा सी०बी०आई० को भी वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत वन्य जीव अपराध रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा वन्य जीव अपराधों की रोकथाम में परस्पर योगदान करने का ही परिणाम है कि माननीय सदस्य द्वारा इंगित वन्य जीव अपराध प्रकाश में आ सके है । इन अपराधों की रोकथाम में अपने सीमित संसाधनों द्वारा वन विभाग भी सक्रिय योगदान कर रहा है । विशेष प्रकार के अपराधियों को नियंत्रित करने में वन विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य विभागों को सहयोग देने के उद्देश्य से ही एस०टी०एफ० का गठन हुआ है और इसके आशाजनक परिणाम मिल रहे है । भविष्य में भी एस०टी०एफ० एवं सी०बी०आई० की सहायता से वन विभाग अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों को नियंत्रित कराने की भूमिका निभाता रहेगा । राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का परस्पर सहयोग से कार्य करना एक स्वस्थ प्रक्रिया और इससे अपराधों पर भविष्य में और अधिक नियंत्रण सम्भव हो सकेगा ।]

जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत मया–टाण्डा मार्ग का चौड़ा न किये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मया-टाण्डा मार्ग की कुल लम्बाई 33.450 किमी० है । यह मार्ग बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ राज्य मार्ग संख्या–301 के किमी० 143 से आरम्भ होकर टाण्डा तक जाता है । इस मार्ग के किमी० 1 से

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किमी० 14 तक का भाग जनपद फैजाबाद में पड़ता है एवं किमी० 15 किमी० 34 तक का भाग जनपद अम्बेडकर नगर में पड़ता है । इस मार्ग की वर्तमान लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर से 7.00 मीटर तक है ।

मया-टाण्डा मार्ग जो फैजाबाद टाण्डा मार्ग का भाग है और जिसकी लम्बाई 33.50 किमी० है को अधिसूचना संख्या–1717/23-1-2000-96सी०जी०/98, दिनांक 28-10-2000 द्वारा राज्य मार्ग संख्या–30-ए घोषित कर दिया गया है ।

उक्त मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–4213ई०/23-लो०नि०–11-100(21)ई०/97, दिनांक 5-7-97 द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था परन्तु वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी ।

मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में रु० 289.49 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (नियोजन विभाग) से कराया जा रहा है ।

मार्ग पर यातायात का घनत्व निम्नवत् है :–

1—पी०सी०यू० (पैसेन्जर कार यूनिट)	9890
सी०वी०/डी० (कामर्शियल वैहकिल प्रतिदिन)	922
2—आगामी 8/10 वर्षों में यातायात का घनत्व होने की सम्भावना–	
पी० सी० यू०	13,351
सी० वी०/डी०	1,245

मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के कार्य की स्वीकृति प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (नियोजन विभाग) के परीक्षण/मूल्यांकन के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।]

जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कदौरा में लगे ट्यूबवेल को चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामाधार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सूचना एवं वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[सूचना–मैं आपके माध्यम से जिला–हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कदौरा में लगे उस ट्यूबवेल की तरफ लघु सिंचाई मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । जो 3 वर्ष पहले स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत 20 लाख रुपया लागत पर लगा था जिसमें पर्याप्त पानी भी लेकिन आज तक चालू नहीं किया है जिससे जनता आक्रोशित है कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मा० मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वक्तव्य–

जिला अधिकारी, हमीरपुर ने अपने पत्र संख्या–68/विधान सभा–सूचना/2001, दिनांक 3 मई, 2001 द्वारा सूचित किया है कि अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, हमीरपुर ने अपने पत्र संख्या–70/ल०सि०/लेखा/2001, दिनांक 3-5-2001 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम कदौरा में 20.00 लाख रुपये की लागत से नलकूप का निर्माण लघु सिंचाई से नहीं कराया गया है ।

विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम कदौरा में लगा ट्यूबवेल लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नहीं है । यह ट्यूबवेल बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ० प्र० जल निगम यूनिट–15 महोबा द्वारा निर्मित कराया गया है । अभिलेखानुसार इस नलकूप निर्माण हेतु रुपया 9.80 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसके सापेक्ष रु० 8.89 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जा चुकी है तथा नलकूप का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । निर्माण के पश्चात् यह नलकूप, नलकूप विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा, तत्पश्चात् नलकूप विभाग द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज अन्य राजकीय नलकूपों की भांति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

चूँकि अभी नलकूप पूर्ण नहीं हुआ है । अतएव इसे चालू नहीं किया जा सका है । निर्माण इकाई से बात कर, इस नलकूप को शीघ्र ही चालू कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।]

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय विकास खण्डों में फैल रही संक्रामक बीमारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बने उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों एवं दवाओं के अभाव में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्यमंत्री (डा० रामबाबू हरित)–

[प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही संक्रामक रोगों का प्रसार आरम्भ हो जाता है तथा इनका अत्यधिक प्रभाव माह जून से अगस्त के मध्य होता है । दूषित पेयजल, दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन तथा व्यक्तिगत एवं वातावरण में साफ-सफाई की कमी इन रोगों के प्रसार का मुख्य कारण है ।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड खैरगढ़, फिरोजाबाद, मदनपुर, शिकोहाबाद एवं फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्रों में कोई संक्रामक रोग नहीं है । जनपद फिरोजाबाद में वर्ष में अब तक कुल 59 रोगी खसरे के पाये गये हैं, जिनकी निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की जा चुकी है । खसरे की रोकथाम हेतु शासन एवं विभाग स्तर से परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है तथा महानिदेशालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों, मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है । प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष एवं सचल दल की स्थापना की जा चुकी है तथा दवायें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं । नियंत्रण कक्ष के सचल दल अपने क्षेत्रों में पूर्णरूप से कार्यरत है । सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन नहीं है तथापि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड खैरगढ़, फिरोजाबाद, मदनपुर, शिकोहाबाद तथा नगर फिरोजाबाद की मलिन बस्तियों में खसरा, माता चेचक, तेज बुखार, उल्टी व दस्त से पीड़ित रोगियों के उपचार हेतु

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तत्काल एक सचल दस्ता भेजने तथा डाक्टर विहीन स्वास्थ्य केनद्रों पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती करने एवं उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रचुर मात्रा में दवायें इत्यादि उपलब्ध कराने के निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद को शासनादेश दिनांक 05 मई, 2001 के द्वारा दे दिये गये हैं ।

संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने हेतु चिकित्सा विभाग सतत् सजगता है । इसी सहायता के अनुसार वर्ष 2001 की कार्य योजना बनकर पूर्व में ही समस्त जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा मण्डलीय अपर निदेशकों को प्रेषित की जा चुकी है । कार्य योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही परिधिगत अधिकारियों द्वारा संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान में जनपद फिरोजाबाद में संक्रामक रोगों की स्थिति नियंत्रण में है ।]

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नयी परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक दिनांक 1 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3, नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि सदस्यों द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि इस चर्चा को आज स्थगित कर दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इस चर्चा को स्थगित किया जाता है ।

अब हम कल दिनांक 11 मई, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 10 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता० प्र० सं०–30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

जांच आख्या–ग्राम पंचायत–अंगरावां, विकास खण्ड–जामों,

जांच का दिनांक–09-12-99

जांचकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद नाम–श्री राम जियावन, जिला पंचायत राज अधिकारी–सुल्तानपुर

जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर के निर्देशानुसार खण्ड विकास अधिकारी जामों को दी गयी पूर्व सूचना के अनुसार दिनांक 09-12-99 को शिकायत की जांच हेतु ग्राम पंचायत–अंगरावां गया। जांच के समय सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रावि०), प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पं०) श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रधान पति श्री रामनरेश एवं शिकायतकर्ता श्री संतबक्श सिंह, श्री उदयभान तिवारी के अतिरिक्त श्री बी० बी० सिंह, पूर्व प्रधान, श्री राम सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे। श्री राममूर्ति सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिनका मूल पद नलकूप चालक है, जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी जामों द्वारा निर्देशित करने के बाद भी उपस्थित नहीं थे। इस दिन विकास खण्ड पर साप्ताहिक बैठक भी थी, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि श्री सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं। बताया गया कि श्रीमती प्यारा देवी प्रधान ग्राम पंचायत अंगरावां रिश्तेदारी में कहीं बाहर गयी हुई हैं। शिकायती-पत्र की धारा–4 में सात आवास अपात्र व्यक्तियों से रुपया लेकर देने की शिकायत है।

2—खण्ड विकास अधिकारी से वर्ष 1999-2000 के लिए चयनित 12 लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई। सूची के आधार पर मौके पर जांच में कोई भी लाभार्थी अपात्रता की श्रेणी में नहीं पाया गया। मौके पर अभी इन्दिरा आवास शुरू नहीं हैं। खण्ड विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रथम किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में डाल दी गयी है, किन्तु कुछ लोगों द्वारा शिकायत करने पर जांच होने तक आहरण पर रोक लगा दी है।

शिकायती-पत्र की धारा–5 में प्रधान द्वारा वृक्षारोपण मद में फर्जी व्यय दिखाने का आरोप है, जांच के समय कई लोगों ने लिखित बयान दिया कि प्रधान द्वारा माह–अक्टूबर, 1999 में ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क दो हजार पौध वितरण किया गया। निरीक्षण के समय कई लोगों के घरों में सफेदा, अमरूद शीशम के पौधे लगे हुए देखे गये।

3—जांच के समय ग्रामवासियों ने बताया कि भादर मार्ग से भोला का पुरवा तक पूर्व निर्मित मार्ग की मरम्मत की गयी है। मौके पर पाया गया कि मुख्य सम्पर्क मार्ग में नहर तक लगभग 500 मी०×3 मी० मार्ग का निर्माण कराया गया है। चार छोटे हैण्डपम्प लगाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त प्रधान पति श्री रामनरेश द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों को समय-समय पर मरम्मत कार्य किया जाना बताया गया है किन्तु अभिलेख न पाने से ग्राम के आय-व्यय की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। गांववासियों ने अवगत कराया कि गांव में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राममूर्ति सिंह गांव में नहीं आते हैं, जबकि प्रतिदिन उन्हें गांव में रहकर ही विकास कार्य करना चाहिए, जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

प्रधान पति द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राममूर्ति सिंह के पास हैं, उनसे अभिलेख लेकर दिनांक 10-12-99 को जांच हेतु प्रस्तुत कर देंगे परन्तु प्रधान पति श्री राम नरेश ने आज दिनांक 10-12-99 को कार्यालय में स्वयं उपस्थित हुए किन्तु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। पुनः दिनांक 13-12-99 को अभिलेख प्रस्तुत करने का आश्वासन

दिया है किन्तु आज तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । अभिलेख न प्रस्तुत कर बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य नहीं कराये गये हैं, जिसमें प्रथमदृष्टया अनियमितता का तथ्य दृष्टिगोचर होता है । ऐसी स्थिति में प्रकरण की तकनीकी जांच कराया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आख्या आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत ।

जिला पंचायत राज अधिकारी,

सुल्तानपुर ।

जांच आख्या

मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 112/एसटी–मुविअ (अ)/99-2000, दिनांक 10-1-2000 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को विकास खण्ड जामों की ग्राम पंचायत अंगरावां में विगत तीन वर्षों के कराये गये जिन कार्यों की जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया (मूल पत्र व उसके साथ प्राप्त सभी संलग्नक पत्रावली में संलग्न) इस पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी जामों द्वारा जांच हेतु उपलब्ध कराया जाना था । इस पत्र के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी (जांच अधिकारी) द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय पत्र 2247/स०अ०/शि०जांच/99-2000 दिनांक 12 जनवरी, 2000 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी जामों को सम्बोधित पत्र के माध्यम से जांच तिथि 19-1-2000 निर्धारित करते हुए अपेक्षा की गयी थी कि वांछित अभिलेख अपने अभिरक्षा में रखकर जांच के समय जांच हेतु उपलब्ध करायें (कार्यालय प्रति रूप में पत्रावली में संलग्न) जांच तिथि 19-1-2000 को निर्देशानुसार तथा शिकायत की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जांच के लिए अधोहस्ताक्षरी खण्ड विकास अधिकारी जामों कार्यालय सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करने हेतु पहुंचा । खण्ड विकास अधिकारी जामों ने अवगत कराया कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अंगरावां ने उन्हें दिनांक 19-1-2000 (जांच तिथि) को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 97-98 व 1998-99 से संदर्भित ग्राम पंचायत अभिलेख श्री राम बोध पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी के पास हैं । इनके तैनाती के बारे में जानकारी करने पर खण्ड विकास अधिकारी जामों ने बताया कि श्री पाण्डेय दिनांक 30-9-99 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं । इस ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भी दिनांक 9-12-99 को की गयी थी जिसकी जानकारी खण्ड विकास अधिकारी जामों द्वारा दी गयी तथा स्थलीय सत्यापन के समय श्री राम सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा अन्य ग्राम वासियों द्वारा पुष्टि की गयी । यह भी बताया गया कि उस समय भी संदर्भित वित्तीय वर्ष के अभिलेख ग्राम प्रधान द्वारा नहीं उपलब्ध कराये गये थे और बताया गया था कि अभिलेख श्री पाण्डेय के पास हैं । इस प्रकार लगभग 40 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी वांछित अभिलेख न प्राप्त होना अपने आप में शिथिलत का परिचायक है । क्योंकि यह तथ्य खण्ड विकास अधिकारी जामों के संज्ञान में दिनांक 23-1-99 से एवं जिला पंचायत राज अधिकारी सुल्तानपुर के संज्ञान में दिनांक 9-12-99 से है । इस प्रकार शिकायतकर्ताओं का शपथ पत्र के धारा–4 में यह कथन कि उनके द्वारा वांछित ग्राम प्रधान द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया सत्य प्रतीत होता है क्योंकि जब अभिलेख ही ग्राम प्रधान के उपलब्ध नहीं हैं तो उसके द्वारा जानकारी किस आधार पर दी जाती ।

शपथ पत्र के धारा–5 पर वर्णित इन्दिरा आवास के चयनित लाभार्थियों के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा पूर्व में ही जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाने की सूचना खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गयी । फिर भी ग्राम में ऐसे पात्र लाभार्थी हैं । इन्दिरा आवास आवंटित किया जाना अपेक्षित है इसके लिए भविष्य में कार्यवाही किया जाना उचित न होगा ।

ग्राम पंचायत अंगरावा में जांच हेतु पहुंचने पर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अंगरावां श्रीमती पियारा के पति श्री राम नरेश ने एक प्रार्थना-पत्र उपलब्ध कराया (पत्रावली) में मूल रूप में संलग्न) जो कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जामों को सम्बोधित है उसे काटकर सहायक अभियन्ता डी० आर० डी० ए० सुल्तानपुर किया गया है । इसके अनुसार ग्राम प्रधान के पास ग्राम पंचायत अंगरावां का कोई भी अभिलेख नहीं है । समस्त अभिलेख पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी के पास हैं ।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अंगरावा समस्त अभिलेख पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम बोध पाण्डेय (सेवा निवृत्त) तथा श्री राम मूर्ति (वर्तमान में विकास खण्ड भेटुआ में तैनात) के पास हैं जैसा कि जांच के समय खण्ड विकास अधिकारी जामों व ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया । उल्लेखनीय है कि इन तथ्यों की जानकारी खण्ड अधिकारी जामों को दिनांक 23-10-99 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी के संज्ञान में 9-12-99 को होने के बावजूद भी अभिलेख ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा सका है । अभिलेख के अभाव में जांच कार्य नहीं किया जा सका । उक्त अभिलेख प्राप्त करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी जामों एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर से प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है ।

जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है ।

दिनेश कुमार दुबे,
सहायक अभियन्ता/जांच अधिकारी,
जिला ग्राम्य विकास अभि०,
सुल्तानपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 14 विधान सभा (22)–2002– 815 (डी०टी०पी०)